खण्ड-442, अंक-5
बुधवार, 23 श्रावण, शक संवत् 1924
(14 अगस्त, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 442 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
श्री अतीक अहमद, स०वि०स० पर हुए प्राणघातक हमले से सम्बन्धित सूचना को सुने जाने की मांग	1-2
प्रश्नोत्तर	2-77
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	77
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	77-78
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	78
आगरा नगर निगम द्वारा स्वकर निर्धारण की व्यवस्था पर पुनर्विचार कर राहत दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78-79
जनपद खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत महिला पालीटेक्निक खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील मुख्यालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	79
लखीमपुर में रेलवे स्टेशन के समीप लखीमपुर-सीतापुर मार्ग पर ओवर ब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79-80
कानपुर विकास प्राधिकरण में अनधिकृत अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण कार्यों की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	80
जनपद वाराणसी की कतिपय ग्राम सभाओं की करोड़ों की जमीन को फर्जी संस्था को दिये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	80-81
जनपद इटावा से चलकर नगर सहानों में चम्बल नदी पर अधूरे पुल का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	81
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	81
अयोध्या प्रकरण पर गठित विशेष न्यायालय की अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	81-86
अयोध्या प्रकरण पर गठित विशेष न्यायालय की अधिसूचना जारी किये जाने के प्रकरण पर नेता विरोधी दल को बोलने न दिये जाने पर आपत्ति ...	86-88
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	88-89
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं) ...	89
उत्तर प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2001.....(सदन के पटल पर रखी गयी)	90

विषय	पृष्ठ-संख्या
भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार.....(सदन के पटल पर रखा गया)	90
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम (पंचम संशोधन) नियमावली, 2002..... (सदन के पटल पर रखी गयी)...	90-91
सदन में घटित घटना के प्रतिक्षोभ तथा सदन संचालन में सहयोग का अनुरोध ...	91-95
अयोध्या प्रकरण पर गठित विशेष न्यायालय की अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	95-97
नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	97
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)..	97-98
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	98
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित) ...	98-99
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं का स्थगन...	99
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा का स्थगन ...	99-100
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार, पारण तथा संशोधनों पर चर्चा का स्थगन	100
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 के विचार, पारण तथा संशोधनों पर चर्चा का स्थगन	100
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 के विचार, पारण तथा संशोधनों पर चर्चा का स्थगन	100
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	100
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	100-101
नत्थी	102-103

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 14 अगस्त, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
2–अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
3–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
4–अनिल कुमार पाण्डेय श्री — सुल्तानपुर
5–अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
6–अब्दुल कलाम, श्री — संत कबीर नगर
7–अमिता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
8–आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
9–इन्द्रदेव सिंह, डा० — बिजनौर
10–उदयभान सिंह, श्री — वाराणसी
11–ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर
12–ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
13–ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
14–ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
15–कमलेश कुमार पाठक, श्री — कानपुर देहात
16– चन्द्र भद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
17–जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
18–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री — गोरखपुर
19–परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
20–पी० के० राय, डा० — कुशीनगर/पडरौना
21–प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
22–प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
23–प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
24–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
25–बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
26–मदन भैया, श्री — बागपत
27–महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
28–मायावती, सुश्री — सहारनपुर
29–मुश्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
30–मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
31–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — कुशीनगर/पडरौना
32–रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
33–राजनाथ सिंह, श्री — बाराबंकी
34–राजा राम, श्री — प्रतापगढ़
35–राधा मोहन दास अग्रवाल, डा० — गोरखपुर
36–राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
37–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
38–राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
39–रेवती रमण सिंह, कुं० — इलाहाबाद
40–लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
41–विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
42–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
43–विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
44–वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
45–वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री — ललितपुर
46–वीरेश्वर, श्री — अलीगढ़
47–शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
48–शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
49–संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
50–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
51–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं० — मुरादाबाद
52–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
53–हरि ओम यादव, श्री — फिरोजाबाद
54–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, "हरीश जी" — श्रीवाराणसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 14 अगस्त, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–1, नत्थी (क)

श्री अतीक अहमद, सदस्य, विधान सभा पर हुए प्राणघातक हमले से सम्बन्धित सूचना को सुने जाने की मांग

नेता विरोधी दल (मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि प्रश्नकाल में कोई व्यवधान हो । पहले भी कार्यवाही कई दिन नहीं चल सकी है । लेकिन मामला इतना गम्भीर है कि उस पर आपकी तवज्जो दिलाना जरूरी है । मान्यवर, अगर हमारा कोई सदस्य कष्ट में है और ऐसे कष्ट में है कि उस पर अदालत में जानलेवा हमला किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात समझ गया हूं । इसे मैं नियम–56 में सुन लूंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है, गम्भीर इसलिए है कि इसे गम्भीरतम् कर दिया है मुख्य मंत्री ने । बात सामने आ जाये, सरकार भी अपनी बात रख दे । एक बार यह कहा गया कि अतीक अहमद ने जिसको कत्ल करवाया था उसके भाई ने हमला किया है । दूसरी बार यह बात आयी कि अतीक अहमद ने स्वयं हमला करवाया, यह अखबारों में लिखा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अखबारों का संज्ञान नहीं लेता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अगर अखबारों की हर बात गलत ही मान लेंगे तो लोकतन्त्र का एक बहुत बड़ा पाया गिर जायेगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी गम्भीरता बनी रहनी चाहिए । नोटिस मान्यवर, आपके पास दिया गया है, इस पर आज ही सुन लेने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में किसी एक विशेष विषय के बारे में सूचना दी जाती है । आज जो सूचना आयी हैं उसमें दो अन्य सदस्यों की सूचनाओं का भी समावेश हो गया । मैंने कहा था कि एक सूचना आयेगी तो उसे सुन लेंगे । इसलिए मैंने श्री अम्बिका चौधरी से अनुरोध किया था कि एक ही व्यक्ति सूचना दे देंगे तो सुन ली जायेगी । एक नोटिस श्री अम्बिका चौधरी की अलग से थी । दो माननीय सदस्यों ने दो और घटनाओं के लिए दिया है । नियम–56 के समय हम देख लेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका विवेक है, मान्यवर, आप चाहे सूचना लें या न लें लेकिन वह सूचना सुनिश्चित और नियमानुकूल है । अगर एक सूचना नियमानुसार है और उसी विषय पर किसी दूसरे सदस्य ने भी कोई सूचना त्रुटिपूर्ण दे दी है तो उसे अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नियम–56 की सूचना लेंगे, उस समय आप उल्लेख कर दीजियेगा ।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, माननीय सदस्य अखिलेश सिंह को दफा 302 में फंसा दिया गया है और मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से सी०आई०डी० जांच कराने के लिए कहा था, लेकिन उसे वह स्वीकार नहीं कर रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह सब प्रश्नकाल के बाद कहिएगा, अभी आप बैठ जायं ।

श्री **जगदम्बिका** पाल–

मान्यवर, प्रदीप माथुर जी ने जो बात रखी है वह मेरी भी सूचना है और नियम 311 में दी गयी है **उसे आप** नियम–56 में परिवर्तित करके देख लीजियेगा । इस सदन की परम्परा रही है कि जब कभी **किसी** वर्तमान सदस्य के साथ उत्पीड़न हो रहा हो तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उस पर विचार **करते हैं ।**

श्री अध्यक्ष–

यह सब बाद में होगा पहले नत्थी (क) देखें ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार/बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में जानकारी

**1–कुंवर रेवती रमण सिंह, डा० अशोक बाजपेयी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री अनिल कुमार वर्मा, श्री धनन्जय सिंह, श्री कौशल किशोर तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय की शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु रोजगार सृजन की अपनी कोई योजना नहीं है ।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा प्रदेश में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न तकनीकी व्यवसायों में रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सेवायोजन कार्यालयों

के माध्यम से पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांगों को रोजगारपरक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण किया जाता है ।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति एवं सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमने पूछा है कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु सेवा योजना निदेशालय की कोई योजना नहीं है । मैंने तो उसका नाम ही नहीं लिया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने शिक्षित बेरोजगार हैं और अगर वह उन्हें दो सौ रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दें तो कितना खर्च आयेगा ? दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार का आदेश था कि सरकारी नौकरी में या अन्य नौकरियों में जो भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त होंगे वह सेवायोजन कार्यालय में प्राप्त होंगे तो माननीय मंत्री जी बता दें कि प्रदेश में पिछले दिनों में कितने लोगों को नौकरी दी गई ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो बहुत विस्तृत हो जायेगा । इस समय यह जानकारी दे पाना संभव नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अगर बहुत विस्तृत है तो केवल एक जिला लखनऊ के बारे में ही बता दें ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, अग्रवाल साहब ने जो प्रश्न किया है कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की क्या योजना है । उस संदर्भ में उत्तर दिया । हमारी जो कार्ययोजना है उसमें सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से इम्प्लायमेन्ट दिया जाता है । इसके कई विंग हैं जिनके माध्यम से बेरोजगारों को काम देते हैं और हमारा एक सिस्टम रोजगार उपलब्ध कराने का है । पहले सेवायोजन कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन करायेंगे और जहां से अधियाचन आयेंगे वहां नाम भेजेंगे । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि विज्ञप्तियों के आधार पर भी भर्तियां होंगी केवल सेवायोजन कार्यालय से नहीं होंगी । मान्यवर, बेराजगारों की शिक्षित और अशिक्षित दो श्रेणियां हो जाती हैं जो हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, बी०ए०, एम० काम० पास हैं वह शिक्षित में आते हैं उसके नीचे के अशिक्षित में आते हैं । जो हाईस्कूल पास हैं उनकी संख्या–4,24,227 है, इण्टरमीडिएट की संख्या–5,84,776 है, स्नातक की संख्या 2,61,196 और स्नातकोत्तर की संख्या–67,442 है । इस तरह से कुल मिलाकर 13,37,641 शिक्षित बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं । आपने जो लखनऊ जिला के बारे में स्पैसिफिक सवाल पूछा है उसमें सूचना एकत्र करनी पड़ेगी । 30 जून, 2000 तक बेरोजगारों की संख्या–17,25,205 थी उसमें लगभग 13 लाख शिक्षित बेरोजगार थे उसमें से 272 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में जानना चाहूंगा कि जो अभी तक उत्तर प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगार शिक्षित नवयुवक हैं उनको कब तक रोजगार मुहैया करा दिया जायेगा, क्या सरकार ने कोई समयावधि निर्धारित की है, कोई कार्ययोजना बनायी है ? क्या सरकार ने विश्व बैंक

को कोई इस तरह की अण्डरटेकिंग दी है कि प्रतिवर्ष दो प्रतिशत पदों में कटौती की जायेगी । अगर 2 प्रतिशत पदों में कटौती होगी तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या और बढ़ेगी तो उनको रोजगार कैसे मुहैया कराया जायेगा ? सरकार की इस संबंध में क्या नीति है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जहां तक रोजगार की बात है तो नौकरी ही रोजगार नहीं है । स्वतः रोजगार है, औद्योगिक रोजगार है । यहां पर बाजपेयी जी ने नौकरी के संबंध में पूछा है जबकि रोजगार की तमाम योजनायें चल रही हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मार्जिन मनी योजना, टर्म लोन योजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना, दुग्ध विकास योजना आदि । जहां तक रजिस्टर्ड बेरोजगारों की बात पूछी गयी है और समयावधि की बात है तो 13 लाख से ऊपर हमारे रजिस्टर्ड शिक्षित बेरोजगार हैं । इस संबंध में विभागों से जो अधियाचन आते हैं उसके हिसाब से नाम भेजे जाते हैं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट सवाल पूछा है कि बेरोजगारों को रोजगार के लिये सरकार की क्या कोई कार्य-योजना है । जो पंजीकृत बेरोजगार हैं उनकी कब तक सेवा में लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा । दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने प्रदेश सरकार से कहा है कि प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत पदों में कटौती की जाय तो इस पर भी मैं सरकार से स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग एपराक्सीमेटली, 13 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं । इनके लिये एक मुश्त कार्य योजना कैसे बन पायेगी । जैसे-जैसे अधियाचन होते हैं वैसे-वैसे नाम भेजे जाते हैं । जहां तक 2 प्रसेन्ट कटौती की बात है तो रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि आपकी नौकरियों के कारण वित्तीय भार अधिक है धीरे-धीरे आप पदों को कम करिये । 2 परसेंट पद जो कम किये जा रहे हैं वह अनुपयोगी पद हैं । कई विभाग एक जगह सम्मिलित हो गये हैं । जो 3 प्रतिशत लोग सेवानिवृत्त होते हैं उसमें से 2 प्रतिशत पदों पर भर्ती नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी उपयोगिता नहीं है । जो 1 परसेंट पद बचते हैं उन पर भर्ती हो रही है । वर्ल्ड बैंक का एक सुझाव था कि अपने वित्तीय भारों को कम करिये । इस आधार पर जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उनमें से 2 परसेंट पदों के अगेंस्ट भर्ती नहीं कर रहे हैं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कोई योजना बनायी जायगी कि इतने लोगों को सेवा का अवसर प्रदान किया जायगा 5 साल में, 10 साल में जो पंजीकृत बेरोजगार नवयुवक हैं उनको कब तक सरकार सेवा में लेगी ? इसका उत्तर नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो गया है कि कोई कार्य योजना नहीं है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, सरकार ने 2 प्रतिशत पदों के लिये आश्वासन दे दिया है कि उन पर भर्ती नहीं होगी तो नये पद सृजित कैसे होंगे और बेरोजगार लोगों को रोजगार कैसे मिलेंगे ? सरकार भ्रम पैदा कर रही है और सदन को गुमराह कर रही है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आज बेरोजगारी की समस्या बहुत अहम समस्या हो गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या अन्य मदों में कटौती करके जो बेरोजगार हैं उनको ढाई हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का काम करेगी ताकि वह अपना जीवनयापन कर सकें । सरकार क्या प्रशिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जहां तक बेरोजगारी भत्ता देने का सवाल है आज इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है कि सब बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है । मान्यवर, ऐसा प्राविधान नहीं है कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाय । सरकार की बेरोजगारों को प्रोत्साहन देने की नीति है । हम उनको 100 रुपये प्रतिमाह देकर उनका मनोबल गिरायें यह उचित नहीं है । हमारी योजना है कि उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलायें । हम उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिये प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं कि कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलायें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं । अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने चिन्ता व्यक्त की है कि सरकार की मंशा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वह रोजगारपरक प्रशिक्षण प्राप्त करें व स्वावलम्बी बन सकें । इस दिशा में सरकार की चिन्ता है कि लोगों को रोजगार मिल सकें अगर शासकीय नौकरियां न दिला सके तो स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहित करें । संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि जो सेवायोजन निदेशालय है उसके दो कार्य हैं एक तो लोगों को प्रशिक्षण देना दूसरे नियोजकों से जो रिक्तियां प्राप्त होती हैं उसके आधार पर नौकरियां देना । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो नियोजकों से प्राप्त रिक्तियां हैं वह शासकीय सेवाओं की पिछले एक वर्ष में कितनी प्राप्त हुईं । उसके आधार पर कितने लोगों को नियुक्तियां मिलीं ? क्या शासन द्वारा निजी क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान हैं, या इण्डस्ट्री हैं उनमें भी सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से नाम भेजने पर विचार किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष–

दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए पहले वाले में ब्योरे की आवश्यकता है ।

श्री सुखदेव राजभर–

यह जो सेवायोजन कार्यालय हैं यह सरकारी नौकरियों के लिए हैं । किसी औद्योगिक क्षेत्र को हम कैसे प्रतिबन्धित कर सकते हैं कि सेवायोजन कार्यालय से आमंत्रित लोगों को ही नौकरी दीजिए यह सरकारी सेवाओं के लिए है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं इनके पास न कोई कार्य योजना है, न संवेदनशीलता है, बेराजगारों के प्रति । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगर सबको बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते हैं, तो इसमें कैटगरी बना सकते हैं कि हाई स्कूल पास, स्नातक किसी को एक कैटगरी मानते हुए बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

श्रीमन्, मैंने पहले ही कह दिया है कि हाई स्कूल पास या हाई स्कूल फेल जिनकी आप बात कर चुके हैं। मैंने साफ तौर पर कह दिया है कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अभी इसकी कोई कार्य योजना नहीं है।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मंत्री जी ने सदन में स्वीकार किया है कि दो प्रतिशत पदों की कटौती कर रहे हैं। तो एक तरफ बेरोजगारी का प्रश्न है। बेरोजगारी पर सदन चिन्ता व्यक्त कर रहा है। मंत्री जी ने सदन में कहा कि बेरोजगारों को नौकरी मुहैया कराने के अन्य साधन हैं। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो दो प्रतिशत पदों की कटौती होगी तो इसके कारण बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ेगा तो क्या नौकरियों के अलावा अन्य साधन हैं रोजगार उपलब्ध कराने के उनका प्रतिशत बढ़ाने पर विचार करेगी ? एक तरफ हम समूह "ग" के अन्तर्गत 25 हजार लोगों की भर्ती करने जा रहे हैं दूसरी तरफ दो प्रतिशत कटौती की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में कहां साम्यता है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ?

श्री सुखदेव राजभर–

जो 25 हजार पद सृजित होंगे वह अलग से होंगे दो प्रतिशत कटौती का इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

श्री अध्यक्ष–

पद् सृजित होना अलग बात है। कटौती अलग बात है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं यह जो मंत्री जी का उत्तर है वह पूरी तरह से लीक से हटकर है। उनकी नीयत इस प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की कतई नहीं है। केवल फिजूलखर्ची पर ही अपना समय और पैसा बरबाद करना चाहते हैं। एक सवाल भत्ते के बारे में है। यूं तो जब विद्यार्थी पढ़कर स्कूल से निकलता है, कालेज से निकलता है तो पूरी तरह से उसका परिवार बरबाद हुआ रहता है। तमाम विज्ञापन निकलते हैं, फार्म भरने के लिए मार्कशीट फोटो स्टेट कराने के लिये पैसा नहीं रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम इस दृष्टिकोण को ध्यान से देखते हुए उन्हें कुछ भत्ता देंगे ? यदि भत्ता नहीं दे सकते हैं तो उन सबको जो गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों के लिये क्या करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके लिये तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जहां तक सेवायोजना का सवाल है, जो भी नार्म्स हैं, उन्हें बदलना होगा। नौकरी में भर्ती के लिये कार्मिक की जो सेवा नियमावली है उसमें कुछ मानक गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों के लिये तय करने होंगे। गरीबी रेखा एक विस्तृत सवाल है। गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों के लिये तमाम

योजनाएं चल रही हैं इसलिये उनके लिये अलग से सेवायोजन का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

बीस मिनट एक ही प्रश्न पर हो गये हैं। 5 से अधिक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। मैंने तो काफी अनुपूरक पूछने की अनुमति दे दी। अब मैं प्रश्न संख्या–2 ले रहा हूं। अगला प्रश्न आने दीजिये।

(सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

कृपया शान्त रहें। नरेश अग्रवाल जी आप अंतिम अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिये।

(व्यवधान)

3-4 अनुपूरक पूछे जाते हैं मैंने 7-8 पूछवा लिये। अल्पसूचित प्रश्न के लिये केवल 20 मिनट का समय है। 10-10 मिनट एक-एक प्रश्न के लिये। 30 मिनट एक ही प्रश्न पर हो गये।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इसे नियम–49 में चर्चा के लिये स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

उस पर अलग से चर्चा के लिये मांग करिये। अभी तो साधारण बजट पर चर्चा होगी, उसमें भी आप बेरोजगारी की बात उठा सकते हैं। उससे भी सन्तुष्ट नहीं है तो चर्चा की मांग कर सकते हैं।

(सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

हर चीज में नियम होता है। मैंने जिनको बोलने की अनुमति दी है बस उन्हीं को लिखा जायेगा और किसी की बात नहीं लिखी जायेगी।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा। इन्होंने स्वीकार किया है कि वर्ल्ड बैंक को लिखकर दिया है कि 2 प्रतिशत पद हर साल कम करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि समूह "ग" और "घ" की जो भर्ती हो रही है या होनी है उसके लिये नये पद सृजित किये गये हैं या आज की मौजूदा जो कैपिसिटी है उसके अनुसार ही भरे जायेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी समूह "ग" और "घ" की भर्ती में यह भी आवश्यक करेंगे कि जो भी प्रत्याशी आवेदन करेंगे उसका सेवायोजन कार्यालय में नाम होना आवश्यक है। एक चीज और जानना चाहता हूं कि जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं उसके पास इन्टरव्यू देने के लिये आने-जाने के लिये पैसा नहीं है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार उन प्रत्याशियों को जो रिटेन टेस्ट, इन्टरव्यू देने के लिये जाते हैं उनको प्रदेश की बसों में निशुल्क आने-जाने का अवसर प्रदान करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है और हर स्थिति को बता दिया है। 2 प्रतिशत पदों की जो बात कही है वह जैसा मैंने बता दिया है उस हिसाब से कटौती हो रही है। समूह "ग" और "घ"

की भर्तियां हो रही हैं वह अलग हैं और वह होती रहेंगी । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विज्ञप्ति के द्वारा भरे जायं तो यह कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि सिर्फ सेवायोजन से ही भरे जायं । विज्ञप्ति और सेवायोजन दोनों के द्वारा ही भरे जायेंगे । इसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि सेवायोजन से ही भरें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

यह सरकार संवेदनशील नहीं है इसकी कोई योजना नहीं है, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए यह सरकार कुछ नहीं कर रही है सिर्फ सत्ता बचाने के लिए कार्य कर रही है सरकार के इस रवैये के विरुद्ध मैं सदन का अपनी पार्टी के साथ बहिर्गमन करता हूं ।

(उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री नरेश अग्रवाल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

सरकार की इस नीति के विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी ने सदन का त्याग किया)

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप सिंह–

सरकार के इस रवैये के विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम स्वरूप सिंह ने भी सदन का त्याग किया)

विधायक निधि की धनराशि बढ़ाने की मांग

**2–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार विधायक निधि की धनराशि बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल इसे बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा है कि सरकार विधायक निधि की धनराशि बढ़ाने पर विचार कर रही है ? मान्यवर, क्षेत्र की जनता यह अपेक्षा करती है कि हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास विधायक के माध्यम से होगा । सांसदों की दो करोड़ सांसद निधि है, वह चार करोड़ की मांग कर रहे हैं जिस तरह से सांसद की 2 करोड़ सांसद निधि है उसी तरह हमारी भी मांग है कि विधायक निधि बढ़ाकर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में योगदान करें ।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, पिछले वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि वित्तीय संसाधनों को देखते हुए विधायक निधि को बढ़ाना बहुत जरूरी नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर–

बेरोजगार जो रजिस्टर्ड हैं .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह दूसरे प्रश्न से संबंधित है वह समाप्त हो गया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए विधायक निधि की धनराशि को बढ़ाना समीचीन नहीं है विधायक निधि मान्यवर विधायक निधि नहीं है, विधायक निधि वह है जो जनप्रतिनिधि के चुनाव होते हैं, क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रस्ताव देते हैं, उसमें कार्य कराये जाते हैं ऐसा तो है नहीं कि विधायक निधि की बढ़ोत्तरी हो जाएगी तो विधायक की जेब में चला जाएगा यह विकास से संबंधित योजनाओं के प्रस्ताव की धनराशि है यह सवाल सत्तापक्ष और विपक्ष का नहीं है अपितु सभी चुने हुए निर्वाचित सदस्यों से संबंधित है । उनकी पूरी भावनाओं को देखते हुए ही सांसद निधि को एक करोड़ से दो करोड़ किया गया तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि विकास योजनाओं के प्रस्ताव के लिए तमाम योजनाओं में, जो अनुत्पादक योजनाएं हैं, अनुपयोगी योजनाएं हैं उनमें जो पैसा जा रहा है उसमें कटौती करके जो जनप्रतिनिधि चुने गये, उनको जो 75 लाख विकास प्रस्तावों के लिए दिया जाता है, उसको आप बढ़ाकर एक करोड़ कर दीजिये । दूसरी जो अन्य अनुपयोगी मदें हैं उनमें पैसे का दुरुपयोग होता है, पैसा खर्च नहीं किया जाता है, जैसे सोशियल फारेस्टी है, विश्व वानिकी है, क्या विधायक निधि के प्रस्ताव को बढ़ाने पर विचार करेगी । दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि मुख्य सचिव का एक पत्र गया है कि इस विधायक निधि को हम अम्बेडकर गांवों में दें । आज हम अपने चार सौ गांव के लिए उत्तरदायी हैं उसमें हर जाति के लोग रहते हैं .....।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । मूल प्रश्न यह है कि सरकार विधायक निधि की धनराशि बढ़ाने पर विचार कर रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि इस विधायक निधि में पैसा डाइवर्ट करने पर विचार करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय पाल जी ने कहा है कि विधायक निधि से विधायक को मत जोड़िये हम नहीं जोड़ रहे हैं । यह तो एक योजना है विधायक निधि । मैंने स्पष्ट कहा है कि विधायक निधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है । जब वित्तीय स्थिति सुधरेगी तब विचार किया

जायेगा ॥ एक और प्रश्न माननीय पात्र जी ने पूछा था कि जो विभिन्न विभागों से पैसा सरेन्डर किया जाता है क्या उसको विधायक निधि में समायोजित करायेंगे ? भिन्न-भिन्न विभागों का भिन्न-भिन्न पैसा उनके कमिटेड फंड में जाता है । वह विभाग कितना उसका उपयोग करेगा हमें क्या पता और अगर सरेन्डर हो गया तो उस वित्तीय वर्ष में उसका समायोजन करने का प्राविधान नहीं बन सकता । जहां तक धनराशि बढ़ाने का सवाल है वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है । जब सुधरेगी तब हम विचार कर लेंगे ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अभी वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जब वित्तीय स्थिति सुधरेगी तब हम विचार कर लेंगे ॥ अब और कोई प्रश्न क्या बनेगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विचार किया जा रहा है । जिस समय विचार करेंगे उस समय इस बात का ख्याल रखेंगे ॥ क्या रखेंगे, दिल्ली में पांच करोड़, बिहार जिसकी वित्तीय स्थिति हमसे भी ज्यादा खराब है, वहां पर विधायक निधि है दो करोड़ रुपया, दिल्ली में एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ हो गया पांच करोड़ की सिफारिश की गयी है ? इसे हमें विधायक क्षेत्र विकास निधि का नाम दें तो अच्छा होगा । इसमें मात्र सुझाव लिया जाता है । तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे जब विचार करेंगे तो दिल्ली और बिहार के पैटर्न पर, उसके अनुरूप बढ़ाने पर विचार करेंगे ? दूसरा मान्यवर, इसमें सभी की रुचि को देखते हुए मैं नियम–49 में लिखवाकर दे रहा हूं, आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार करें । यह आपका अधिकार भी है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी जब भी विचार किया जाय तो विभिन्न प्रदेशों और केन्द्रों में विधायक निधि और सांसद निधि की जितनी वृद्धि हुई है उसके संदर्भ को लेकर विचार कर लीजियेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने कहा है कि जब भी विचार करें ?

श्री अध्यक्ष–

आपने भी यही कहा है कि जब भी विचार करें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री आशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आज जब मजदूरी की कीमत बढ़ी है । जबकि विधायक निधि की राशि सन् 2000 में 75 लाख की गयी थी उसमें अभी तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । क्या माननीय मंत्री जी इसे बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, श्री बाजपेयी जी बहुत विद्वान आदमी हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मजदूरी बढ़े या महंगाई बढ़े तो विधायक निधि भी बढ़ायी जाये ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, सभी सदस्यों की रुचि को देखते हुए और बिहार प्रदेश और दिल्ली प्रदेश की व्यवस्था को देखकर माननीय मंत्री जी को आप यह निर्देश देने की कृपा करें कि विकास के हित में विधायक निधि को बढ़ाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही यह दिया है कि जब भी विचार करेंगे तो इस पर भी विचार करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप ही हमारे संरक्षक हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि नियम–49 में लिखकर दे रहा हूं, कृपया इसमें आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नत्थी "ग" का तारांकित प्रश्न संख्या–1 ले रहा हूं कुं० रेवती रमण सिंह, प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर प्रश्नकर्ता सदस्य अनुपस्थित थे।)

अब मैं प्रश्न संख्या–2 ले रहा हूं।

श्री आलोक कुमार शाक्य–

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

धनराशि में वृद्धि का प्रश्न है विधायक निधि में, उपयोग का प्रश्न नहीं है धनराशि के।

(इसी मध्य श्री राम करन आर्य तथा श्री प्रदीप माथुर के साथ विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और मांग करने लगे कि हैण्डपम्पों की स्थापना में 10 प्रतिशत न लिया जाए।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने स्थान पर वापस जायें यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर आप यहां पर आयें हैं।

(सदन के फ्लोर पर आये सदस्य श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर अपने-अपने आसन पर वापस चले गये)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, वैसे तो आप सदन की भावना को अच्छी तरह समझ रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। आपने उस पीठ से निर्देश भी दिया कि जब कभी भी विचार करेंगे तो जो दिल्ली में और दूसरे प्रदेशों में व्यवस्था है उन को भी ध्यान में रखकर विचार करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि सदन की भावना को देखते हुए इस धनराशि को बढ़ा दिया जाये। वे कहते हैं कि वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है। मान्यवर, यह पैसा जो होगा विकास के कामों में लगेगा। (विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) वित्तीय स्थिति सुधर नहीं सकती है क्योंकि दस हजार करोड़ का कर्जा है। मान्यवर, जो काम दूसरी मदों से होता है वह विधायक निधि के माध्यम से सारे विकास कार्य होंगे और उनके क्षेत्रों में होंगे और विकास का काम दिखाई पड़ेगा। भले ही उधर के लोग न बोलें लेकिन यह पूरे सदन की भावना है। आप यह भी निर्देश

दें कि जल्दी से जल्दी एक महीने, दो महीने का समय ले लें अब जब भी विचार करेंगे तो उसमें बहुत समय लग जायेगा । इसमें नियम–49 में चर्चा भी करा दें ।

मान्यवर, इस विधायक निधि की धनराशि को 75 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का काम यह सरकार जरूर करेगी ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन की भावनाओं से आप अवगत हुए, सरकार भी अवगत हुई । सत्ता और विपक्ष दोनों का यह चाहना है कि दिल्ली सरकार 5 करोड़ रुपया देती है और बिहार जिसको वित्तीय साधन और उनके हालात हमसे कहीं ज्यादा खराब है वह 3 करोड़ देते हैं, इस पर भी बहस नहीं है । इस वक्त यह मांग है सरकार माने या न माने सबको उसके बराबर का नफा घाटा है लेकिन 2-3 बातें और नई जो जुड़ गयी हैं उनसे बड़ी परेशानी है । 75 लाख रुपया है यह एक करोड़ हो जाय तो सत्ता पक्ष को भी लाभ होगा और विपक्ष को भी होगा । इसके साथ जितने काम जुड़े हुए हैं उनमें बड़ी बदनामी जुड़ी हुई है या तो यह रकम ढंग की मिले, इतनी मिले कि भला किया जा सके, विकास के काम हो सकें वर्ना 75 लाख की रकम, यह सच्चाई है कि इतनी नाकाफी है कि इसमें कोई विकास का माकूल काम नहीं किया जा सकता । पानी का मसला है, आपको याद होगा मैंने सुझाव दिया था, आपके कक्ष में भी दिया था कि वाटर हेड टैंक बनवा दिये जायं उसका आधा पैसा विधायक दे दे और आधा सरकार दे दे लेकिन वह बात नहीं मानी गयी ।

एक नई समस्या है, पैसा बढ़ायेंगे नहीं बढ़ायेंगे यह अलग बात है । रोज कोई न कोई नया परिपत्र चला आ रहा है कि अम्बेडकर ग्रामों को दे दिया जाय, मार्क–2 नल लगेगा 10 प्रतिशत देना होगा, सीडीओ फोन करता है सख्त भाषा में कहता है जिलाधिकारी के पत्र आते हैं । हमें जाहिर है कि जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर रखना होता है अपना काम कराने के लिए यह रोज का दबाव कि अम्बेडकर ग्राम को दिया जाय, पानी का नल नहीं लग सकता है जब तक 10 प्रतिशत नहीं दिया जायेगा तो इस तरह की रोज की मांग हो रही है इन्हें रोकने का कोई आश्वासन सरकार की तरफ से होना चाहिए । आइन्दा इस तरह की शरारत न हो । विधायकों को राउण्ड बाक्स में करने की बात है, आप चैम्पियन बनना चाहते हैं और दूसरों को दुश्मन आप साबित करना चाहते हैं । इस तरह की नीति किसी एक सरकार की या एक व्यक्ति की, समाज में बंटवारा करने की गलत और निन्दनीय है ।

श्री अध्यक्ष–

दो बातें अलग-अलग हैं ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, पहले जवाब आ जाय ।

(श्री पारस नाथ यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पारस नाथ जी, अभी एक बात माननीय राम नरेश जी ने उठायी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठायी उसका निस्तारण हो जाय ।

श्री पारसनाथ यादव–

मान्यवर, विधायक निधि को बढ़ाने या न बढ़ाने का जो सवाल चल रहा है। यह सरकार पर निर्भर करेगा, आपकी तरफ से भी निर्देश होगा, विचार कर लेंगे। पिछली सरकार में विधायकों की मांग पर इस सदन में प्रत्येक विधायकों को उनके क्षेत्रों में उनके प्रस्ताव पर 50–50 हैण्डपम्प लगवाने का निदेश दिया था लेकिन इस सरकार में 10 प्रतिशत अंशदान देने पर प्रस्ताव को स्वीकृत कर रहे हैं। 10 प्रतिशत गरीब जनता देने को तैयार नही है। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा और आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि जो 50 हैण्डपम्प पिछली बार दिये गये थे वैसे ही जैसे प्रस्ताव द्वारा जाय उस पर अंशदान की कोई आवश्यकता न हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस पर स्पष्टीकरण दें। आप सरकार को निर्देश दें कि वह 10 प्रतिशत का अंशदान समाप्त कर दे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह परम्परा रही है। कल्याण सिंह ने इसे प्रारम्भ किया, राम प्रकाश गुप्ता ने 50 लाख किया, उसे बढ़ाया। नयी सरकार कुछ न कुछ बढ़ाती है। या तो यह सरकार अपने को सरकार नहीं मानती या उनका सरकार में रहने का इरादा नहीं है। नयी मुख्यमंत्री आयी हैं वह बतायें कि वह बढ़ायेंगी या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि एक आकंलन करा लें कि जो लागत थी सीमेंट की , ईट की, लोहे की, वह 25–30 प्रतिशत बढ़ गयी है, कहीं-कहीं 100 प्रतिशत तक बढ़ गयी है। जो विधायक निधि योजना है इसका नाम सही नहीं है इसका नाम विधान सभा क्षेत्र विकास निधि कर दिया जाये। यह जो बजट आया है जो पारित होगा, इसमें अलग से राशि निर्धारित करें। इस राशि को 75 लांख से बढ़ाकर दो करोड़ कर दें, अथवा 1 करोड़ 25 लाख कर दें। अगर हम सुझाव भी नहीं दे सकते तो फिर हमारे यहां रहने से क्या फायदा ? हम यह तो नहीं कहते कि यह राशि हमारे बैंक खाते में आती है हम तो सिर्फ पैड के ऊपर लिख देते हैं। हम तो कहते है कि विधायक निधि का पैसा जो विधायक लेना चाहें लें और जो न लेना चाहें उनकी भी विधायक निधि हमें मिलाकर दे दीजिये हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। बिजली के लिए पैसा सरकार के पास नहीं है, नहर सफाई के लिए पैसा नहीं है। अब तो यह खड़े हो जायें और कह दें कि हम लालू यादव से अधिक गये-गुजरे हैं।

नियम–49 की सूचना मैंने दी है आपके सचिव तक पहुंच गयी है। जनहित को देखते हुए उस पर आधे घंटे की चर्चा करा लें। हो सकता है कि संसदीय कार्य-मंत्री का निदेश न हो लेकिन फिर भी आधे घण्टे की चर्चा करा लें। माननीय मुख्यमंत्री को बुला लें और एक प्रस्ताव ले लें कि विधायक निधि के पक्ष में कितने लोग हैं, कितने लोग विपक्ष में। जो बढ़वाना चाहते हैं उसके पक्ष में हाथ उठा दें जो नहीं चाहते वह विपक्ष में हाथ उठा दें। मैं एक बार और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विधायक निधि का नाम विधान सभा क्षेत्र विकास निधि कर दिया जाये। आप चाहें तो यह अभी हो सकता है और आप न चाहें तो कभी नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष–

आपके इतना कहने के बाद भी मुझे कोई प्रेरणा नहीं मिली हमारी कुछ मर्यादा है, कुछ बंधन होते हैं।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, विधायक निधि की अव्यवस्था पर आपने निर्देश दिये मैंने स्वीकार किया। इस पर भी विचार किया जायेगा। शुरू में भी मैंने कहा कि जैसे ही वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी उस पर विचार किया

जायेगा । पहले कह रहे थे विकास कार्यों के लिए विधायक निधि बढ़ाई जाये आज कह रहे हैं अम्बेडकर गांवों में खर्च कर दी जाये । मेरा एक सुझाव है 27 गांवों में प्रति विधान सभा क्षेत्र में इस योजना के तहत चाहे-पूर्वांचल विकास निधि योजना हो चाहे दीनदयाल उपाध्याय योजना हो चाहे अम्बेडकर ग्राम विकास योजना हो । नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता । यह विकास योजना है और 36 गांवों का लक्ष्य है और एक-एक गांव में सेचुरेट किया जाना है । यह सभी गांव 11 बिन्दुओं पर सेचुरेट होंगे, उसके लिये विभिन्न स्रोतों को माध्यम बनाया गया है । मान्यवर, जो 13वीं विधान सभा थी, उसमें किन्हीं परिस्थितियों के कारण विधायक निधि का उपयोग नहीं हो पाया, उसमें तय किया गया कि इसका उपयोग नये सदस्य करेंगे । उसमें सहमति शब्द है, कोई बाउन्डेशन नहीं लगाया गया है । यह कहा गया है कि जो इस पिछली विधान सभा का पैसा उपयोग नहीं हो पाया है, उसके सन्दर्भ में सहमति लेकर प्रस्ताव मांग लेंगे । अम्बेडकर गांव में विद्युतीकरण के लिये देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है उसे जबरदस्ती अम्बेडकर गांवों पर खर्च कर लिया जाय, उसमें सहमति शब्द का उपयोग किया गया है, उसमें निवेदन किया गया है कि जो बचा हुआ धन है, वह विधायक की सहमति से ही खर्च होगा, इसमें किसी तरह की कोई बाउन्डेशन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

सारा विवाद समाप्त हो जाय, अगर आप लोग मेरा सुझाव मान लें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है । मंत्री जी ने जवाब जरूर दिया है, लेकिन जिस तरह से प्रपत्र जा रहे हैं, जिले के अधिकारी लोग बराबर दबाव डाल रहे हैं उससे परेशानी पैदा हो रही है । यह तो समाज के अन्दर बंटवारे की बात है, विधायक लोग देना नहीं चाहते, उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, इसी तरह इंडिया मार्का–2 नलों के बारे में 10 प्रतिशत जमा करना है, उसके बारे में भी यदि मंत्री जी सफाई दे देंगे तो आसानी होगी ।

श्री अध्यक्ष–

एक विधायक निधि की रकम में बढ़ोत्तरी का मामला है और दूसरा विधायक निधि का उपयोग कैसे किया जाय ? यह विषय है । माननीय प्रमोद कुमार जी ने कहा कि आधे घन्टे की चर्चा करा लें । आधा घंटे चर्चा कराने के बाद चर्चा समाप्त हो जायेगी, कोई निष्कर्ष निकले या न निकले । मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि संसदीय कार्य मंत्री जी आप स्वयं माननीय ग्राम्य विकास मंत्री और विभिन्न दलों के नेताओं की एक बैठक बुला लें और जो विधायक निधि के उपयोग के बारे में भ्रम है, वह आप उस बैठक में दूर कर दें, उसके बाद जैसी आम राय बने, उसके हिसाब से पत्रक भिजवा दीजिये । इसी तरह विधायक निधि बढ़ाने की बात है, वह संभव है या नहीं, उसके संबंध में भी आप अपनी कठिनाइयों को रखेंगे, माननीय विधायक अपनी आवश्यकताओं पर बल देंगे । मुझे विश्वास है कि बैठक होगी तो कुछ न कुछ निष्कर्ष अवश्य निकल आयेगा, आप बैठक बुला लें और इसी सत्र के दौरान बुला लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है, आप ही बुलवा लें ।

श्री [illegible]–

सरपंच को तभी बुलाया जाता है, जब कोई विवाद होता है । अभी सरपंच को न बुलायें । जब कोई मतभेद होगा, तब बुलाइयेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

[2सरे मंगलवार के 38(2) के तारां०प्र० सं०-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि एवं उसके रोकने के उपाय

*1–कुं० रेवती रमण सिंह–(अनुपस्थित)

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है ? क्या सरकार बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

जनगणना–2001 के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या की दशक वृद्धि दर 25.8% है ।

जी हां ।

प्रदेश की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार परिसीमन की सुविधाएं उपलब्ध करने के साथ-साथ अप्रैल, 1998 से प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत समुदाय के लोगों को उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं अभिरुचि के अनुरूप ग्राह्यपूरक, गुणवत्ताकारक सेवाएं उनके निकटतम् स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं ।

इसके अतिरिक्त एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा प्रदेश की अपनीत जनसंख्या नीति दिनांक 11 जुलाई, 2000 को प्रख्यापित की गई है । इसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के साथ-साथ पंचायतों तथा निजी व गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को निःशुल्क उपचार की सुविधा

*2–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या सरकार कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

शासनादेश संख्या–984/5-1-2000–4(80)/95 दिनांक 28-6-2000 के प्रस्तर–4 एवं 5 के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क उपचार व निदान की सुविधा पूर्व से उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आलोक कुमार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि निःशुल्क उपचार व निदान की सुविधा पूर्व से उपलब्ध है। लेकिन जब रोगी अस्पताल में जाता है, तो उसे शरण भी नहीं मिलती। यदि रोगी गरीब है, कपड़े फटे हैं तो उसकी डाक्टर भी अच्छी तरह से नहीं सुनते। मान्यवर, जनपद मैनपुरी में बहुत से ऐसे गरीब रोगी गये हैं जिनको निकाल दिया गया है। मान्यवर, क्या ऐसे रोगियों को कोई नई सुविधा देने का प्रस्ताव करेंगे ?

महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, पहले ही कहा गया है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क उपचार व निदान की सुविधा उपलब्ध है। जो सफेद कार्ड धारक हैं उनकी पहचान करके उन्हें निःशुल्क उपचार व निदान की सुविधा दी जाती है।

श्री आलोक कुमार शाक्य–

मान्यवर, जो मंहगी दवायें हैं उन्हें बाजार से लाने के लिए लिख दिया जाता है। इसमें कोई ऐसी नीति बनायी जाये जिससे जो मजदूर हैं, गरीब हैं उनका उपचार हो सके। यह मंत्री जी बतायें।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, जिन्हें व्हाइट कार्ड पी०डी०एस० के अन्तर्गत दिया गया है उनको वाह्य रोगी और जनरल वार्ड में भर्ती होने पर उनसे पर्ची और भर्ती का शुल्क ही लिया जाता है। लेकिन अभी कोई ऐसी योजना नहीं है कि इसके लिए कोई अन्य व्यवस्था की जाये। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के लिए वैसे ही निःशुल्क है, कहीं रोक नहीं है।

प्रदेश में बालू खनन

*3–श्री दिनेश सिंह तथा श्री श्याम नारायन–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने वर्तमान में बालू खनन पर रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बालू खनन पर लगी रोक को हटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन, पर्यावरण एवं आबकारी मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(इस समय 12 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए)

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि बालू खनन पर रोक नहीं है । मंत्री जी ने जानकारी के अभाव में जवाब दे दिया । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं इस सदन में, मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर में 12 मई, रविवार को सोहरत गढ़ थाने में अपराध सं०–97/2002, धारा–379/411 एवं 13/खनन अधिनियम के तहत् 4 काश्तकारों को जो अपने निजी कार्य हेतु अपनी ट्रैक्टर ट्राली से बालू ले जा रहे थे । श्री विजय कुमार, श्री महेश, श्री चौधरी और बबलू को ट्रैक्टर ट्राली सहित थाने में लाकर गिरफ्तार किया गया और ट्रैक्टर ट्राली बालू सहित सीज कर दी गयी और उन्हें आपराधिक मुकदमें में जेल भेज दिया गया । मान्यवर, श्री विजय कुमार ने राजपुर बालू खनन समिति से विक्रय की रसीद भी दिखायी लेकिन थाना अध्यक्ष ने उनको भी नहीं छोड़ा यही नहीं थाना मोहाना में भी 4 बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली को इसी अधिनियम और अपराध के तहत् चालन किया जा चुका है और जनपद में बालू खनन की रोक से गांव के किसानों और इंदिरा आवास के लाभार्थियों को मकान बनाने के लाले पड़े हुए हैं । मान्यवर, किसानों को दण्डित किया जाय और न्यायालय की रोक को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किया जाये ।

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर खनन पर तो कोई रोक नहीं है । लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नए पट्टे दिए जाने पर और परमिट दिए जाने पर रोक लगा रखी है । जो पट्टे पहले दिए जा चुके हैं, जिनका समय अभी है, वह तो चल रहे हैं लेकिन नए पट्टे दिए जाने पर रोक है । जिस घटना की बात माननीय सदस्य ने बतायी है, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है क्योंकि उससे प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, लखीमपुर खीरी में बालू खनन के ठेके इस वर्ष दिए गए हैं और मेरी जानकारी में है, ऐसा क्यों ?

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, माननीय सदस्य हमें लिख कर दें । अगर ऐसा है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ?

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के नियमों के अनुसार जेल भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैंने हाई कोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया । मैंने सर्वोच्च न्यायालय की बात कही है । शायद सदस्य जी सुन नहीं पाए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं परीक्षण करा लूंगा । उसके बाद उचित कार्यवाही की जाएगी ।

श्री राम करण आर्य–

मान्यवर, अगर रोक नहीं है तो क्या है ?

श्री अधिष्ठाता–

राम करन जी मैंने श्याम नारायण जी को बोलने के लिए कहा है, आपको नहीं ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मध्यम और निम्न वर्ग के लोग अपने मकान बनाने के लिए बालू लाते हैं उन्हे बहुत परेशानी हो रही है अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई रोक लगा रखी है तो क्या आप उस रोक को हटाने के लिए जन हित को देखते हुए कोई कार्यवाही करेंगे, अगर नहीं तो क्यों और करेंगे तो कब ? इसकी वापसी हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर इस सम्बन्ध में बराबर पैरवी की जा रही है । अभी माह के दो सप्ताह तक तो तिथि आई नहीं है शायद अगले महीने में तिथि आयेगी तब मैं उसे देख लूंगा और समुचित पैरवी की जाएगी ।

डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास विभाग से बालू खनन के सम्बन्ध में कोई नीति शासन के पास भेजी गई है ? क्या बालू खननों के पट्टे पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है और नवीनीकरण पर भी रोक लगा दिया है ? तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि निजी क्षेत्र के जो किसान जिनके नदी और नाले के किनारे खेत हैं और नदी की कटान से उनकी भूमि पर 5-6-7 फीट बालू पट गया है क्या निजी क्षेत्र के ऐसे किसानों को जिनके खेतों में बालू पट गया है, उनसे रायल्टी जमा कराकर खनन का परमिट देने पर विचार करेंगे, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मा० उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई नियम नहीं है । यथास्थिति बनाये रखने सम्बन्धी आदेश दिनांक 10-9-2001 के प्रकाश में सम्प्रति ऐसा नियम प्रभावी नहीं है ।

प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली कुपोषण की शिकार गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की वृद्धि को रोकने विषयक जांच की

जानकारी

*4–श्री संजय गर्ग (अनुपस्थित)–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण के कारण मृत्यु की दर में बढ़ोत्तरी हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)–

जी नहीं ।

सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाये जाने की मांग

*5–श्री राम करन आर्य

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर तक छात्रवृत्ति की कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित है ? क्या सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

अनुसूचित जाति एवं एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु कक्षावार/पाठ्यक्रम वार छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार निर्धारित है :–

कक्षा	छात्रवृत्ति दर प्रतिमाह	
	डे–स्कालर	हास्टलर
1–कक्षा 1–5	रु० 25/-	—
2–कक्षा 6–8	रु० 40/-	—
3–कक्षा 9–10	रु० 60/-	—
4–कक्षा 11 से स्नातक प्रथम वर्ष तक	रु० 90/-	150/-
5–स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष	रु० 120/-	230/-
6–स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा	रु० 190/-	290/-
7–व्यवसायिक/तकनीकी डिप्लोमोत्तर	रु० 190/-	290/-
8–तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम (डिग्री स्तर) मेडिकल इंजीनियरिंग एमबीए	रु० 190/-	425/-

पूर्वदशम छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है । दशमोत्तर छात्रवृत्ति की दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं । अतः उनकी दरों में वृद्धि भारत सरकार द्वारा ही किया जाना सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अभी उत्तर पढ़ा कि रु० 25/- कक्षा 1 से 5 तक के लिए, कक्षा 6 से 8 तक के लिए रु० 40/- , कक्षा 9 से 10 तक के लिए रु० 60/- और 11 से 12 तक के लिए 90/- छात्रवृत्ति प्रतिमाह रखा है । मान्यवर, मैंने पहले भी अनुरोध किया था और आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो इण्टरमीडिएट की छात्रवृत्ति 90/- रखी गयी है । 1952 के दौरान इण्टरमीडिएट के छात्रों को 35/- रु० स्कालरशिप मिलती थी । उस समय 35/- में भोजन, रहने और किताबें खरीदने की पूरी व्यवस्था हो जाती थी, आज 90/- प्रतिमाह स्कालरशिप दी जाती है । 90/- के हिसाब से रुपये 1080/- वार्षिक हो रहा है । वर्तमान समय में इण्टरमीडिएट साइंस की किताबें

350/400 रुपये में आ रही हैं। इस प्रकार से 2-3 किताबें खरीदने पर ही सारी धनराशि खर्च हो जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1952 में जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसके अनुसार, जो महंगाई जबरदस्त बढ़ी है उसको देखते हुए छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर 5000/- रुपये सलाना करने की सरकार कोशिश करेगी तथा उसे महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ायेगी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 1996 में भारत सरकार ने नई दरें संशोधित की हैं और 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधित की है। इधर अभी इस विषय पर शासन कोई विचार नहीं कर रहा है।

प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पीने के पानी की गुणवत्ता सम्बन्धी कथित प्रकरण

*6–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पीने के पानी की गुणवत्ता मानव जीवन के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक हानिकारक है ? क्या इस कारण वहां के लोगों में घेंघा, अन्धता और मन्द बुद्धि जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, मंत्री जी ने डिपार्टमेण्ट से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उत्तर दे दिया। सम्मानित सदन जानता है कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अलग-अलग पानी की गुणवत्ता में क्लोरीन की कमी के कारण निश्चित तौर पर पानी में खराबी है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के तराई क्षेत्रों में विशेषकर सिद्धार्थनगर, महराजगंज, बलरामपुर आदि में पानी खराब है अर्थात क्लोरीन की कमी है, और उस पानी की पीने के कारण हजारों लोगों को घेघे की बीमारी हो रही है। क्या सरकार इन जिलों में एक उच्चस्तरीय जांच करायेगी ?

मान्यवर, क्या पानी की जांच करायी गयी है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि साफ पानी के क्या-क्या मानक हैं। तराई के क्षेत्रों में क्या पानी की जांच करायी गयी है और जांच के आधार पर क्या उत्तर आया है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, जो उल्लेख माननीय विधायक ने किया है, घेघा रोग पानी से नहीं उत्पन्न होता है बल्कि आयोडीन की डिफीशियेंसी से होता है। तराई में पानी की जांच करायी गयी है वहां पानी साफ है और पीने के लायक है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नये अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

*7–श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नये अस्पताल खोलने की कोई योजना सरकार बना रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह सरकार अपने को दलितों की सरकार कहती है । सरकार परिवार नियोजन और पल्सपोलियो पर करोड़ों रुपया खर्च करती है । ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के अनुपात के अनुसार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और कितने खोलने का प्राविधान है । आबादी के हिसाब से कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने अभी शेष है ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

3600 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश में हैं । जो भारत सरकार का पुराना मानक है उसके अनुसार 30 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों हेतु धनराशि बढ़ाने की मांग

*8–श्री अजीम भाई–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्रति मरीज कितनी धनराशि व्यय की जा रही है ? क्या यह सही है कि उक्त दर कम होने के कारण मरीजों को पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिये प्रति मरीज के आधार पर कोई मानक निर्धारण नहीं किया गया है और न ही इस आधार पर समीक्षा की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के बिलग्राम तहसील मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने की मांग

*9–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के बिलग्राम तहसील मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या–7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

प्रदेश में चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर रोक

*10-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सकों द्वारा निजी प्रेक्टिस पर रोक लगाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों के पदों को शासनादेश दिनांक 28-2-78 द्वारा नान प्रैक्टिसिंग कर दिया गया है तथा इसके बदले उन्हें नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकारी चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस न करने के संबंध में "उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली 1983 पूर्व से प्रवृत्त है। समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक के संबंध में प्रभावी कार्यवाही के लिये निर्देश प्रान्तीय/मण्डलीय तथा जनपदीय अधिकारियों को दिये जाते रहे हैं।

इस सम्बन्ध में पत्र दि० 16-2-02 द्वारा जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में प्रत्येक जनपद में एक पर्यवेक्षण समिति का गठन कर दिया गया है जिसके सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला/पुरुष चिकित्सालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा नामित सी० ओ० स्तर तक का अधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा नामित स्थानीय अभिसूचना इकाई का सदस्य तथा जनपद के समस्त विधायक हैं। पत्र दिनांक 27-7-2002 द्वारा उपरोक्तानुसार त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*11-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[2 सरे सोमवार के तारा० प्र० सं०-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाने संबंधी जानकारी

*12-श्री शारदानन्द अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भर, राजभर, मल्लाह, बिन्द, धीमर, कश्यप जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार को संस्तुति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं। भर, राजभर जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव वर्ष 1982 में भारत सरकार से अभी तक निर्णय की जानकारी नहीं हुई है। मल्लाह, बिन्द, धीमर, कश्यप के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 1993-94 में सर्वेक्षण कराने पर पाया गया कि यह जातियां अनुसूचित जाति घोषित करने हेतु निर्धारित मानको को पूरा नहीं करती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति के संबंध में नीति बनाये जाने पर विचार

*13–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां । मानक के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में श्रेणी–2 के चिकित्सक के रूप में फिजीशयन, शल्यक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलाजिस्ट, दन्त चिकित्सक तथा पैथालाजिस्ट के एक-एक पद सृजित किये गये हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में राजकीय उपचारिका प्रशिक्षण हेतु छात्राओं का सी०पी०एम०टी०/प्री इन्जीनियरिंग टेस्ट की भांति बोर्ड बनाकर चुनाव कराने पर विचार

*14–श्री अनिल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपचारिका प्रशिक्षण हेतु छात्राओं का चुनाव सी०पी०एम०टी०/प्री-इन्जीनियरिंग टेस्ट की तरह से कोई बोर्ड बनाकर कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

राजकीय उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों में सामान्य उपचारिका के तीन वर्षीय प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश उपचारिका प्रशिक्षण विनयमन अनुदेश 1997 एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित चयन प्रक्रिया नियमावली के नियमों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है । वर्तमान पारदर्शी प्रक्रिया में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई, संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में आप्टोमेट्रिस्ट के सृजित पद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी सम्बद्धता समाप्त करने के निर्देश

1–श्री दीनानाथ कुशवाहा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम्, लखनऊ में आप्टोमेट्रिस्ट के कितने पद सृजित है ? कितने ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत आप्टोमेट्रिस्ट इस चिकित्सालय में सम्बद्ध किये गये हैं ? क्या ग्रामीण क्षेत्र में उनकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सम्बद्धता निरस्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्,लखनऊ में आप्टोमेट्रिस्ट का कोई पद सृजित नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत एक आप्टोमेट्रिस्ट को, इस चिकित्सालय में स्थापित नेत्र इकाई के संचालन हेतु सम्बद्ध किया गया था।

शासनादेश संख्या–2951/5-7-02-सोलह–24/2002 दिनांक 12-8-2002 द्वारा सम्बद्धता समाप्त करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने हेतु विश्व बैंक द्वारा संचालित योजना

2–कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने हेतु विश्व बैंक द्वारा कोई योजना संचालित की गयी है ? यदि हां, तो इस योजना का प्रारूप क्या है तथा कितने वर्षों में सभी केन्द्रों को सुदृढ़ करने का लक्ष्य है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां।

जनसामान्य की जबावदेह एवं सक्षम चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु विश्व बैंक पोषित यू० पी० हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना संचालित की गयी है। योजना की कुल लागत रु० 478.70 करोड़ है। योजना में प्रदेश के 28 जनपद के 36 ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 28 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 25 जिला चिकित्सालय महिला 25 जिला चिकित्सालय पुत्र तथा 3 संयुक्त चिकित्सालय हेतु कुल 117 इकाइयों का सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।

योजना का प्रथम चरण दिनांक 26 जुलाई 2000 से प्रभावी होकर प्रदेश में 15 दिसम्बर, 2000 से प्रारम्भ हुआ है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक उपरोक्त सभी इकाइयों का सुदृढ़ीकरण करने का लक्ष्य है।

प्रदेश में प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में द्वितीय श्रेणी में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को समयबद्ध प्रोन्नत वेतनमान

3–डा० पी० के राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में द्वितीय श्रेणी में कार्यरत चिकित्साधिकारियों की प्रोन्नति के अवसर नगण्य हैं जिसके कारण उनमें से अधिकांश बिना किसी प्रोन्नति के सेवानिवृत्त हो जायेंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे चिकित्सकों को समयबद्ध/प्रोन्नति वेतनमान देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं।

उ० प्र० चिकित्सा तथा स्वास्थ्य (समूह "क") सेवानियमावली, 1990 यथा संशोधित 1994 में द्वितीय श्रेणी के चिकित्साधिकारियों को श्रेणी–1 के पदों पर विभिन्न वेतनमानों में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं तथा इस अवसर का पूरा लाभ श्रेणी–2 के चिकित्सा अधिकारियों को वर्ष 1998 तक प्राप्त हुआ है ।

वर्ष 1998 से पी०एम०एच०एस० संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के मा० उच्च/उच्चतम न्यायालय में विवादित/विचाराधीन होने तथा स्थगनादेश होने के कारण सभी वेतनमानों में पदोन्नतियां बाधित हैं ।

पी०एम०एच० एस० संवर्ग के चिकित्सकों को शासनादेश संख्या–2144/सेक–3–पांच–7(56)/87, दिनांक 04-4-90 सपठित शासनादेश दिनांक 09-5-90 की व्यवस्थानुसार पांच वर्ष की नियमित, निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान तथा शासनादेश संख्या–6470/3-5-94–7(119)/94, दिनांक 16-11-94 एवं शासनादेश संख्या–वै०आ० 2–560/दस–45(एम)–99, दिनांक 2-12-2000 के प्राविधानान्तर्गत 16 वर्ष की नियमित, निरन्तर संतोषजनक सेवा पर वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के कस्बा सांडी में महिला चिकित्सालय की कमियों को दूर करने के निर्देश

4–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के कस्बा सांडी में महिला चिकित्सालय निर्माण कराया जा चुका है ? परन्तु उक्त चिकित्सालय अभी तक संचालित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

अस्पताल संचालित कर दिया गया है । अस्पताल की कमियों को दूर किया जा रहा है । जिसके लिए महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र० को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद–शाहजहांपुर के कस्बा अल्लागंज में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की जानकारी

5–श्री शरदवीर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर के कस्बा अल्लागंज में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां । कस्बा अल्लागंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोल्जर बोर्ड के भवन में किराये पर चल रहा है । क्योंकि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु जिला योजना में कोई धनराशि प्राविधानित नहीं है ।

जिला संयुक्त चिकित्सालय, पीलीभीत में हृदय रोगियों के उपचार हेतु क्रय की गयी टी०एम०टी० मशीन को चालू कराये जाने की मांग

6–श्री रियाज अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला संयुक्त चिकित्सालय, पीलीभीत में हृदय रोगियों के उपचार हेतु टी०एम०टी० मशीन क्रय की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त मशीन अभी तक लगायी नहीं गयी है जिससे हृदय रोगियों का उपचार सही रूप से नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मशीन को कब तक चालू करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । टी०एम०टी० मशीन माह अगस्त, 1998 में क्रय की गयी तथा माह अक्टूबर, 1998 में हृदय रोग विभाग में स्थापित की गई है । मशीन पूर्णतया सही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्साधिकारी पीलीभीत कार्यालय से चिकित्साधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण की मांग

7–श्री रियाज अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी पीलीभीत कार्यालय में कितने चिकित्साधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे हैं जो कि विगत 8-10 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? उनके स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उनको जनपद के बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत के कार्यालय में कोई चिकित्साधिकारी विगत 8–10 वर्षों से कार्यरत नहीं हैं, मात्र 11 कर्मचारी बिगत 8–10 वर्षों से कार्यरत हैं ।

मितव्ययिता के दृष्टिगत कम से कम स्थानान्तरण किये जाने की नीति के कारण उक्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं किए गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया के खनिज लिपिक की जांच एवं स्थानान्तरण

8–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी, बलिया ने खनिज लिपिक की शिकायत पत्रांक सं०–1139/जी०सी, दिनांक 22 जुलाई, 2000 द्वारा शासन को प्रेषित की थी जिस पर शासन द्वारा स्थानान्तरित कर जांच किये जाने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)--

जी हां ।

जिलाधिकारी के संदर्भित पत्र में उल्लिखित शिकायती बिन्दुओं के परीक्षणोपरान्त विभागीय कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया परन्तु प्रशासनिक आधार पर खनिज लिपिक का स्थानान्तरण खनिज कार्यालय जनपद बलिया से क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक कल्याण विभाग के सहायक अधिकासी का वेतन विसंगति सम्बन्धी प्रकरण

9–श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सैनिक कल्याण विभाग में सेना से अवकाश प्राप्त जूनियर कमीशन अधिकारी जो सहायक अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं के वेतनमान की विसंगति का मामला शासन के विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि निदेशक सैनिक कल्याण ने भी पत्रांक सं०–1009/पालिसी/1सं०प०–1, दिनांक 30-11-97 द्वारा वेतनमान रु० 2000-3200 की संस्तुति बजाज वेतन समिति के सम्मुख दिनांक 12 नवम्बर, 97 को लिए निर्णय के अनुरूप प्रमुख सचिव समाज कल्याण के माध्यम से संस्तुत किया था ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं।

जी हां।

वित्त वेतन समिति (1997–99) की संस्तुति पर हुए निर्णय के अनुसार सहायक अधिकारी पद के पुनरीक्षित वेतनमान में किसी संशोधन का औचित्य नहीं पाया गया।

स्थिति ऊपर स्पष्ट की जा चुकी है।

प्रदेश के सेवानिवृत्त/पूर्व सैनिकों के रोजगार हेतु योजना

10–श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सेवानिवृत्त/पूर्व सैनिकों के रोजगार हेतु कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कोई रोजगार या स्वतः रोजगार की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां।

प्रदेश के सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों के रोजगार हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं :–

1–सैम्फैक्स योजना

2–सैम्फैक्स (कृषि योजना)

3–सैम्फैक्स (खादी एवं ग्रामोद्योग) योजना

4–वित्त पोषण योजना (अन्य)

5–एन० ई० एफ० योजना

प्रश्न नहीं उठता ।

1–पर्यावरण एवं सुरक्षा बल

2–सुरक्षा गार्ड योजना

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर पूर्व सैनिकों का पुनर्मिलन समारोह

11–श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर पूर्व सैनिकों का पुनर्मिलन समारोह कब आयोजित किया गया ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ० प्र० द्वारा प्रदेश स्तर पर पूर्व सैनिकों का पुनर्मिलन समारोह दिनांक 06 नवम्बर, 1976 को आयोजित किया गया ।

12–श्री विश्राम सिंह यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में कक्षा–1 से 12 तक के पिछड़े वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की मांग

13–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कक्षा–1 से 12 तक प्रदेश के पिछड़े वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम भुवाल निषाद)–

नहीं ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देना सम्भव नहीं है ।

जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो एवं आर० सी०एच० कैम्पों को लगाने हेतु दी गयी धनराशि एवं धन के दुरुपयोग तथा अनियमित कर्मियों की नियुक्ति संख्या की जांच

14–श्री रियाज अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो एवं आर०सी०एच० कैम्पों को लगाये जाने हेतु विगत वर्ष 2001 में कुल कितनी धनराशि दी गयी ? जनपद में कहां-कहां पर कैम्प लगाये गये तथा कुल कितने कर्मियों की नियुक्ति आर०सी०एच० के कैम्पों हेतु की गयी ? क्या उक्त कैम्पों से धन का दुरुपयोग एवं अनियमितितायें की जाने की शिकायत छात्र संघर्ष समिति, पीलीभीत के द्वारा सितम्बर, अक्टूबर, 2001 में की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

विगत वर्ष 2001-2002 में जनपद पीलीभीत को पल्स पोलियो के लिये कुल रु० 37,23,599.00 तथा आर०सी०एच० कैम्पों के आयोजन हेतु कुल रु० 6,00,000.00 की धनराशि आवंटित की गयी थी।

जनपद पीलीभीत में वर्ष 2001-2002 में कुल 34 आर०सी० एच० कैम्प विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगाये गये थे। आर०सी०एच० कैम्पों में विभागीय अधिकारियों/चिकित्सकों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी। इस हेतु पृथक से कोई नियुक्ति नहीं की गयी थी।

जी हां।

जी हां।

जांच रिपोर्ट परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला संयुक्त चिकित्सालय, जनपद पीलीभीत में 8–10 वर्षों से अधिक कार्यरत चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

15–श्री रियाज अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–पीलीभीत में कुल कितने चिकित्साधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे हैं जो विगत 8-10 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? उनके स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उनको जनपद से बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जिला संयुक्त चिकित्सालय, पीलीभीत में समूह "क" के दो व समूह "ख" के दो चिकित्साधिकारी विगत 8–10 वर्षों से कार्यरत हैं। समूह "ग" लिपिक वर्ग का कोई कर्मचारी विगत 8–10 वर्षों से कार्यरत नहीं हैं। समूह "घ" के 32 कर्मचारी विगत 8–10 वर्षों से कार्यरत हैं।

मितव्ययिता के दृष्टिगत कम से कम स्थानान्तरण किए जाने को स्थानान्तरण नीति के कारण उक्त चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में कार्यरत उर्दू अनुवादकों को निदेशालय से सम्बद्ध किये जाने की जानकारी

16–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महिला कल्याण निदेशालय में कितने उर्दू अनुवादक सम्बद्ध हैं ? क्या जनपद सीतापुर में कार्यरत उर्दू अनुवादक को भी निदेशालय में सम्बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

एक।

जी हां ।

प्रश्नगत कर्मचारी की बीमारी के उपचार हेतु ।

प्रदेश में विधायक निवास–4 रायल होटल अनुरक्षण खण्ड–2 सिविल में आवंटित धनराशि व्यय न करने एवं कालीदास मार्ग पर व्यय किये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

17–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास–4 रायल होटल अनुरक्षण खण्ड–2 सिविल की वित्तीय वर्ष 2001-2002 में पुताई सड़क, रंगाई, पेंटिंग मरम्मत का कार्य आदि हेतु कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या यह सही है कि आंवटित धनराशि को विधायक निवास–4 रायल होटल में न लगाकर कालीदास मार्ग पर व्यय किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में अनुरक्षण खण्ड–2 सिविल के विधायक निवास–4 रायल होटल में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत बाहरी सतह पर प्लास्टर मरम्मत एवं सीमेंट से पुताई के कार्य हेतु रु०–3.09 लाख, परिसर का सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण, ड्रेन व ब्रिक आन एजिंग के कार्य हेतु रु०–2.51 लाख तथा विभिन्न आवासों के बाथरूम एवं मेन डोर के सड़े/गले दरवाजों को बदलने के कार्य हेतु रु०–82,701/- की धनराशि का आवंटन किया गया था । वार्षिक अनुरक्षण मद के अन्तर्गत रंगाई, पेंटिंग, कक्षों को आन्तरिक पुताई एवं अन्य सामान्य मरम्मत मद में रु०–4.82 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया था । मूल कार्य के अन्तर्गत कक्ष संख्या–3 के सामने कमरे के निर्माण हेतु रु०–1.10 लाख एवं कक्ष संख्या–41 के बाथरूम एवं टायलेट के नवीनीकरण हेतु रु०–33,012/- की धनराशि का आवंटन किया गया था ।

यह सही नहीं है कि आवंटित धनराशि को विधायक निवास–4 रायल होटल में न लगाकर कालिदास मार्ग पर व्यय किया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार कोई त्रुटि न किये जाने के कारण कोई दोषी नहीं है, अतएव कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद जौनपुर में महिला समृद्धि योजना

18–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मनका देवी पत्नी स्व० श्री राम खलावन सिंह, ग्राम हरीपुर, घुरहूपुर विकास खण्ड जलालपुर, जनपद जौनपुर को महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत विधवा/वृद्धावस्था पेंशन वर्ष 1998-1999 में स्वीकार किया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से वर्ष 99 के बाद उनकी पेंशन का भुगतान नहीं किया गया ? क्या मा० मंत्री जी इसकी जांच कराकर

रुकी हुई पेंशन का भुगतान कराने तथा इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कराने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

श्रीमती मनकादेवी पत्नी स्व० श्रीराम खेलावन सिंह के बजाय श्रीमती मनकराजी देवी पुत्री श्री राम प्रसाद निवासी ग्राम हरीपुर घुरहूपुर को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गयी थी । श्रीमती मनकराजी देवी को वर्ष 1998-99 तक चेक द्वारा भुगतान किया गया । वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2001-02 तक वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि रुपया 1500/-प्रति वर्ष सीधे उनके खाते में हस्तान्तरित करने के लिये चेक डाक घर को भेज दिया गया, किन्तु डाकघर में श्रीमती मनकराजी देवी के पति का नाम होने के कारण आपत्ति लगाते हुए भुगतान रोक दिया गया । उपरोक्त विवरण के अनुसार कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में मछुवा समुदाय के लोगों को बालू खनन के पट्टे प्रदान किये जाने की योजना

19–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में मछुआ समुदाय के लोगों को बालू खनन के पट्टे प्रदान किये जाने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

योजना पूर्व से ही बनी हुई है ।

मछुआ समुदाय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों को जो परम्परागत रूप से इस व्यवसाय में संलग्न हैं, को नदी तल में उपलब्ध उप खनिजों के खनन पट्टे प्राप्त करने में प्राथमिकता दिये जाने के लिए शासकीय अधिसूचना संख्या–1773/77-5-2002–729 एस० आई० डी० (आर)/2001, दिनांक 12-4-2002 द्वारा उ० प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम–9 (क) व 53(क) में संशोधन कर आवश्यक प्राविधान किये गये हैं परन्तु संदर्भित प्रकरण में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10-9-2001 को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जाने के कारण, उक्त प्राविधान सम्प्रति निष्प्रभावी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के कस्बा बिलग्राम में महिला अस्पताल के जर्जर भवन की मरम्मत किये जाने के निर्देश

20–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के कस्बा बिलग्राम में महिला अस्पताल का भवन बहुत ही जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल का नया भवन बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

अस्पताल का भवन मरम्मत योग्य है ।

भवन की मरम्मत हेतु महानिदेशक, (स्वास्थ्य सेवायें) को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया की कतिपय तहसीलों में बालू खनन पट्टों के नवीनीकरण की जांच पर कार्यवाही की मांग

21–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री को जानकारी है कि नदी तल उपलब्ध उप खनिजों के परिहार स्वीकृत करने पर लगायी गयी रोक के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अनुभाग–5 के शासनादेश सं०–2960/77–52001–46 डब्लू० दिनांक 13 जून, 2001 समस्त जिलाधिकारियों के नाम जारी किया गया था ? यदि हां, तो जनपद बलिया में तहसील बेल्थरा रोड के घाघरा नदी तल के बालू खनन क्षेत्रों का अनुज्ञा-पत्र शासनादेश का गलत निर्वाचन करके देवनारायण पुत्र हरिनारायन, ग्राम–टगुनिया, पो० चैनपुर गुलौरा, जिला बलिया द्वारा तीन बार प्राप्त कर लिया गया ? क्या यह भी सही है कि तहसील सिकन्दरपुर के बालू खनन क्षेत्रों का नथुनी ग्राम कैठौडा, पो कुतुमगंज घाट जिला बलिया के नाम पट्टे की नवीनीकरण भी कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश के उल्लंघन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां । शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि जिलाधिकारी बलिया द्वारा अपने आदेश क्रमशः दिनांक 28-8-2001, 02-1-2002 एवं दिनांक 30-4-2002 द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं ।

जी हां । शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि जिलाधिकारी बलिया द्वारा पट्टों का नवीनीकरण भी किया गया है ।

जी हां । प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु मुख्य खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश को जांच अधिकारी बनाया गया है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत में कार्यरत उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा० जी० के० कुरील पर सरकार द्वारा रिकवरी के कथित आदेश

22–श्री रियाज अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में कार्यरत उप मुख्य चिकित्साधिकारी, डा० जी० के० कुरील जब जनपद इटावा में कार्यरत थे, उस समय उनसे 4,50,000/- रु० (चार लाख पचास हजार रुपये) की रिकवरी के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे ? यदि हां, तो उन्हें जनपद–पीलीभीत में राष्ट्रीय कार्यक्रमों आर०सी०एच० का प्रभारी बनाये जाने का औचित्य क्या है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा उद्योग के लिए बुनकरों को सस्ते दाम पर सूत उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना

23–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम को केन्द्र सरकार द्वारा सब्सीडी बन्द कर देने के कारण बुनकर समाज भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ? क्या सरकार हथकरघा उद्योग के लिए बुनकरों को सस्ते दामों पर सूत उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जनपद में प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करने तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

24–श्री राम करन आर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण करने की क्या प्रक्रिया है ? बस्ती जनपद में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं और उनमें से कितने विद्यालयों के छात्रों को वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में छात्रवृत्ति वितरित की गयी ? जिन विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृति नहीं दी गयी है, इसके लिये कौन-कौन दोषी है ? क्या दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम निधि में छात्रवृत्ति की धनराशि स्थानान्तरित करके ग्राम पंचायत समिति के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण कराया जाता है तथा शहरी क्षेत्रों में छात्रवृत्ति की धनराशि संयुक्त खाते में स्थानान्तरित करके विद्यालय स्तर पर गठित समिति के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण कराया जाता है ।

बस्ती जनपद में वर्ष 2000-2001 में 1431 तथा वर्ष 2001-2002 में 1483 प्राइमरी विद्यालय थे । वर्ष 2000-2001 में कुल 1239 तथा वर्ष 2001-2002 में 1323 विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गयी । वर्ष 2000-2001 में 192 विद्यालयों को तथा 2001-2002 में 160 विद्यालयों को विद्यालय द्वारा मांग-पत्र उपलब्ध न करा पाने के कारण छात्रवृत्ति नहीं भेजी जा सकी । इसके लिए सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक उत्तरदायी हैं ।

जी हां । जिला समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती के पत्रांक–1227, दिनांक 1-8-2002 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती को उत्तरदायी प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु लिखा गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

25-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में उपचारिकाओं के रिक्त पदों को भरने की जानकारी

26-श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 30 जून, 2002 तक उपचारिकाओं के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

कुल 722 पद रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 2001 में 714 पदों को भरने के लिये विज्ञापन किया गया था किन्तु मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण रिक्त पद वर्तमान समय में भरा जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई के हरपालपुर कस्बों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मानक के आधार पर सुविधायें उपलब्ध कराने एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही

27-श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के हरपालपुर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मानक के अनुसार सभी सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानक के अनुसार सभी सुविधायें उपलब्ध करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरपालपुर में चिकित्सकों के कतिपय पदों को छोड़कर अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध है ।

चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही क्रमित है ।

प्रदेश की रसड़ा एवं जौनपुर की कताई मिलों को चालू कराने की मांग

28-कुं० रेवती रमण सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी कताई मिलें हैं ? क्या यह सत्य है कि उनमें से काफी मिलें बन्द हो गयी हैं तथा कई बन्दी के कगार पर हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मिलों को चलाने के लिए कोई योजना बनायी गयी है ? रसड़ा एवं जौनपुर की कताई मिलों के लिए सरकार द्वारा कोई पैकेज बनाया गया था ? यदि हां, तो उस पर प्रभावी कार्यवाही कब से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में कुल 106 कताई मिलें हैं । इनमें सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की मिलें सम्मिलित हैं ।

जी हां ।

टैक्सटाइल फेडरेशन समूह की बन्द कताई मिलों को आगे राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र में चलाया जाना संभव नहीं है । परन्तु इन मिलों को निजीकरण के माध्यम से पुनर्वासित किये जाने का राज्य सरकार का विनिश्चय है । रसड़ा (जनपद–बलिया) एवं जौनपुर स्थित कताई मिलें उ० प्र० स्टेट यार्न कम्पनी लि० की इकाइयां हैं । इस कम्पनी के पुनर्वासन हेतु दिनांक 16-6-1997 को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा एक स्कीम स्वीकृत की गयी थी, जिसमें निर्दिष्ट राज्य सरकार से अपेक्षित अनुघोष एवं रियायतें उपलब्ध करायी गयीं थी । परन्तु इसके उपरान्त भी इस कम्पनी की इकाइयों की स्थिति में सुधार नहीं आ सका । इसके परिणामस्वरूप इस कम्पनी की रसड़ा (जनपद–बलिया) इकाई विधिक रूप से बन्द हो गयी है, परन्तु जौनपुर इकाई चल रही है ।

पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में उद्योग लगाये जाने की योजना

29–कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में उद्योग लगाने की कोई कार्य योजना वित्तीय वर्ष 2002-2003 में सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

हां ।

कार्य योजना निम्नवत् है :–

पूर्वांचल क्षेत्र में जनपद सोनभद्र में खनिज बाहुल्य क्षेत्र ओबरा डाला में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, मिनरल डिवीजन द्वारा वैज्ञानिक तरीके से खनन एवं पर्यावरण मानकों को दृष्टिगत करते हुए मिनरल स्टेट की स्थापना हेतु प्रारम्भिक अध्ययन कार्य चल रहा है । मिनरल स्टेट में पर्यावरण मानकों के अनुसार कशिंग संयत्र लगाये जायेंगे तथा उद्यमियों को सार्वजनिक डम्पिंग सुविधा, रेलवे साइडिंग, बैंकिंग, संचार सुविधायें, पानी के छिड़काव, वेब्रिज मशीन, प्राथमिक उपचार केन्द्र तथा अतिथि गृह की सुविधा एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकेगी ।

जनपद सोनभद्र चाइना क्ले भण्डार को विकसित करने हेतु परीक्षण कार्य किया जा रहा है । यदि संभाव्यता रिपोर्ट के अनुसार चाइना क्ले के भण्डार संभाव्य पाये गये तो इससे सेरामिक तथा पॉटरी उद्योग को प्रदेश में विकसित कराया जायेगा ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ललितपुर जनपद में उपलब्ध सैण्डस्टोन तथा ग्रेनाइट की उपलब्धता एवं पर्याप्त मांग को दृष्टिगत रखते हुए उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम मिनरल डिवीजन द्वारा संयुक्त क्षेत्र में उद्योग लगाने की संभावना पर कार्यवाही करायी जा रही है । इसके अतिरिक्त मूलभूत सुविधाओं का अध्ययन कराया जा रहा है जिससे डाइमेंशनल स्टोन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा ।

जनपद ललितपुर में उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम के मिनरल डिवीजन द्वारा रॉक फास्फेट खनिज हेतु लगभग रुपया 70 करोड़ की लागत का खनन सह-शुद्धीकरण संयंत्र लगाया जाना प्रस्तावित है । परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है ।

इसके अतिरिक्त पूर्वांचल में उद्योग लगाए जाने के संबंध में निदेशालय स्तर से वर्ष 2002-2003 में सर्वेक्षण का कार्य कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी के विरुद्ध जांच

30–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी के विरुद्ध कितनी शिकायतें 1 जनवरी, 2001 से 30 मई, 2002 तक जिला स्तर पर एवं शासन स्तर पर प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जिला समाज कल्याण अधिकारी बाराबंकी के विरुद्ध 1 जनवरी, 2001 से मई, 2002 तक जिला स्तर पर एवं शासन स्तर पर कुल 07 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत बहुताचक उपाध्याय के ग्राम प्रधान द्वारा 05 वर्षों में हरिजनों/पिछड़े वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के फर्जी भुगतान की जांच

31–श्री राम करन आर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा बहुताचक उपाध्याय के ग्राम प्रधान द्वारा विगत 5 वर्षों में हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान फर्जी नाम दर्शाकर कर लिया गया है ? क्या यह भी सही है कि गरीब बच्चों के नाम से मिलने वाली राशन सामग्री को फर्जी नामों से आहरित कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराते हुए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रकरण की जांच करा ली गयी है । जांच आख्या के अनुसार प्राइमरी पाठशाला बहुताचक उपाध्याय बलिया के छात्रों के खाद्यान्न वितरण में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है । छात्रवृत्ति वितरण में वर्ष 1997-1998 की धनराशि में से रु० 1500/–की अनियमितता/गबन का मामला प्रकाश में आया है । इस अनियमितता/गबन के लिए दोषी पाये गये छात्रवृत्ति वितरण समिति के सदस्य श्री सुभाष चन्द्र गुप्त तत्कालीन प्रधानाध्यापक, श्री भृगुनाथ पुत्र श्री प्रभुनाथ एवं श्री सदाफल (अनुसूचित जाति सदस्य) के विरुद्ध थाना उभांव जिला बलिया में जिला समाज कल्याण अधिकारी बलिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में हेपेटाइटिस बी के रोगियों की बढ़ती संख्या

32–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में हेपेटाइटिस बी के रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए टीकाकरण अभियान चलाने की कोई योजना शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इससे संबंधित योजना भारत सरकार द्वारा चलाया जाना विचाराधीन है । अतः राज्य सरकार द्वारा इसे चलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में निर्धन व्यक्तियों की लड़कियों की शादी हेतु धनराशि का आवंटन

33–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्धन व्यक्तियों की लड़कियों की शादी करने हेतु अनुदान देने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार हरदोई जनपद में इसकी अनुदान हेतु धनराशि देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है ।

जनपद हरदोई हेतु वर्ष 2002-2003 में अनुदान हेतु रु० 8.20 लाख की धनराशि आयोजनेत्तर मद से आवंटित की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महिला कल्याण एवं बाल विकास निदेशालय से नियुक्त लिपिकों का स्थानान्तरण जनपदों में किये जाने की मांग

34–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग द्वारा लिपिकीय सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी है ? क्या यह सही है कि प्रख्यापित सेवा नियमावली में निदेशालय जनपद एवं मण्डल का संवर्ग एक दर्शाया गया है ? यदि हां, तो निदेशालय से लिपिकों का स्थानान्तरण जनपदों में न करने का क्या कारण है ? क्या निदेशालय में नियुक्त लिपिकों का स्थानान्तरण जनपदों में किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां ।

जी हां ।

आवश्यकता नहीं पाई गई ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 1998 से 2002 माह जून तक उत्पीड़न के दर्ज कथित मामले

35–श्री संजय गर्ग–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० पिछड़ा वर्ग आयोग में वर्ष 1998 से 2002 माह जून तक कितने मामले उत्पीड़न के दर्ज किये गये हैं ?

श्री राम भुवाल (निषाद)–

वर्ष 1998 से माह जून, 2002 तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उ० प्र० में उत्पीड़न के कुल 3529 मामले दर्ज हुए हैं ।

प्रदेश में महिलाओं के रोजगार हेतु योजना

36–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं के रोजगार हेतु कौन-कौन सी योजनायें चलायी जा रही हैं ? उन योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 102-103 पर ।)

37–श्री संजय गर्ग–

[मा० उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद हरदोई के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायतों की जांच

38–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला, जनपद हरदोई के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम० 2/38115/ हरदोई/2000 दिनांक 27-9-2000, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

शिकायतों की जांच संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ मण्डल, लखनऊ से कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धावस्था, विधवा पेंशन देने हेतु बनायी गयी कार्ययोजना

39–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धावस्था, विधवा पेंशन देने हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां ।

पेंशन की पहली छमाही की धनराशि 15 अगस्त, 2002 तक तथा द्वितीय छमाही की धनराशि 31 दिसम्बर, 2002 तक लाभार्थियों के बैंक खाते में संक्रमित कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में विशेषज्ञों/चिकित्सकों/कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में जानकारी

40–श्री दिनेश सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में अलग-अलग विशेषज्ञों/चिकित्सकों/कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं और उन पदों पर कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि एक्सरे पैथालोजी एवं अल्ट्रासाउन्ड विभाग विशेषज्ञों/चिकित्सकों के अभाव में कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त पदों पर विशेषज्ञों/चिकित्सकों/कर्मचारियों की तैनाती कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में विशेषज्ञों/चिकित्सकों/कर्मचारियों के स्वीकृत पद और उनके विरुद्ध कार्यरत कर्मियों का विवरण निम्नवत् है :–

	विशेषज्ञ/चिकित्सक	कर्मचारी
स्वीकृत पद	18	62
कार्यरत	10	32

चिकित्सालय में पैथोलोजी विभाग में पैथोलोजिस्ट तैनात हैं तथा इस विभाग का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित हो रहा है । एक्स-रे विभाग में रेडियोलोजिस्ट का पद रिक्त है । चिकित्सालय में अल्ट्रासाउन्ड उपलब्ध नहीं है ।

विशेषज्ञों/चिकित्सकों/कर्मचारियों की तैनाती शीघ्र कर दी जायेगी ।

प्रदेश में महिला कल्याण विभाग निदेशालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति के संबंध में जानकारी

41–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण विभाग निदेशालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति क्या है ? बालिका निकेतन, इलाहाबाद में कितने लिपिकीय कर्मचारी ऐसे हैं जो उक्त नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण के पात्र हैं ? क्या सरकार उन्हें स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

विभाग की कोई पृथक स्थानान्तरण नीति नहीं है। शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति के अनुसार सामान्यतः कोई स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा किन्तु :–

(क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किए जा सकेंगे।

(ख) प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किए जा सकेंगे।

(ग) किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण जैसे–चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर स्थान रिक्त होने या दूसरे कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा बशर्ते कि उस पर प्रशासनिक आपत्ति न हो।

(घ) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद नगर/स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(ङ) कोई प्रतिकूल तथ्य न होने पर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ग के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकेगा।

कोई नहीं। बालिका निकेतन में कार्यरत लिपिकों का इस वर्ष स्थानान्तरण संबंधी कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ और न ही किसी के विरुद्ध कोई शिकायत ही प्राप्त हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संडीला में चिकित्सक/कर्मचारी/टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

42–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला हेतु कितने चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारी स्वीकृत हैं ? वर्तमान समय में कौन-कौन से पद रिक्त हैं ? उन पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त केन्द्र में टेक्नीशियन का पद भी स्वीकृत है यदि हां, तो क्या उक्त पद पर नियुक्ति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में चिकित्सक के 7 तथा अन्य 18 पद स्वीकृत हैं।

बाल रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है। शेष चिकित्सक कार्यरत हैं। अन्य कर्मचारियों में स्टाफ नर्स 3, डार्करूम सहायक–1, धोबी–1, क्लीनर कम अटेन्डेन्ट–1 के पद रिक्त हैं।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को छोड़कर अन्य पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में हैं तथा चतुर्थ श्रेणी पर नियुक्ति शासन से प्रतिबन्ध समाप्त करने पर की जायेगी ।

जी हां, (लैब टेक्नीशियन–1, तथा एक्स-रे टेक्नीशियन–1 पद स्वीकृत है)

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में एक्सरे मशीन स्थापित किये जाने की मांग

43–श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में एक्सरे मशीन 100 एम०ए० तथा अन्य उपसाधन हेतु शासनादेश सं०–3501/5-6-97 एस०एन०डी० दिनांक 31 मार्च, 1997 द्वारा पांच लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्र पर एक्सरे मशीन स्थापित करा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के क्या कारण हैं ? एक्सरे मशीन कब तक लगा दी जायेगी ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला उन्नाव में बालू खनन पट्टे निरस्त किये जाने के संबंध में जानकारी

44–हाजी मुश्ताक सोलंकी–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील, उन्नाव सदर के राजस्व कर्मचारियों द्वारा ग्राम शंकरपुर सराय परगना सिकन्दरपुर सिरोसी तहसील व जिला उन्नाव के बालू खनन पट्टा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या पट्टा धारकों द्वारा अपने-अपने पट्टा क्षेत्रों में बालू खनन कार्य न करके उनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में बालू खनन का कार्य किया जा रहा है ? क्या जिलाधिकारी ने इसकी जांच करायी ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा उनके बालू खनन के पट्टे निरस्त किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । उल्लिखित बालू खनन पट्टा तहसील, उन्नाव सदर के राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं अपितु जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा दिया गया है ।

पट्टाधारकों द्वारा अपने-अपने पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र के अतिरिक्त बाहर के क्षेत्र में भी खनन कार्य किया जाना पाया गया है ।

जी हां ।

जांच आख्या के आधार पर पट्टाधारकों से प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त, दोनों प्रकार के रवन्ना (प्रपत्र–एम०एम०–11) समर्पित कराकर अवैध बालू खनन एवं उस पर देय रायल्टी व अर्थदण्ड का परीक्षण जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा किया जा रहा है तथा अग्रिम आदेशों तक पट्टाधारकों को एम०एम०–11 की आपूर्ति रोक दी गयी है ।

जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा अवैध बालू खनन कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

45–हाजी मुश्ताक सोलंकी–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक–6762/77-5-2001-495 दिनांक 24-10-2001 द्वारा जिलाधिकारी, उन्नाव को अवैध बालू खनन कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने और उनसे दण्डराशि वसूलने के आदेशों का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । शासन के पत्र सं०–6362/77-5-2001–495, दिनांक 24-10-2001 न कि पत्रांक–6762/77-5-2001–495 दिनांक 24 अक्टूबर, 2001 के द्वारा जिलाधिकारी उन्नाव को ग्राम शंकरपुर सराय में फर्जी सहमति पत्रों के आधार पर श्रीमती शकुन सिंह एवं श्री मणिदीप सिंह द्वारा अवैध बालू खनन के विरुद्ध ''कारण बताओ नोटिस'' जारी करते हुए विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था । शासन के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा अवैध खनन की बालू की रायल्टी हेतु श्रीमती शकुन सिंह को रु० 1,58,040-00 एवं श्री मणिदीप सिंह को रु० 3,29,490-00 की वसूली हेतु दिनांक 26-11-2001 को नोटिस निर्गत की गयी थी ।

श्री मणिदीप सिंह द्वारा शासन के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत किया गया था, जिस पर दिनांक 7-6-2002 को पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी उन्नाव को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दिया गया था कि पुनरीक्षणकर्ता को सुनकर यथोचित आदेश पारित करें तथा निर्णय होने तक वसूली स्थगित रखें ।

श्रीमती शकुन सिंह द्वारा समयान्तर्गत देय धनराशि जमा न करने के कारण जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा दिनांक 30-4-2002 को उक्त धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है ।

जी नहीं ।

क्योंकि दोनों प्रकरणों पर कार्यवाही प्रचलित है । इसलिए किसी अधिकारी को दोषी नहीं माना जा सकता । इसके दृष्टिगत किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

46–हाजी मुश्ताक सोलंकी–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

प्रदेश में विमुक्त जाति के कल्याण की योजना की जानकारी

47–श्री संजय गर्ग–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विमुक्त जाति के अन्तर्गत कौन-कौन सी जातियों को विमुक्त जाति घोषित किया गया है ? क्या विमुक्त जाति के कल्याण की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

प्रदेश में विमुक्त जातियों को शासनादेश सं०–529/26-3-2001–3(12)/80, दिनांक 27-2-2001 के अन्तर्गत निम्नलिखित जातियों को विमुक्त जाति घोषित किया गया है :–

1–बंजारा

2–भर

3–दलेरे, कहार

4–गंडीला

5–घोसी (हिन्दू)

6–केवट

7–मल्लाह

8–लोध

9–मेवाती

10–औधिया

11–तगाभाट

12–खुरपल्टा

13–मोगिया (मोंग)

14–मदारी

15–सिंगीवाला

16–औघड़

17–वेद

18–भाट

19–चमरमंगता

20–जोगी

21–जोगा

22–किंगिरिया

23–महावत (लुंगीपठान)

24–भतरी

25–सपेरा (सपेरिया)

26–कुरपंगिया (हिन्दू महावत)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

27–बेलदार

28–कनमैलिया

29–घोशियान

30–लोना चमार

31–गोदाहार

32–बुर्जी

33–सिंगलीगर

34–कंकाली

35–ब्रजवासी

36–कुलन्दर फकीर

विमुक्त जाति के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं :–

1–कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति ।

2–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय ।

3–स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय (शत-प्रतिशत अनुदान पर) ।

4–स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावास ।

5–राजकीय उन्नयन बस्ती ।

6–विमुक्त जाति औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र ।

उपरोक्त योजनाओं से विमुक्त जातियों को निःशुल्क शिक्षा, वस्त्र, भरण-पोषण एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में खाद्य निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा

48–श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में गोड़ जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की मांग

49–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोड़ जाति उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है ? यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उन्हें निर्गत किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया की सदर तहसील में गोड़ जाति का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने हेतु लम्बित आवेदन-पत्र

50–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की सदर तहसील में गोड़ जाति के कितने आवेदन पत्र गत मार्च 2002 से अब तक जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने हेतु लम्बित है ? जाति प्रमाण पत्र अब तक निर्गतन किये जाने का कारण क्या है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने की मांग

51–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने का अधिकार संसद में निहित है । राजभर जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किये जाने हेतु प्रस्ताव वर्ष 1982 में भारत सरकार को प्रेषित किया गया था । भारत सरकार द्वारा निर्णय अभी प्रतीक्षित है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में राजभर जाति के उत्थान की योजना

52–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में राजभर जाति की आबादी का अधिकांश हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है ? यदि हां, तो उनके उत्थान हेतु क्या सरकार कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय महिला/पुरुष द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग

53–श्री रियाज अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत में वित्तीय वर्ष 2000-2001 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय महिला/पुरुष द्वारा मंरीजों के प्रयोगार्थ दवाईयां तथा अन्य सामग्री मान्यता प्राप्त फर्मों से न खरीद कर वित्तीय अनियमिततायें की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

समस्त क्रय प्रचलित नियमों के अधीन किया गया है । अनियमितता परिलक्षित नहीं हुयी अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने हेतु कार्य योजना

54–कुं० रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की औद्योगिक विकास दर कितनी है ? क्या प्रदेश की औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1997-2002 तक प्रदेश की विनिर्माण के क्षेत्र में औसत विकास दर 5.5 प्रतिशत रही ।

हां ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्यात नीति के अन्तर्गत निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सुविधाएं दे रही है । नई औद्यौगिक नीति घोषित की जा चुकी है जिसके अन्तर्गत श्रम/पर्यावरण एवं कर निबंधन संबंधी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं :–

1–प्रदेश में एकल मेज व्यवस्था ।

2–प्रदेश में इंस्पेक्टर राज समाप्त कर दिया गया है ।

3–पचास करोड़ रुपए या उससे अधिक पूंजी विनियोजन वाली इकाइयों की समस्याओं के निराकरण हेतु समिति का गठन किया गया है ।

4–मा० मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है ।

5–श्रम अधिनियमों का सरलीकरण कराया जा रहा है ।

6-त्वरित निर्णय हेतु निर्यात प्रोत्साहन प्राधिकृत समिति का गठन निर्यातक इकाइयों के लिए अलग से किया गया है।

7-निर्यात संवर्धन क्षेत्र में श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को विशेष छूट दी गई है।

8-निर्यात बाहुल्य क्षेत्र में उच्च कोटि की आवस्थापकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

9-प्रदेश में आगरा, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, मुरादाबाद में इनलैण्ड कंटेनर डिपो की स्थापना करके डाइपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मुरादाबाद में टर्मिनल डिपों स्थापित किया गया है तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में उच्चकोटि का टर्मिनल डिपो स्थापित कराया जा रहा है।

10-लखनऊ, वाराणसी में एअर कारगो की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा लखनऊ हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विकसित किया जा रहा है।

11-निर्यातकों को सम्मान देने हेतु ग्रीन गोल्ड कार्ड तथा ग्रीन सिल्वर कार्ड शासन द्वारा निर्गत किये गये हैं।

12-डाक विभाग द्वारा निर्यात की सुविधा आगरा, वाराणसी तथा मुरादाबाद में स्थापित की गई है।

13-प्रदेश में राज्य निर्यात पुरस्कार योजना चलाई जा रही है।

14-विपणन सहायता योजना के अन्तर्गत विदेशी व्यापार मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु अनुदान/निर्यात उत्पादों के प्रचार हेतु सामग्री छपाई हेतु अनुदान तथा आई० एस० ओ० 9000 एवं 14000 प्राप्त करने हेतु अनुदान देने की व्यवस्था निर्यातकों के लिए की गई है।

15-निर्यात भाड़ा प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत प्रति कन्टेनर रुपया 1000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।

16-निर्यातक इकाईयों को मशीन, औजार, कच्चा माल, पैकिंग मटैरियल आदि खरदीने पर पर्चेज टैक्स से छूट दी गई है।

17-निर्यातक इकाईयों को इंट्री टैक्स तथा मंडी शुल्क से छूट दी गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर में बालू खनन पर प्रतिबन्ध को समाप्त करने की मांग

55-डा० शिव प्रताप यादव-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर में बालू खनन पर रोक लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बालू खनन के प्रतिबन्ध को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । बालू खनन पर रोक नहीं है, अपितु मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ''यथास्थिति'' बनाये रखने के आदेश के अन्तर्गत नये पट्टों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण पर रोक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिहार पर विधिवत स्वीकृत क्षेत्रों में बालू खनन पर कोई रोक नहीं है । अतः बालू खनन के प्रतिबन्ध को हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता । मा० सर्वोच्च न्यायालय में सरकार द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में कार्यरत मशीन सहायक, आफसेट कर्मचारियों को वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुसार समयमान वेतनमान दिये जाने की मांग

56–श्री फागू चौहान–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–वे०आ०–2-260/दस-45(एस)/99 दिनांक 2-12-2000 के अनुसार राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के आफसेट मशीन सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान दिया गया है ? क्या यह सही है कि ऐशबाग में कार्यरत मशीन सहायक, आफसेट कर्मचारियों को वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुसार समयमान वेतनमान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मशीन सहायक आफसेट कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी हां ।

क्योंकि अनुमन्य नहीं है ।

प्रकरण वेतन आयोग के समक्ष विचाराधीन है । निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में सहायक रिटचर-कम-प्लेट प्रिपेयर को परिवर्तित वेतनमान दिया जाना

57–श्री फागू चौहान–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में सहायक रिटचर-कम-प्लेट प्रिपेयर के पद पर नियुक्त हेतु वेतनमान 1200-30-1440-द०रो०-40-1800 में नवम्बर/दिसम्बर, 1995 में आवेदन-पत्र मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसमें सफल अभ्यर्थियों को उक्त वेतनमान में कार्यभार ग्रहण न कराके वेतनमान रु० 950-20-1150- द०रो०-25-1500 में आदेश संख्या–926 दिनांक 12-10-96 के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया ? क्या मुख्य मंत्री जी सहायक रिटचर-कम-प्लेट प्रिपेयर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को विज्ञापन में उल्लिखित वेतनमान रु० 1200-30-1440-द०रो०-40-1800 दिलाये जाने हेतु आदेश निर्गत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि उक्त पद पर कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व ही मुद्रणालय में ढांचा परिवर्तन के फलस्वरूप शासन के आदेशानुसार वेतनमान परिवर्तित कर दिया गया था।

जनपद फिरोजाबाद में मानक के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

58–श्री अजीम भाई–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितनी जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का मानक निर्धारित किया गया है ? क्या जनपद फिरोजाबाद में उक्त मानक के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

तीस हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का मानक निर्धारित है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी सुल्तानपुर को अनुसूचित वर्ग के विवाद हेतु देय अनुदान में ट्रेजरी चेकों सम्बन्धी शिकायती पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

59–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुलतानपुर को सम्बोधित हनुमान सरोज व परशुराम सरोज क्रमशः ग्राम नीमी, सिरखिरी ब्लाक जामों, सुलतानपुर का पत्र जो भू०पू० विधायक तेजभान सिंह के उपरिपत्र दिनांक 13-6-02 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में अनुसूचित वर्ग के विवाह हेतु देय अनुदान में ट्रेजरी चेक को समय से न देने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, सुल्तानपुर के कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

जी हां।

कालातीत चेकों को निरस्त करने के उपरान्त चेकों के सापेक्ष पुनः धनराशि की व्यवस्था हेतु वांछित कार्यवाही करने के लिए निदेशक समाज कल्याण द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने की मांग

60–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष में 15 जून, 2002 तक जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में सर्जन, बेहोशी के डाक्टर, महिला चिकित्सक, रेडियोलाजिस्ट, चर्मरोग विशेषज्ञ का स्थानान्तरण करके कार्यमुक्त कर दिया गया था ? परन्तु उनके स्थान पर किसी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गयी जिसके कारण इस चिकित्सालय में चिकित्सकों के अभाव में मरीजों को गोरखपुर मेडिकल कालेज या जिला चिकित्सालय बस्ती में रिफर करना पड़ता है ? यदि हां, तो उक्त रिक्त स्थानों पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर शीघ्र तैनाती की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के तहसील मुख्यालय बिलग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की मरम्मत हेतु धनराशि की मांग

61–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के तहसील मुख्यालय बिलग्राम की नगरपालिका परिषद् की सीमा के अन्दर निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सभी कमरों की छतें गिर गई हैं व दरवाजे, शीशे आदि टूट-फूट गये हैं ? क्या सरकार उक्त भवन की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

धनराशि उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जे०पी० नगर के अन्तर्गत हसनपुर तथा ब्लाक धनोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

62–श्री देवेन्द्र नागपाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जे० पी० नगर के अन्तर्गत ब्लाक हसनपुर तथा ब्लाक धनौरा में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्लाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जनपद जे०पी० नगर के ब्लाक हसनपुर, ब्लाक धनौरा में क्रमशः 5-5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली लागू किये जाने सम्बन्धी प्रकरण

63–श्री लल्लू सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक कल्याण विभाग मे कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विभागीय सेवा नियमावली बना कर कब तक लागू कर दी जायेगी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

सैनिक कल्याण विभाग में सैन्य सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति संविदा पर संविदा की शर्तों एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार की जाती है । चूंकि उक्त अधिकारी संविदा पर नियुक्त होते हैं अतः संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले अधिकारियों के लिये किसी सेवा नियमावली की आवश्यकता नहीं है ।

विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिये जिला सैनिक, नाविक एवं वैमानिक परिषद् अनुसचिवीय अधिष्ठान नियमावली 1970 तथा उ०प्र० राज्य सैनिक, नाविक एवं वैमानिक परिषद् अनुसचिवीय अधिष्ठान नियमावली 1970 प्रख्यापित है ।

स्थिति ऊपर स्पष्ट की जा चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहायक निदेशकों का उप मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जानकारी

64–श्री अनार सिंह दिवाकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महा निदेशालय एवं अपर निदेशक, लखनऊ मण्डल के कार्यालय में सहायक निदेशक के कितने पद स्वीकृत है ? स्वीकृत पदों के विपरीत कितने प्रथम श्रेणी के चिकित्साधिकारी उन पर कार्यरत है ? क्या पूल के स्वीकृत पदों से अधिक सहायक निदेशकों को उप मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों पर स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

कोई पद स्वीकृत नहीं है ।

कुल 39 प्रथम श्रेणी के चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के शिविर कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी मामलों की जानकारी

65–श्री अनार सिंह दिवाकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के शिविर कार्यालयों में कितने स्टाफ आफिसर, आशुलिपिक, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और उनके विरुद्ध कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है ? क्या मंत्री जी स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के शिविर कार्यालय में एक स्टाफ आफिसर, दो आशुलिपिक एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में एक स्टाफ आफिसर, दो आशुलिपिक एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय लाभ योजना में पात्र व्यक्तियों को धनराशि वितरित करने के सम्बन्ध में जानकारी

66–श्री संजय गर्ग–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत कितने प्रार्थना पत्र तहसील वाइज प्राप्त हुए हैं ? उनमें से कितने पात्र पाये गये, कितनों को अब तक सहायतार्थ धनराशि वितरित कर दी गई है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जनपद सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत तहसील वाइज प्राप्त आवेदन पत्र/पात्र आवेदन पत्र/सहायतार्थ धनराशि वितरित किये गये आवेदन पत्र तथा अवशेष आवेदन पत्रों का विवरण निम्नवत् है ।

वर्ष 2000-2001

क्रमांक	तहसील का नाम	आवेदन-पत्र			
		प्राप्त	पात्र	भुगतान किये गये	अवशेष
1	सदर	302	236	183	53
2	देवबंद	159	159	159	—
3	बेहट	90	90	90	—
4	नकुड़	192	192	104	88

वर्ष 2001-2002

क्रमांक	तहसील का नाम	आवेदन-पत्र			
		प्राप्त	पात्र	भुगतान किये गये	अवशेष
1	सदर	298	226	02	224
2	देवबंद	284	265	90	175
3	बेहट	152	152	100	52
4	नकुड़	232	232	76	156

अवशेष पात्र प्रार्थना-पत्रों में धनराशि का अभाव होने के कारण भुगतान नहीं किया गया।

जनपद ज्योतिबा फूले नगर, हसनपुर के खादर क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र की मांग

67–श्री देवेन्द्र नागपाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ज्योतिबा फूले नगर के विधान सभा क्षेत्र 10, हसनपुर के अन्तर्गत खादर क्षेत्र में कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जनपद ज्योतिबा फूले नगर के विधान सभा क्षेत्र 10 हसनपुर के अन्तर्गत खादर क्षेत्र में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शेरपुर, ढयोढी, कमेलपुर व तिगरी स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में गृह जनपद लखनऊ के कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी के स्थानान्तरण की मांग

68–डा० विनोद तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में एलोपैथिक के कितने एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी ऐसे है, जिनका गृह जनपद लखनऊ है ? क्या ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को लखनऊ जनपद से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व मण्डल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी श्री ओम प्रकाश तिवारी का पत्रांक 21 दिनांक 8 अप्रैल, 2002 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जनपद लखनऊ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन 33 ऐसे एलोपैथिक चिकित्साधिकारी हैं, जिनका गृह जनपद लखनऊ है।

डा० सुभाष चन्द्र दास, दन्त शल्यक, भाऊ राव देवरस संयुक्त चिकित्सालय महानगर, लखनऊ को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ है।

शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2002 द्वारा डा० दास का स्थानान्तरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पीलीभीत में बाल पोषाहार वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राशन विक्रेताओं को डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा पुष्टाहार आवंटित करने का प्रकरण

69–श्री रियाज अहमद–

क्या महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत में बाल पोषाहार वितरण कार्य क्रम के अन्तर्गत राशन विक्रेताओं को पुष्टाहार आवंटित किया जाता है ? क्या संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त पुष्टाहार डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं । क्योंकि विभाग द्वारा पुष्टाहार का वितरण सीधे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकत्रियों के माध्यम से किया जाता है, न कि राशन विक्रेताओं को आवंटित किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इसका प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1989 में गठित समता समिति की संस्तुतियों पर विचार हेतु गठित समिति द्वारा समाज कल्याण विभाग के शिक्षकों/पैरामेडिकल स्टाफ एवं गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक लखनऊ के कर्मचारियों की वेतन विसंगति के निराकरण के सम्बन्ध में जानकारी

70–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1989 में गठित समता समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समाज कल्याण विभाग के क्रमशः शिक्षकों/पैरामेडिकल स्टाफ एवं गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक लखनऊ के कर्मचारियों की वेतन विसंगति के निराकरण के विषय में लिये गये निर्णयों के क्रमांक–1 पर शिक्षकों के विषय में कोई शासनादेश निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संस्तुति के अनुरूप वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग के परामर्शानुसार शिक्षा विभाग के समान निर्धारित अर्हता/भर्ती की विधि तथा शिक्षण के स्तर की समाज कल्याण विभाग में समकक्षता निश्चित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद गोण्डा में ''राजकीय आश्रम पद्धति'' विद्यालयों को कक्षा–12 तक उच्चीकृत करने का प्रकरण

71–श्री राम विशुन आजाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में ''राजकीय आश्रम पद्धति'' विद्यालयों में जू० हा० स्कूल तक ही शिक्षा दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या इण्टर मीडिएट तक की शिक्षा छात्रों को दिये जाने के संबंध में सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां।

प्रदेश में संचालित सभी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को कक्षा–12 तक उच्चीकृत किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रमापुर में तैनात चिकित्सक डा० अवनीश कुमार के चिकित्सालय में उपस्थित होने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

72–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-10-2000 या इसके आसपास जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रमापुर में तैनात चिकित्सक डा० अवनीश कुमार के चिकित्सालय न आने के संबंध में था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने पत्रांक 440 दिनांक 19-10-2000 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां।

जी हां।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच क्षेत्रीय उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (तृतीय), शाहजहांपुर से करायी गयी, जिसके अनुसार डा० अवनीश कुमार द्वारा उक्त केन्द्र पर नियमित रूप से उपस्थित रहकर, नियमानुसार राजकीय कार्य सम्पादित करने की पुष्टि हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

उपमुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर द्वारा एड्स कार्यक्रम में प्राप्त धनराशि के दुरुपयोग की जानकारी

73–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-10-2000 या इसके आसपास जो उपमुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा एड्स कार्यक्रम में प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग के संबंध में था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने पत्रांक 434 दिनांक 17-10-2000 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां, शिकायती-पत्र दिनांक 14-10-2000 प्राप्त हुआ है।

जी हां ।

जांचोपरान्त शिकायती-पत्र में वर्णित तथ्य निराधार पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत थारू जनजाति के उत्थान विषयक कार्य योजना

74–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत थारु जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास एवं थारु जनजाति के उत्थान के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत थारु जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में थारु जनजाति के विकास एवं उत्थान के लिए अलग से कोई कार्य योजना नहीं बनायी गयी है । थारु जनजाति के लिए पूर्व से ही स्वतः रोजगार योजना, कृषि विकास कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन कर इन जातियों को लाभान्वित किया जा रहा है । इस हेतु भारत सरकार से भी संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है । इन जातियों को विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार से रु० 239.739 लाख की सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में नर्सिंग एवं नर्सेज की समस्याओं के समाधान हेतु जारी विज्ञप्ति पर बिन्दुवार कार्यवाही का विवरण

75–श्री कमाल युसुफ मलिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० शासन की 29–08–2001 को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने नर्सिंग एवं नर्सेज की समस्याओं के संबंध में ''द ट्रेड नर्सेज एसोसियेशन आफ इण्डिया'' के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके उनके प्रस्तावों पर लिये गये निर्णय की विज्ञप्ति चिकित्सा अनुभाग–11 पत्र सं० 3390/5–11-01–एन(23)/01 दिनांक 20 सितम्बर, 2001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य विभाग के निदेशालय को जारी कर दी गयी । यदि हां, तो 20 सितम्बर, 2001 को जारी की गयी इस विज्ञप्ति पर अब तक बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

उक्त विज्ञप्ति पर बिन्दुवार कृत कार्यवाही की बिन्दुवार स्थिति निम्नांकित है –

बिन्दु संख्या– 1 :–नर्सिंग संवर्ग की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, जिसके निर्गत होने के उपरान्त प्रोन्नति पर विचार किया जायेगा ।

बिन्दु संख्या-2 :-प्रशिक्षित छात्र नर्सों का रजिस्ट्रेशन का कार्य उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा किया जाता है अतः नर्सिंग रजिस्ट्रार की तैनाती का औचित्य नहीं है ।

बिन्दु संख्या-3 :-केन्द्र के समान प्रदेश के चिकित्सालयों के लिये पद सृजित नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन चिकित्सालयों में मैटर्न, असिस्टेन्ट मैट्रन, विभागीय सिस्टर तथा उपचारिका का पद सृजित है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा क्रमशः नर्सिंग सुप्रीटेन्डेन्ट, असिस्टेन्ट नर्सिंग सुप्रीटेन्डेन्ट तथा उपचारिका किया गया है । जबकि प्रदेश के चिकित्सालयों में उपचारिका संवर्ग के निम्न पद सृजित हैं :-

(1) वरिष्ठ मातृका (2) मातृका (3) सहायक मातृका (4) ओ० टी० एस० (5) सिस्टर (6) उपचारिका ।

महानिदेशालय स्तर पर नर्सिंग संवर्ग के निम्न प्रशासनिक पद सृजित हैं :-

(1) संयुक्त निदेशक (उपचारिका)

(2) उप अधीक्षिका (उपचारिका)

(3) सहायक अधीक्षिका

इस प्रकार चिकित्सालयों में कार्यरत मातृका, सहायक मातृका तथा सिस्टर के पदों पर केन्द्र के समान अधीक्षिका (उपचारिका) सहायक अधीक्षिका (उपचाकिरा) किये जाने पर विसंगतियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि उक्त पद नामों से निदेशालय स्तर पर पद पूर्व से ही सृजित हैं । अतः पदनाम परिवर्तित करने का औचित्य नहीं है ।

बिन्दु संख्या-4 :-राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर ट्यूटर के पदों पर बी० एस० सी० (नर्सिंग) अर्हताधारी नर्सों की प्रोन्नति किये जाने हेतु नर्सिंग संवर्ग की नियमावली में संशोधन विचाराधीन है ।

बिन्दु संख्या-5 :-अधिक से अधिक महिलाओं को सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रशिक्षण सत्र 2002 को प्रारम्भ करने हेतु संबंधित पत्रावली पर कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा रहा है ।

बिन्दु संख्या-6 :-सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रतिमाह रु० 300/- के स्थान पर रु० 1000/- स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में स्थित चिकित्सालय को संयुक्त चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत करने का प्रकरण

76-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में स्थित चिकित्सालय को संयुक्त चिकित्सालय के रुप में उच्चीकृत करने पर विचार करेगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज स्थित कस्बे में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है तथा उक्त केन्द्र से छः किलोमीटर की दूरी पर एक 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी स्थित है ।

आयुक्त सहारनपुर मण्डल द्वारा निर्यात निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

77–श्री संजय गर्ग–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 जून, 2002 जो निर्यात निगम, में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

आयुक्त, सहारनपुर मण्डल से प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला जनपद हरदोई में हेल्थ विजटर चपरासियों की सम्बद्धता समाप्त करते हुए स्वीकृत पदों में अधिक कार्यरत कर्मचारियों को हटाये जाने की मांग

78–श्री कौशल किशोर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला जनपद –हरदोई में स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो किन–किन पदों पर ? क्या उक्त केन्द्र पर हेल्थ विजटर, चपरासियों को भी सम्बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बद्धता खत्म करते हुये स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को अन्यत्र हटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के कतिपय सरकारी अस्पतालों में कचरे के निस्तारण हेतु संयंत्रों की स्थापना

79–श्री संजय गर्ग–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1999 के पहले बुधवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रदेश के किन–किन सरकारी अस्पतालों में कचरे के निस्तारण हेतु संयंत्रों की स्थापना कर दी गई है ?यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत यू० एच० एम० चिकित्सालय, कानपुर एवं बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में इन्सीनिरेटर की स्थापना कर दी गई है ।

प्रदेश की निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने संबंधी योजना

80–डा० विनोद तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि प्रदेश की निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने हेतु शासन द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

प्रदेश की बढ़ती आबादी को नियमित करने हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार परिसीमन की स्थाई तथा अस्थाई विधियों की सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ-साथ अप्रैल, 1998 के प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत समुदाय के लोगों को उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं एवं अभिरुचि के अनुरूप ग्राह्यपूरक, गुणवत्तापरक सेवाएं उनके निकटतम स्वास्थ्य केन्द्रों से प्रदान की जा रही है ।

इसके अतिरिक्त एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति प्रख्यापित की गई है जिसमें चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि से जुड़े अन्य विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, निजी तथा औद्योगिक इकाईयों के समन्वित प्रयास से निरन्तर बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण पाने की कार्यवाही की जा रही है जिसके लिये एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है ।

जनपद हरदोई में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला के चिकित्सा अधिकारी की जनपद के बाहर स्थानान्तरण नीति

81–श्री घूरा राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में कितने चिकित्साधिकारी विगत–10 वर्षों से तैनात है ? शासन की स्थानान्तरण नीति के

अन्तर्गत उसके स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ? ऐसे चिकित्साधिकारियों को जनपद से बाहर कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला में दो चिकित्साधिकारी विगत 10 वर्षों से तैनात हैं ।

मितव्ययिता के दृष्टिगत कम से कम स्थानान्तरण किये जाने की स्थानानतरण नीति के कारण उक्त चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ के राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के शासकीय भवनों की रंगाई पुताई हेतु आवंटित धनराशि के दुरुपयोग की जांच पर कार्यवाही की मांग

82–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण निदेशक व अन्य अधिकारियों द्वारा भवन मरम्मत आदि के नाम पर लाखों रुपये गबन किये जाने के विरुद्ध राज्य सर्तकता विभाग द्वारा मार्च, 2001 में मुकदमा दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1995-96 व 1996-97 राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ में शासकीय भवनों की रंगाई पुताई एवं अनुरक्षण हेतु आवंटित धनराशि के दुरुपयोग किये जाने के प्रकरण में डा० बी० के० श्रीवास्तव, तत्कालीन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ के विरुद्ध की जा रही खुली जांच/अन्वेषण में सतर्कता अधिष्ठान ने (1) डा० बी० के० श्रीवास्तव, तत्कालीन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ (2) श्री भुजवीर सिंह, तत्कालीन अवर अभियन्ता, चिकित्साधिकारी, कार्यालय लखनऊ । (3) श्री राम स्वरूप माथुर, तत्कालीन अवर अभियन्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, लखनऊ (4) श्री के० के० सिंह विसेन, तत्कालीन शोध अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ (5) श्री राम भगत अग्रवाल, ठेकेदार, अराधना कान्टेक्टर्स रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ को धनराशि के दुरुपयोग में लिप्त पाया । तत्पश्चात् सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक श्री आर० के० मिश्रा द्वारा दिनांक 24-3-2001 को उपरोक्त 05 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना–गाजीपुर तहसील–सदर जनपद–लखनऊ में मुकदमा अपराध संख्या–120/2001 अन्तर्गत धारा–420/409/467/468/471/120 बी० भा० दं० वि० तथा 13(1) (सी) (डी) सपठित धारा–13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पंजीकृत कराया गया है ।

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अन्वेषण जारी है ।

अन्वेषण पूर्ण होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

जनपद देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में कीटनाशक के छिड़काव के संबंध में जानकारी

83–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर जनपद देवरिया में पेपर मिल तथा चीनी मिल के गन्दे पानी से उत्पन्न मच्छरों से बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या मच्छरों को समाप्त करने हेतु कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जनपद देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र में मलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोग फैलने की शिकायत नहीं है।

निरोधात्मक दृष्टि से जनपद देवरिया के संवेदनशील क्षेत्रों में निर्धारित मानकानुसार कीटनाशक का छिड़काव कराये जनो की व्यवस्था है।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गोण्डा में अध्ययनरत छात्रों को शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा के संबंध में जानकारी

84–श्री राम विशुन आजाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आश्रम पद्धति गोण्डा में अध्ययनरत छात्रों को शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सभी सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो रही हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के जिला अस्पताल में मानक के अनुसार डाक्टर/कर्मचारी तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का प्रकरण

85–श्री परमेश्वर दयाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के जिला अस्पताल में मानक के अनुरुप डाक्टर एवं कर्मचारी तथा अन्य सुविधायें मुहैया करायी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जिला चिकित्सालय सोनभद्र में एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका एवं महिला चिकित्साधिकारी का पद वर्तमान समय में रिक्त चल रहा है। इसके अतिरिक्त सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मानक के अनुरूप डाक्टर एवं कर्मचारी तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में महिला चिकित्सालय खोलने तथा महिला चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

86–श्री परमेश्वर दयाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में महिला चिकित्सालय बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो महिला चिकित्सालय कब तक खोल दिया जायेगा ? क्या

सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनपद सोनभद्र में कुल कितनी महिला चिकित्सकों के पद स्वीकृत है और उसके विरुद्ध कितनी नियुक्त है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

नया महिला चिकित्सालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र में महिला चिकित्सक के कुल 07 पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध 03 चिकित्सक कार्यरत हैं ।

जनपद पीलीभीत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम बहादुर की मृत्यु (चिकित्सकों द्वारा इलाज में की गई लापरवाही के कारण) होने से संबंधित शिकायती पत्र पर जांच एवं कार्यवाही

87–श्री रियाज अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पीलीभीत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम बहादुर की मृत्यु जिला संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा इलाज में की गई लापरवाही के कारण दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 को हो गयी थी ? क्या इस संबंध में श्री शिव चरन लाल का शिकायती पत्र दिनांक 1–4–2002 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम बहादुर की मृत्यु दि० 25-12-2001 को जिला चिकित्सालय पीलीभीत में हो गयी थी ।

श्री शिव चरन लाल का शिकायती पत्र दिनांक 1-4-2002 शासन को प्राप्त नहीं हुआ । अपितु श्री शिव चरन लाल के उक्त विषयक शिकायती पत्र दिनांक 28-12-2001 व 30-3-2002 शासन को प्राप्त हुये हैं ।

अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली से जांच करायी जा रही है । जांच के उपरान्त गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत में जिला संयुक्त चिकित्सालय में सी० एम० एस० द्वारा मृतक आश्रित कोटे में की गयी अनियमितताओं पर जांच के निर्देश

88–श्री रियाज अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत में जिला संयुक्त चिकित्सालय में सी०एम०एस० द्वारा मृतक आश्रित कोटा से दो नियुक्तियां की गई है ? क्या यह सही हैं कि इसमें की गई अनियमितताओं के संबंध में श्री राम चन्द्र प्रजापति का शिकायती रजिस्टर्ड पत्र संख्या–ई.डी.696657841 आई.एन. दिनांक 25–6–2002 माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी को दण्डित करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, अपितु इस संबंध में शिकायतकर्ता का एक अन्य पत्र दिनांक 4-5-2002 महानिदेशक कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल को जांच हेतु निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूरनपुर पर रिक्शा चालक गोपाल की चिकित्सकों की लापरवाही से हुई मृत्यु के संबंध में जांच

89–श्री रियाज अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद–पीलीभीत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूरनपुर पर रिक्शा चालक गोपाल की चिकित्सकों की लापरवाही से दिनांक 21 जून, 2002 को मृत्यु हो गयी ? क्या यह सही है कि इसकी शिकायत रजिस्टर्ड पत्र संख्या–2745 दिनांक 26–6–2002 के रामचन्द्र प्रजापति द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दिनांक 21-6-2002 को रिक्शा चालक गोपाल की मृत्यु नहीं हुई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा में पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

90–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा में पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्र वृत्ति दिये जाने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम भुवाल (निषाद)–

पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्व से ही कक्षा 3 से 8 के पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के कक्षा 3 से 8 के छात्र-छात्राओं, जिन्होंने पिछली कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हों तथा जिनके माता-पिता की वार्षिक आय रु० 24,000/- से कम हो, को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी जा रही है ।

जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय पर जच्चा बच्चा केन्द्र खोलने की मांग

91–श्री राम किशुन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय पर जच्चा–बच्चा केन्द्र न होने के कारण महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील, मुख्यालय पर जच्चा–बच्चा केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं । तहसील मुख्यालय मनकापुर जनपद गोण्डा में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसवोत्तर केन्द्र भी चल रहा है जिसमें महिलाओं को सभी प्रकार की जच्चा-बच्चा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, तहसील फूलपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में जानकारी

92–श्री राम किशुन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खन्डौरा विकास खण्ड पवई तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो शेष कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? क्या इस हेतु इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि निर्गत की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

अवशेष कार्य पूरा किया जाना जिला योजना में आवश्यक परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर को देवचंदपुर में एलोपैथिक अस्पताल के भवन निर्माण की मांग

93–श्री बीजू पटनायक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत देवचंदपुर में एलोपैथिक अस्पताल कई वर्षों से किराये के मकान में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल के लिए भवन का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अस्पतालों के लिये फर्नीचर आदि क्रय करने हेतु धनराशि की स्वीकृति

94–भारतेन्द्र सिंह–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001–2002 में प्रदेश के अस्पतालों के लिए फर्नीचर आदि क्रय करने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेगे कि अनुबन्ध की दरों एवं निर्धारित मानकों के अनुसार ही सामान क्रय किया गया है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 में प्रदेश के अस्पतालों के लिये फर्नीचर आदि क्रय करने हेतु कुल रु० 43,78,83,505/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ।

जी हां ।

95–श्री मदन चौहान–

[3सरे, शुक्रवार के अता० प्र० सं०–109 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल में डाक्टरों एवं नर्सों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की मांग

96–श्री अनिल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल में बेहोशी, एक्स–रे, रेडियोलाजिस्ट महिला डाक्टर, फिजीशियन एवं सर्जन तथा वार्डों की देखरेख के लिए नर्सों की व्यवस्था स्वीकृत पदों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो डाक्टरों एवं नर्सों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की तैनाती शीघ्र की जायेगी । उपचारिका के 714 रिक्त पदों के चयन पर मा० उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है, जिसके कारण स्वीकृत पदो के अनुरूप उपचारिका के रिक्त पदों पर तैनाती सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में तीन इकोनामिक जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

97–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रदेश में तीन स्पेशल इकोनामिक जोन बनाए गये हैं उसका आधार क्या है ? उसमें दो पश्चिमी उ०प्र० में तथा एक भदोही में बनाया गया है ? यदि हां, तो प्रदेश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र पूर्वी उ०प्र० को शामिल नहीं किया गया है ? पूर्वी उ०प्र० को स्पेशल इकोनामिक जोन घोषित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

हां, प्रदेश में तीन इकोनामिक जोन बनाये गये हैं । इसका उद्देश्य निर्यात की प्रोत्साहन देना है तथा इन्हें उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया गया है जहां निर्यात की सम्भावनाएं हैं ।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित स्पेशल इकोनामिक जोन के मानकों पर उ० प्र० में तीन स्पेशल इकोनामिक जोन बनाये जा रहे हैं ।

उ० प्र० में तीन इकोनामिक जोन क्रमशः ग्रेटर नोयडा, कानपुर एवं वाराणसी–भदोही में स्थापित किये जा रहे हैं । ग्रेटर नोयडा पश्चिमी उ० प्र०, कानपुर, मध्य उ० प्र० एवं वाराणसी भदोही पूर्वी उ० प्र० के लिये चिन्हित किये गये हैं । जोकि भदोही, वाराणसी एवं निकटवर्ती जिलों के निर्यातकों को सुविधायें उपलब्ध करायेगी ।

वाराणसी–भदोही, की कालीन एवं सिल्क उद्योग के निर्यातकों के प्रोत्साहन एवं निकटवर्ती जिलों के निर्यातकों की सुविधा के लिये भदोही को केन्द्र मानकर प्रोत्साहित किया जा रहा है । जोकि पूर्वी उ० प्र० के निर्यातकों के लिये ही निर्धारित किया गया है । उल्लेखनीय है कि वाराणसी–भदोही पूर्वी उ० प्र० के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में है ।

वाराणसी–भदोही की स्पेशल इकोनामिक जोन घोषित किया जा चुका है जो कि पूर्वी उ० प्र० के अर्न्तगत है । इस जोन से निश्चित ही पूर्वी उ० प्र० के अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों की लाभ पहुंचेगा । वर्तमान में पूर्वी उ० प्र० में उक्त वाराणसी–भदोही के अतिरिक्त कोई स्पेशल इकोनामिक जोन घोषित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद रामपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रा० स्वा० केन्द्र शाहाबाद में महिला डाक्टर की तैनाती की मांग

98–श्री काशीराम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर, के 23 शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रा० स्वा० केन्द्र, शाहाबाद में मात्र एक डाक्टर तैनात है और कोई भी महिला डाक्टर तैनात नहीं है ? यदि हां, तो महिला डाक्टर की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक के पद स्वीकृत नहीं हैं । इस कारण प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भी महिला चिकित्सक का कोई पद स्वीकृत नहीं है । अतः उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महिला चिकित्सक की तैनाती नहीं की जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर में महिला चिकित्सक की तैनाती के सम्बन्ध में जानकारी

99–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचपेड़वा जनपद बलरामपुर में महिला चिकित्सक तैनात है ? यदि नहीं, तो महिला चिकित्सक की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रदेश में महिला चिकित्सकों की अत्यन्त कमी है । महिला चिकित्सकों के 404 रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है । लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त महिला चिकित्सक की तैनाती कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र में गिट्टी, बोल्डर पट्टाधारकों के लीज निरस्त करने की मांग

100–श्री विजय सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में कितने लोगों को गिट्टी, बोल्डर खनन हेतु पट्टे जारी किए गये हैं तथा कितने पट्टाधारक ऐसे है जो खनन कार्य किये बिना ही एम०एम०–11 खान अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त कर रहे हैं ? क्या सरकार खनन कार्य न करने वाले पट्टाधारकों के लीज निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद सोनभद्र में उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत गिट्टी-बोल्डर के कुल 231 खनन पट्टे राजस्व भूमि/निजी भूमि में स्वीकृत किये गये हैं ।

जनपद में वर्तमान कोई पट्टाधारक बिना खनन कार्य के एम०एम०–11 प्राप्त नहीं कर रहा है । 13 पट्टाधारकों द्वारा खनन कार्य किये बिना तत्कालीन खान अधिकारी सोनभद्र से एम०एम०–11 प्राप्त किये गये थे, जिनके पट्टे जिलाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं ।

उपरोक्त 13 पट्टाधारकों के खनन पट्टे जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 1-8-2002 को निरस्त कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में राजभर जाति को विमुक्त जाति में सम्मिलित कर छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधायें दिये जाने का प्रकरण

101–श्री रामजीत राजभर–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राजभर जाति को विमुक्त जाति में सम्मिलित कर छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाएँ देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

राजभर जाति को पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है । विमुक्त जाति में नहीं । राजभर जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति आदि की सुविधायें पिछड़ी जाति को अनुमन्य सुविधाओं के समान प्राप्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बी० बी० नगर पर सुविधा उपलब्ध करने के सम्बन्ध में जानकारी

102–श्री किरन पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बी०बी० नगर पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक सभी सुविधायें उपलब्ध करा दी जायेगी ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जनपद बुलन्दशहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादुरपुर नगर पर महिला चिकित्सक, दंत चिकित्सक, एक्स-रे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन तथा उपचारिका के अतिरिक्त सभी सुविधायें उपलब्ध हैं ।

विभिन्न संवर्गों में स्टाफ की कमी के कारण, रिक्त पदों को भरा जाना प्राक्रियाधीन है ।

विभागीय योजनाओं तथा उपलब्धियों के प्रसार एवं विज्ञापन में व्यय की गयी धनराशि का विवरण

103–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभागीय योजनाओं तथा उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार एवं विज्ञापन पर एक वित्तीय वर्ष में व्यय की कोई सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? समाज कल्याण विभाग में विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से दिनांक 30-6-2002 तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 1 अप्रैल से दिनांक 30-6-2002 तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना के प्रचार-प्रसार हेतु रुपया 7799/- तथा राज्य मद्य निषेध मुख्यालय द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु रु० 1,59,299/- की धनराशि व्यय की गयी है ।

जनपद चन्दौली विकास खण्ड नियामताबाद ग्राम० भोगवार में 100 बेड का निर्माणाधीन अस्पताल सम्बन्धी प्रकरण

104–श्री राम किशुन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद चन्दौली विकास खण्ड नियामताबाद ग्रा० भोगवार में 100 बेड का अस्पताल निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महोबा में उद्योगों के विकास के लिए यू०पी०एस०आई०डी०सी० के इण्डस्ट्रियल एरिया स्वीकृत किये जाने की मांग

105–श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में उद्योगों के विकास के लिये यू०पी०एस०आई०डी०सी० के इण्डस्ट्रियल एरिया स्वीकृत करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा क्षेत्र विशेष में औद्योगिक भूमि की सम्भावित मांग का आकलन करने एवं औद्योगिकीकरण की सम्भाव्यता के परीक्षण के बाद ही इण्डस्ट्रियल एरिया स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाती है । जनपद महोबा के निकट के क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में औद्योगिक भू-खण्ड आवंटन हेतु अवशेष हैं ।

प्रदेश में नर्सों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

106- श्री अनिल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० में नर्सों के कुल कितने पद हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त चल रहे हैं ? उक्त रिक्त पदों पर सरकार द्वारा नियुक्ति कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

कुल 4418 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 722 पद रिक्त हैं ।

वर्ष 2001 में 714 पदों को भरने हेतु विज्ञापन किया गया था, लेकिन मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण वर्तमान समय में नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रुद्रपुर, जनपद देवरिया में मानक के अनुसार सुविधाएं, स्टाफ एवं दवाइयां उपलब्ध कराने की मांग

107–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रुद्रपुर, जनपद देवरिया में मानक के अनुसार सभी सुविधाएं स्टाफ एवं दवाइयां उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार

उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर मानक के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रुद्रपुर, जनपद देवरिया में कतिपय स्टाफ तथा एक्स-रे मशीन को छोड़कर अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं ।

विभिन्न संवर्गों में स्टाफ की कमी होने तथा एक्स-रे मशीन का क्रय प्रक्रियाधीन होने के कारण ।

रिक्त पदों को भरे जाने तथा एक्स-रे मशीन के क्रय की कार्यवाही प्राक्रियाधीन है ।

निदेशक, बाल विकास परियोजना, गोरखपुर की जिप्सी जीप पर लागत से ज्यादा पेट्रोल एवं मरम्मत में धन के दुरुपयोग पर दोषी निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

108–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, बाल विकास परियोजना गोरखपुर की वाहन जिप्सी जीप पर वर्ष 1999–2000, 2000–2001 , 2001–2002 में कितनी-कितनी धनराशि पेट्रोल एवं मरम्मत में खर्च की गई ? क्या यह सही है कि उक्त जिप्सी की लागत से कहीं कई गुना धन मरम्मत एवं तेल मद में खर्च करके धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जिला कार्यक्रम कार्यालय, गोरखपुर के वाहन (जिप्सी) पर वर्षवार व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	धनराशि (रुपये में)
1999-2000	08,725.00
2000-2001	09,960.00
2001-2002	23,946.00
कुल योग	42,631.00

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अस्पताल आजमगढ़ में कुत्ते काटने के इंजेक्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

109–श्री वसीम अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल आजमगढ़ में दिनांक 24 मई, 2002 से अब तक कुत्ते काटने से कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त मौतें वहां कुत्ते काटने के

इंजेक्शन उपलब्ध न होने के कारण हुई है ? क्या सरकार उक्त इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

दिनांक 24-5-2002 से 31 जुलाई, 2002 तक कुल 88 लोगों की मृत्यु हुई है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक समाज कल्याण उ० प्र०, लखनऊ को कालातीत चेकों से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

110–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, समाज कल्याण, उ० प्र०, लखनऊ को सम्बोधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, सुल्तानपुर का रजिस्टर्ड पत्रांक–303233/स०क०/अनु० ज० शा० अनु०/ 2002-03, दिनांक 20 जून 2002 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां ।

कालातीत चेकों को निरस्त करने के उपरान्त चेकों के सापेक्ष पुनः धनराशि की व्यवस्था हेतु वांछित कार्यवाही करने के लिए निदेशक समाज कल्याण द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल विकास परियोजना विभाग जनपद कौशाम्बी के स्थायी निवासी सुपरवाइजरों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जानकारी

111–श्री अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाल विकास परियोजना विभाग जनपद कौशाम्बी में ऐसे कितने सुपरवाइजर हैं जो कि कौशाम्बी के ही स्थायी निवासी हैं और विगत 5 वर्षों से अधिक समय से वहीं तैनात है ? क्या सरकार ऐसे सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनपद के बाहर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

वर्तमान समय में जनपद कौशाम्बी में ऐसी कोई मुख्य सेविका (सुपरवाइजर) तैनात नहीं है, जिसका गृह जनपद कौशाम्बी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खन्डौरा, तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ में चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

112–श्री राम किशुन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रा० स्वा० केन्द्र खन्डौरा तहसील–फूलपुर जनपद आजमगढ़ में कोई चिकित्सक तैनात न होने से मरीजों को काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रा० स्वा० केन्द्र पर चिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं । स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सक की तैनाती कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति मुसहर, खटिक, धोबी, पासी, धरिकार, डोम, दुसाद, कोरी आदि के विकास के लिए कार्य-योजना बनाये जाने के संबंध में जानकारी

113–श्री बीजू पटनायक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुसहर, खटिक, धोबी, पासी, धरिकार, डोम, दुसाद, कोरी, आदि जातियां जो अनुसूचित जातियों में है, के विकास के लिए सरकार ने कोई ठोस कार्य-योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां ।

मुसहर, खटिक, धोबी, पासी, डोम, कोरी जातियां प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सम्मिलित हैं । धरिकार एवं दुसाद नाम की जातियां अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं हैं । धरकार एवं दुसाध जातियां प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सम्मिलित हैं । अनुसूचित जातियों के चतुर्दिक कल्याण हेतु विभिन्न राजकीय योजनाएं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित हैं । समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यतः इन जातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास की योजनाएं संचालित हैं । इसके अतिरिक्त इन जातियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु भी योजनाएं संचालित हैं । इन योजनाओं से प्रश्नगत जातियां भी लाभान्वित हो रही हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद संत कबीर नगर में जिला अस्पताल के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता की मांग

114–श्री शंखलाल माझी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद संत कबीर नगर का सृजन हुए पांच साल हो चुके हैं परन्तु जिला चिकित्सालय संचालित नहीं किया गया है ? जिससे जनपदवासियों को घोर दिक्कत उठानी पड़

रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला अस्पताल का निर्माण कराकर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जनपद में जिला चिकित्सालय संचालित नहीं है परन्तु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खलीलाबाद द्वारा चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर जिला अस्पताल का निर्माण कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत कबीर नगर के जिला अस्पताल खलीलाबाद में संविदाकर्मियों को नियमित किये जाने की मांग

115–श्री शंखलाल मांझी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला अस्पताल खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर में 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार संविदा पर कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रखा गया है ? क्या सरकार उक्त संविदाकर्मियों को नियमित करने की कार्यवाही करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

संविदा पर कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं रखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत कबीर नगर के धनघटा तहसील के प्रा० स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर खाली पदों पर भर्ती कराये जाने के संबंध में जानकारी

116–श्री शंखलाल मांझी–

क्या सरकार को पता है कि जनपद संत कबीर नगर के धनघटा तहसील के प्रा० स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीपर, वार्ड ब्वाय, वार्ड आया एवं चौकीदार निर्धारित संख्या में उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन खाली पदों पर भर्ती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां । मानक के अनुरूप कर्मचारी तैनात हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

117–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[3सरे शुक्रवार के अता० प्र० सं०–129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

118–श्री बीजू पटनायक–

[2 सरे गुरुवार के अता० प्र० सं०–159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर के सरकारी अस्पतालों में कुत्ते, सियार और सांप काटने की दवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानकारी

119–श्री पारस नाथ यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद–जौनपुर के सरकारी अस्पतालों में कुत्ते काटने, सियार काटने, सांप काटने की दवायें उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसी दवाईयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जनपद जौनपुर के सरकारी अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल के जनपद देवरिया महाराजगंज एवं गोरखपुर में पिछड़ी जाति के कहार जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र निर्गत कराने संबंधी प्रकरण की जांच

120–श्री बादशाह सिंह तथा श्रीमती माया प्रसाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के 5वें बुध के लिए निर्धारित श्री शिवपूजन राम, श्री बनवारी लाल दोहरे, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे अतारांकित प्रश्न सं०–38 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के जनपद देवरिया, महाराजगंज एवं गोरखपुर में कहार जाति के व्यक्तियों द्वारा जाति बदलकर पिछड़ी जाति के साथ-साथ अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां।

गोरखपुर मण्डल के मात्र जनपद देवरिया में पिछड़ी जाति के साथ-साथ अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी कराये जाने का एक प्रकरण प्रकाश में आया है।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

जांच की कार्यवाही चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को फर्जी अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्रों पर रोक लगाने व जारी प्रमाण पत्रों को निरस्त करने हेतु निर्देश दिये जाने की मांग

121–श्री बादशाह सिंह तथा श्रीमती माया प्रसाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सम्मन/तीन 19/11 408/आ०/2001 दिनांक 27-11-01 को आयुक्त गोरखपुर मण्डल,

गोरखपुर को फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्रों पर रोक लगाने व जारी प्रमाण पत्रों को निरस्त करने हेतु निर्देश जारी किया है ? यदि हां, तो उसका अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी को वृद्धावस्था पेंशन के चेक वितरण में धांधली विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

122–श्री बादशाह सिंह तथा श्रीमती माया प्रसाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन के चेक वितरण मे की गयी धांधली विषयक प्रेषित पत्र दिनांक 21-8-2000 पूर्व सदस्य विधान सभा श्री दीप लाल भारती द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुशीनगर को प्राप्त हुआ है ? क्या दोषी कर्मचारी श्री राम बिहोर मल्ल के विरुद्ध थाना-खड्डा (कुशीनगर) में मु०अ० सं० 93/2000 धारा 504/506/आई०पी०सी० श्री बन्हू पुत्र काशी निवासी खड्डा द्वारा दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, कुशीनगर के आदेश संख्या–723 दिनांक 30-1-2001 द्वारा विकास खण्ड खड्डा से विकास खण्ड सेवरही में स्थानान्तरित कर दिया गया । दर्ज प्राथमिकी के विवेचना के पश्चात् श्री मल्ल के विरुद्ध पुलिस द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है ।

परिवार कल्याण निदेशालय, लखनऊ में वर्ष 1998 तक वर्षवार पुरानी गाड़ियों की मरम्मत मद में लागत से कई गुना धन व्यय के प्रकरण की जांच

123–श्री रामजीत राजभर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण निदेशालय, लखनऊ में कितनी सरकारी गाड़ियां हैं तथा वर्तमान समय में कितनी चालू हालत में हैं ? क्या यह सही है कि वर्ष 1998 से अब तक वर्षवार पुरानी गाड़ियों की मरम्मत मद में उनकी लागत से कई गुना अधिक धन व्यय किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

परिवार कल्याण निदेशालय, लखनऊ में वर्तमान समय में 40 गाड़ियां चालू हालत में हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एस०आई०एच०एफ०डब्लू, इन्दिरा नगर लखनऊ के आवासीय भवन सं०–504 को निरस्त कराने की मांग

124–श्री वसीम अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस०आई०एच०एफ०डब्लू०, इन्दिरा नगर लखनऊ के आवासीय भवन संख्या–504 में विगत तीन वर्षो से आवंटी के स्थान पर कोई वाह्य व्यक्ति रह रहा है, इसके सम्बन्ध में निदेशक, संस्थान द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 26-12-01 पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के पत्र दिनांक 26-12-2001 द्वारा उक्त आवास का अध्यासन निरस्त कर दिया गया एवं 30 जुलाई, 2002 को आवास रिक्त करने की अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी थी । उक्त तिथि तक आवास खाली न होने के कारण निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 3-8-2002 के द्वारा प्रधानाचार्य, संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दिरा नगर, लखनऊ को यह निर्देश दिये गये हैं कि राजकीय नियमों के अन्तर्गत उक्त आवास बलपूर्वक खाली कराने की कार्यवाही करें ।

जनपद संत कबीर नगर में प्रा० स्वा० केन्द्र रमवापुर हेतु सरकारी भवन निर्माण का उक्त अस्पताल में स्थानान्तरित करने की मांग

125–श्री आदित्य विक्रम सिंह–

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत कबीर नगर में प्रा० स्वा० केन्द्र रमवापुर हेतु सरकारी भवन निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त अस्पताल को सरकारी भवन में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

जी हां । भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ।

राम नरेश चौधरी इण्टर कालेज रमवापुर जनपद संत कबीर नगर में अनुसूचित जाति के छात्रों को निर्मित सरकारी छात्रावास में नलकूप लगाये जाने के संबंध में जानकारी

126–श्री आदित्य विक्रम सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम नरेश चौधरी इन्टर कालेज रमवापुर जनपद संत कबीर नगर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निर्मित सरकारी छात्रावास में क्या छात्र रह रहे हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों के पानी की व्यवस्था हेतु कोई नलकूप लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं । वर्तमान में चल रहे शिक्षा सत्र 2002-2003 में किसी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया है । छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है ।

छात्रावास में पानी की व्यवस्था हेतु छात्रावास परिसर में इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगा हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों पर नियुक्त ट्यूटर्स की भारतीय उपचारिका परिषद् द्वारा निर्धारित योग्यता विषयक प्रकरण

127–श्री अनिल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों पर नियुक्त ट्यूटर्स की भारतीय उपचारिका परिषद् द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 14 अगस्त, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुयीं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुये शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी हैं उनके नाम हैं डा० रामबाबू हरित, श्रीमती माया प्रसाद, श्री कृष्णा नन्द, डा० कौशल किशोर, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रामजीत राजभर । इनमें से श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह अनुपस्थित हैं इसलिये प्रतीक्षा सूची में से श्रीमती सुखदेवी वर्मा की सूचना स्वीकार की जाती है ।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री भरतेन्द्र सिंह–

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जो मैंने प्रश्न दिया था उसको पूरी तरह से नहीं लिखा गया है और उसको अतारांकित कर दिया गया है । उसका उत्तर स्पष्ट नहीं आया है । मेरा प्रश्न अतारांकित प्रश्न सं०–94 पर है । मान्यवर, 43 करोड़, 70 लाख, 83 हजार 505 रुपये का घोटाला है । मैंने जो प्रश्न दिया था उसको पढ़ना चाहता हूं । मैंने प्रश्न किया था कि क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 में प्रदेश के अस्पतालों

के लिये फर्नीचर आदि क्रय करने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुयी थी ? जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा कितनी-कितनी धनराशि ...

श्री अधिष्ठाता–

इसको आप लिखकर दे दें ।

* श्री भरतेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जो सामान खरीदा गया है वह सस्ता खरीदा गया है । केवल एक कम्पनी स्टील के पलंग बनाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इसको सुसंगत नियमों के अन्तर्गत लिखकर दे दीजियेगा । विचार कर लिया जायेगा ।

(श्री विश्राम यादव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप भी लिखकर दे दीजिए ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं ।

(सदन की सहमति से संलग्न सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

आगरा नगर निगम द्वारा स्वकर निर्धारण की व्यवस्था पर पुनर्विचार कर राहत दिये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

1–डा० रामबाबू हरित–

[महोदय नगर निगम आगरा ने सम्पत्ति कर स्वयं निर्धारण करें शीर्षक से पुस्तिका के सातवें पृष्ठ पर नयी व्यवस्था क्यों ? वर्तमान व्यवस्था की चार खामियां बताते हुये तीसरे नम्बर पर ''भ्रष्टाचार'' को नम्बर एक पर होना चाहिए । मुख्य नगर अधिकारी आगरा स्वयं स्वीकार करते हैं । आगे पृष्ठ 8 पर ''स्वकर निर्धारण'' उत्पीड़न सहित ''भ्रष्टाचार रहित'' बताया गया है यानी पुरानी व्यवस्था में ये दोनों दोष थे । अभी तक जो आधार था वह था ''भवन का किराया मूल्य'' उसके दोष ''नयी व्यवस्था क्यों ?'' अन्तर्गत गिना दिये गये । मजेदार तथ्य यह है कि ''भवन का मूल्य'' तो सरकार तय कर रही है । सड़क की चौड़ाई, भवन का पक्का-कच्चा तथा सर्किल रेट तय करके और सभी की दरें तय करके और इसके आधार पर कर निर्धारण को ''स्वकर निर्धारण'' कह कर कितने भोलेपन से जेब साफ करने का प्रयास है । प्रश्न केवल एक है क्या जनता जनार्दन ने या उनके प्रतिनिधियों ने रु० 1.75, 1.50, 1.25 तय किया है जो आप स्वयं कर निर्धारण कह रहे थे ? आप जानते हैं कि एक भवन का कारपेट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

एरिया भवन स्वामी बदल नहीं सकता । आप यदि उसे यह भी कह देते जो भी आप अपने क्षेत्र के सर्किल रेट के आधार पर, अपने गृह कर का रेट जो उचित समझें लगा लें और जमा कर दें तब तो स्वकर निर्धारण कहा जाता है और यदि सर्किल रेट जिलाधिकारी निर्धारित करें और नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी सड़क की चौड़ाई और भवन के कच्चे पक्के के आधार पर 1.25, 1.50, 1.75 प्रति वर्ग फुट तय करें तो जनता से केवल गुणा भाग कर उसे स्वकर निर्धारण कहें यह स्पष्ट धोखा है । अतः स्वकर निर्धारण पर सरकार पुनः विचार कर जनता को राहत दिलाये ।]

जनपद खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत महिला पालीटेक्निक खोले जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

2–श्रीमती माया प्रसाद–

[महोदय, आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्या सदन के सामने रखना चाहती हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत महिलाओं की तकनीकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर न ही कोई कालेज है और न ही कोई उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थान है । जनपद लखीमपुर खीरी का विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का बाहुल्य है और शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की लड़कियां व्यवसायिक शिक्षा से वंचित हो रही हैं । अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर जनपद लखीमपुर खीरी में महिलाओं की तकनीकी शिक्षा हेतु एक महिला पालीटेक्निक कालेज की स्थापना की जाये ।]

जनपद गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील मुख्यालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

3–श्री कृष्णानन्द–

[महोदय; जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की दो अदालतें पिछले तीन वर्षों से रिक्त चल रही हैं । मात्र एक सिविल जज (जून० डि०) कार्यरत है । लगभग 16 हजार दीवानी, फौजदारी के वाद लम्बित हैं, यही स्थिति पूरे प्रदेश की है । परिणाम यह हो रहा है कि सम्पत्ति विवादों के अनावश्यक लम्बन, फौजदारी वादों के समय से निस्तारण नहीं हो पाने एवं दीवानी के किसी मुकदमें में कार्यवाही नही होने से कानून व्यवस्था की स्थिति हास्यास्पद हो गयी है । निर्दोष लोग अनावश्यक न्याय प्रक्रिया में उलझे हुए हैं एवं दोषियों को दण्ड नहीं मिल पा रहा है । मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन में संज्ञान में लाकर मुंसफी मुहम्मदाबाद (तहसील मुख्यालय) में वर्षों से रिक्त पदों को भरकर न्याय देने की कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

लखीमपुर में रेलवे स्टेशन के समीप लखीमपुर–सीतापुर मार्ग पर ओवर ब्रिज बनवाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

4–डा० कौशल किशोर–

[मान्यवर, हमारे क्षेत्र 70 लखीमपुर के शहर लखीमपुर-सीतापुर मार्ग पर रेलवे स्टेशन के समीप एक मानवयुक्त रेलवे क्रासिंग है यह मार्ग दो जनपदों को जोड़ने वाला है जिसकी वजह से अति व्यस्त रहता

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

है इस पर यातायात बहुत है और साथ ही साथ लखनऊ बरेली जाने वाली रेल लाइन पर मालगाड़ी व सवारी गाड़ियों का आवागमन भी अधिक है अक्सर रेलवे फाटक बन्द रहता है और जिसकी वजह से वाहनों को आने-जाने में बहुत बाधा पड़ती है । यहां पर ओवर ब्रिज बनना बहुत ही आवश्यक है । अतः यह लोक महत्व की अविलम्बनीय समस्या है । उ० प्र० सरकार रेल मंत्रालय से अनुमति लेकर समस्या का निराकरण करवाये ।]

कानपुर विकास प्राधिकरण में अनाधिकृत अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण कार्यों की जांच कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

5–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की तरफ कराना चाहता हूं । कानपुर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष व संयुक्त सचिव प्रवर्तन मनमानी के कारण, कानपुर महानगर के मुख्य चौराहे पार्क तथा नालियों पर अतिक्रमण कर लिया गया है तथा बिना नक्शे के बारात घर, सोना आश्रम व अलंकार गेस्ट हाउस आदि बनाये गये हैं । सोना आश्रम बारात घर आदि द्वारा दो किलोवाट का विद्युत कनेक्शन लेकर प्रति वर्ष लाखों रुपये की विद्युत चोरी की जा रही है । कानपुर नगर के पनकी औद्योगिक मुद्दल में तथा गोविन्द नगर बर्रा–1 से 8 तक तथा परमपुरवा यशोदा नगर, बसन्त बिहार, तात्याटोपे नगर आदि में नये निर्माण संयुक्त सचिव प्रवर्तन की साजिश से अवैध वसूली करके निर्माण कराये जा रहे हैं । संयुक्त सचिव 1. प्रवर्तन जोन–2, 3–प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति, 4–प्रभारी अधिकारी भूमि अध्यापित अधिकारी, 5–प्रभारी अधिकारी सिलिंग, 6–प्रभारी अधिकारी केयर टेकर, 7–प्रभारी अधिकारी गांव समाज, 8–प्रभारी जनसम्पर्क, केवल एक ही संयुक्त सचिव के पास है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जबकि प्राधिकरण में पांच संयुक्त सचिव हैं । एक के पास 65% कार्य है तथा शेष चार के पास 35% है । इसलिए भारी लूट भ्रष्टाचार हो रहा है अतः शासन स्तर से जांच कराना आवश्यक है । अतः श्रीमान् जी से आग्रह है कि महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें ।]

जनपद वाराणसी की कतिपय ग्राम सभाओं की करोड़ों की जमीन को फर्जी संस्था को दिये जाने की जांच कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

6–श्री रामजीत राजभर–

[महोदय, जनपद वाराणसी के ग्राम खभाईपुर व मौजा खरगापुर परगना अठगवां तहसील पिण्डरा में स्थित आराजी नं० 76, 96, 150, 151, 158 ख व 159, 161 कुल रकबा 0.257 व खरगपुर की आराजी नं० 132 ग रकबा 0.214 जो ग्राम सभा की सम्पत्ति है को प्रधान की मिली भगत से फर्जी संस्था नेहरू विद्यालय के प्रोपराइटर कैलाश मिश्रा मौजा सभईपुर को और अन्य संस्थाओं को मोटी रकम लेकर प्रधान द्वारा लीज पर दे दिया गया । कमला नेहरू संस्था का वजूद ही नहीं है यह फर्जी संस्था है । श्री मिश्रा द्वारा उक्त जमीन जिसकी लागत करोड़ों की है, को निजी उपयोग में लिया जा रहा है । गांव

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सभा को करोड़ों का नुकसान हो रहा है । अतः इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने की मांग करता हूं ।]

जनपद इटावा में चकरनगर सहसों में चंबल नदी पर अधूरे पुल का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

7–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

[मान्यवर, इटावा जनपद में चकरनगर सहसों में चम्बल नदी पर वर्षों पूर्व पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, आज तक यह अधूरा पड़ा हुआ है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है । प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है । पुल न होने के कारण जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । सरकार वर्ष 2002-2003 के बजट में इसका प्राविधान कर निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु इसकी जांच कराकर कार्य प्रारम्भ कराये । अतः मैं मांग करती हूं कि सरकार अधूरे पुल को तत्काल बनवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 14-8-2002 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल की, दूसरी सूचना श्री उदयराज यादव, श्री राम लाल अकेला, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री राम विशुन आजाद की, तीसरी सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की, चौथी सूचना श्री रामजीत राजभर की, पांचवीं सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की, छठी सूचना श्री अम्बिका चौधरी की है ।

अयोध्या प्रकरण पर गठित विशेष न्यायालय की अधिसूचना जारी किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री प्रमोद कुमार–

मैं आभारी हूं कि आपने अत्यन्त ज्वलन्त औचित्य के प्रश्न पर मुझे विचार रखने का अवसर दिया । लोकतंत्र में चार पालिकाएं होती हैं । कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और समाचार-पत्र से जुड़ा हुआ फोर्थ स्टेट । आज जो औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं इसमें विधायिका और न्यायपालिका के बीच में सीधे संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं । कदाचित आपको स्मरण होगा इसी विधान सभा में एक प्रश्न पूछा था मैंने ही नहीं उठाया बल्कि विधान सभा में बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उठाया था, जिस पर मैंने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए थे । उसमें हमने यह प्रश्न उठाया था कि तकनीकी रूप से एक निर्णय आया है उच्च न्यायालय का उस निर्णय के अनुसार । मान्यवर, आप निदेश पर न जाएं मेरे अनुरोध पर जाएं ।

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

बहुजन समाज पार्टी है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

ठीक है । मैं त्रुटि ठीक किए लेता हूं । बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी और मैंने एक प्रश्न किया था । प्रश्न यह था कि तकनीकी आधार पर न्यायालय का गठन हुआ जिसको विशेष न्यायालय कहते हैं, जो अयोध्या प्रकरण पर उन सब अभियुक्तों की चार्ज शीट तैयार कर रहा है । उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तान्तरित किया गया । उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस शासन ने स्थान परिवर्तन किया जब कभी तो उसमें उच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त कर ली जाए । वह सहमति प्राप्त नहीं की गई । इसमें तकनीकी तौर पर अनुमति क्यों नहीं प्राप्त की गई । इस संबंध में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह ने जवाब देते हुये कहा था कि इसमें राज्य पक्ष नहीं है । हम लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार पक्षकार है । उन्होंने कहा था कि अगर सी०बी०आई० अनुरोध करेगी तो हम स्वीकार कर लेंगे । तब तक सी०बी०आई० ने अनुरोध नहीं किया था । अब तीन बार सी०बी०आई० ने अनुरोध कर लिया है । आज तक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं हुई है । यही नहीं सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रकरण गया । सर्वोच्च न्यायालय में जब यह प्रकरण गया तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया उस निर्णय को जो उच्च न्यायालय का था उसमें प्रश्न चिन्ह लगाते हुये उत्तर प्रदेश सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया है । क्यों नहीं अब नई अधिसूचना जारी की जा रही है ? सर्वोच्च न्यायालय ने मंशा जाहिर कर दी, उच्च न्यायालय ने मंशा जाहिर कर दी । स्पष्ट रूप से जाहिर कर दी । यह तकनीकी कमी है, उसे दूर करें । यह औचित्य का प्रश्न है कि लोकतंत्र कैसे जिन्दा रहेगा ? न्यायपालिका के सामने गरीब लोगों को सजा मिलती रहे लेकिन बड़े लोगों को इसलिए सजा न मिले कि वह केन्द्र में मंत्री हैं, प्रश्न सीधा है । यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है जो-[× × ×] यह तीनों अभियुक्त हैं । जब तीन-तीन केन्द्रीय मंत्रियों को न्यायालय का सामना करना है तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार का यह रुख हो जाए । अधिसूचना इसलिये जारी नहीं करेंगे कि न्यायालय उन पर निर्णय न कर सके । प्रश्न यह उठता है कि इनमें साहस क्यों नहीं है कि न्यायपालिका के सामने आने दें । न्यायपालिका और न्यायालय को अपना निर्णय देने दें । यदि वे निर्दोष हैं तो बरी हो जायेंगे और दोषी हों तो उन्हें वही सजा मिलनी चाहिए जो भारत के एक आम नागरिक को मिलती है । क्योंकि मंत्री हैं इसलिये उन्हें न्यायपालिका के सामने न जाने दिया जाय ? उनके मन में कौन सा चोर है, कौन सी ऐसी भावना है कि न्यायालय में जायेंगे तो सजा हो जायेगी ? मान्यवर, नैतिकता का तकाजा है कि जिस दिन चार्ज शीट जारी हुई उसी दिन भारत सरकार से इस्तीफा दे देंगे और फिर न्यायपालिका के सामने जाना चाहिए । लेकिन इनमें यह नैतिकता नहीं है। आपसे अनुरोध करूंगा और राष्ट्रपति जी से भी अनुरोध करना चाहिए कि जो अभियुक्त हैं, [× × ×] नहीं हो सकता है, जो अभियुक्त है वह [× × ×] नहीं हो सकता है, जो अभियुक्त हैं, जिसने सबसे बड़ा गुनाह किया है, जिसमें 6 हजार लोगों की मौत हुई और हजारों लाखों की सम्पत्ति नष्ट हुई है वे [× × ×] मान्यवर, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी ने यह प्रश्न उठाया था पूर्व में और उन्होंने कहा था, मांग रखी थी कि सी०बी०आई० अनुरोध करे न करे आप अधिसूचना जारी कर देंगे । मान्यवर, आज सी०बी०आई० ने और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुरोध कर

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

दिया फिर आज आपके लिये कौन सी ऐसी बात हो गई कि अगर आडवानी जी को न्यायालय में भेज देंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेगी और आप मुख्य मंत्री नहीं रह जायेंगी । इस भावना से यदि काम किया जा रहा है तो न्याय पालिका का अपमान कर रहे हैं । अगर दोषी हैं तो सजा मिलनी चाहिए और यदि निर्दोष हैं तो खुद ही निर्दोष साबित हो जायेंगे । आपको यहां पर जवाब देना चाहिए कि हम अपनी भूल सुधार रहे हैं । हम उच्च न्यायालय से परामर्श लेकर नई न्याय पीठ का गठन कर रहे हैं और उसमें इन तीनों का मामला रखा जायेगा । यदि यह दोषी पाये जायेंगे तो सजा होगी और निर्दोष होंगे तो बरी हो जायेंगे । मैं सम्पूर्ण सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि हम दोषी न ठहराये जायं । आने वाली पीढ़ियां यह न कहें कि तीन अभियुक्त [× × ×] रहे । इस तरह की बात न आप पर आये कि आपकी सरकार थी, आपने सरकार चलाने की वजह से तीन गुनहगारों को न्यायालय भेजने से परहेज किया । इन तीनों मंत्रियों की नैतिकता को चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं कि दूसरों का इन्साफ न करें । नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देकर न्याय पालिका का सामना करें और गुनहगार होने पर सजा के लिये तैयार रहें और निर्दोष हैं, तो बरी हो जायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि किसी बागी को [x x x] के रूप में भारत सरकार में बैठने का अधिकार नहीं है ।

(श्री पाल जी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कोई नई बात हो तो कहें । तिवारी जी काफी कह चुके हैं ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि सवाल, जो औचित्य के प्रश्न के रूप में सम्पूर्ण सदन के समक्ष प्रस्तुत है, कदाचित् उससे अच्छा औचित्य का प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है । यह औचित्य का प्रश्न केवल इस परिधि में आता है कि ऐसा वह प्रश्न जिससे सदन का कार्य विनियमित होता हो वह औचित्य की परिधि में आता है । आप भी इसी सम्मानित सदन के सदस्य हैं और 13वीं विधान सभा के भी सदस्य थे । उसी सदन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ था । आज जिस सीट पर संसदीय कार्य मंत्री श्री सुखदेव राजभर बैठे हैं, उस सीट पर संसदीय कार्य मंत्री के रूप में श्री हुकुम सिंह बैठे थे और स्पष्ट तौर से कहा गया था । आपने भी सुना था, हम सबने सुना था यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है । प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता के समक्ष यह मन्थन हो रहा था कि सामान्य व्यक्ति के लिये, साधारण व्यक्ति के लिये आई०पी०सी०, सी०आर०पी०सी० में जो नियम है संविधान के 19वीं नियम के अन्तर्गत सभी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है । ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आज वे अपराधी हैं, उनके खिलाफ चार्ज शीट लगा सकते हैं । लेकिन केवल एक तकनीकी त्रुटि के कारण, चार्जशीट लगने के बावजूद सरकार ने तत्कालीन उच्च न्यायालय को विशेष न्यायालय को जो स्थापित था उसको स्थानान्तरित कर दिया इसमें उच्च न्यायालय की सहमति नहीं ली गई उस समय अधिसूचना जारी करने की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही थी, उन्होंने कहा था कि सी०बी०आई०

नोट :[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अनुरोध करेगी तो जारी कर देंगे, सरकार के जो मंत्री होते हैं उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इस समय संसदीय कार्य मंत्री बदल गए हैं लेकिन उस सरकार की बचनबद्धता है बहुजन समाज पार्टी ने इसको उठाया था, हमारे दल के लोगों ने उठाया था बहुत प्रभावी ढंग से यह बात उठी थी, अब सी०बी०आई० अनुरोध कर चुकी है जब तक नई अधिसूचना जारी नहीं होगी उस मुकदमें की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती है। यह मामला मरकजी हुकूमत से जुड़ा है इसलिए मंत्रिमंडल से सिफारिश न दिए जाने पर, सी०बी०आई० के अनुरोध के बावजूद भी अधिसूचना को जारी नहीं किया गया है, उच्चतम न्यायालय ने अनुरोध किया है इस सरकार को अधिसूचना जारी करनी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, अगर अधिसूचना जारी नहीं होगी तो कहीं ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए कि न्यायपालिका और विधायिका में टकराव हो, सदन में लोग मांग कर रहे हैं और आप निर्देशित नहीं कर रहे हैं, भारत के मा०सर्वोच्च न्यायालय ने इस सरकार को निर्देशित किया है तो सरकार को उन निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस सरकार का यह दायित्व बनता है। इस सरकार का गठन संवैधानिक नियमों के तहत हुआ है, संवैधानिक नियमों के तहत शपथ ली है कि यह अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है आज मुझे यह कहने में खेद नहीं है कि यह सरकार संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रही है। वरना जिस क्षण सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश किया उस समय नई अधिसूचना को जारी करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी कोलेशन गवर्नमेंट में है, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है। श्रीमन्, एक कहावत है अंग्रेजी में "किंग केन डू नो रांग" राजा कोई गल्ती नहीं कर सकता है, यह कहावत ब्रिटेन में चलती है कि राजा गल्ती नहीं करता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं हमारी प्रजातंत्र की सरकार है, जनता की सरकार है, हमें जनता के लिए, जनता की इच्छा के लिए कार्य करना है, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार जिस तरह से कर रही है उससे देश और प्रदेश में हिंसा का वातावरण बना है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह इतनी महत्वपूर्ण बात है प्रदेश और देश की जनता के करोड़ों लोगों की निगाह आज लगी है इस सवाल पर, कि उत्तर प्रदेश की सरकार अधिसूचना जारी करने पर क्या कार्यवाही करेगी ? आज संसदीय कार्य मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर आना चाहिए। अगर आप उत्तर नहीं दे सकते हैं तो मुख्य मंत्री जी स्पष्ट उत्तर दें यह औचित्य का प्रश्न है इसमें सी०बी०आई०, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, इसको जारी करें।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

प्रश्न यह गम्भीर है, अध्यक्ष जी, सरकार को भी इसे गम्भीरता से लेना चाहिए, वह इसलिए भी कि 6 दिसम्बर, 1992 सिर्फ भारत के इतिहास के लिए नहीं.....

(इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 का दुरुपयोग है। इस सूचना से और सदन की कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं है। नियम 300 पढ़िए, यह नियम 300 की सूचना देने के अधिकार का दुरुपयोग है। आप नियम 300 पढ़िए तो।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं कुर्सी का सम्मान कर रहा हूं, मान्यवर, व्यक्ति बदल जाए तो निर्णय तो नहीं बदल जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 पढ़िए, खुले दिमाग से कह रहा हूं । यह नियम 300 में नहीं आता है । यह नियम 300 में नहीं आती । मैंने इसे कक्ष में ही निरस्त कर दिया था । माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा इसलिए उनको समय दे दिया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप चाहें तो कार्यवाही से निकाल सकते हैं.....

श्री अध्यक्ष–

न्यायालय गठित हो और मामला न्यायालय में हो तो कैसे इसको नियम 300 में ले सकते हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह ने उस समय कहा था कि मैं चाहता हूं कि अधिसूचना जारी हो । मैं दोषी हूं ।

श्री अध्यक्ष–

किसी दूसरे सुसंगत नियमों में दें । उच्चमत न्यायालय ने 8 सप्ताह का समय दिया है विचार करने का, सरकार विचार करेगी ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, निरस्त करने का अधिकार आपका है । आप जब चाहें खत्म कर सकते हैं । यह बड़ा ही गम्भीर मामला है और यह सरकार इस पर अपनी राय जाहिर करे ।

श्री अध्यक्ष–

क्यों जाहिर करें ? सर्वोच्च न्यायालय में मामला पड़ा है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अधिसूचना न जारी करने का मतलब यही है कि यह सरकार यही चाहती है कि जो उनके कोलीशन से सरकार चल रही है वह न गिर जाय । वह नहीं चाहती है यह अधिसूचना जारी हो ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो बोल रहे हैं यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, चूंकि अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

श्री शारदानंद अंचल–

मान्यवर, यह तो अन्याय है, आप हम लोगों को सुन ही नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जो नियम में नहीं आता है मैं उसको कैसे सुन लूं ।

(घोर व्यवधान)

माननीय राम करन जी आप कृपया बैठ जायें । आप तो मंत्री भी रहे हैं यह उचित नहीं है ।

अयोध्या प्रकरण पर गठित विशेष न्यायालय की अधिसूचना जारी किये जाने के प्रकरण पर नेता विरोधी दल को बोलने न दिये जाने पर आपत्ति

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है अगर आप अनुमति दें, तो मैं बोलूं ।

श्री अध्यक्ष–

क्या प्रश्न है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपने नियम 300 की सूचना पर, जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे, तिवारी जी और पाल जी को सुना और उनके बोलने के उपरान्त माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए थे, सम्बोधन भी नहीं हुआ था.....

श्री अध्यक्ष–

ऐसा तो नहीं है कि कुछ बोले ही नहीं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप सुन तो लें सूचना के औचित्य पर...

श्री अध्यक्ष–

आप सूचना के औचित्य पर बोल रहे हैं या फिर उनके खड़े होने के औचित्य पर बोल रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

तो फिर सूचना का औचित्य खत्म हो गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अभी उन्होंने एक वाक्य भी नहीं कहा था कि...

श्री अध्यक्ष–

आप यह नहीं कह सकते हैं कि एक वाक्य भी नहीं कहा था । उन्होंने दस-पांच वाक्य कह दिये थे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

ठीक है मान्यवर, उनके 11 वाक्य हो गये थे । उन्होंने विषय पर कोई बात नहीं कही थी कि इसी बीच आप आ गये और आपने आकर कहा कि यह नियम 300 में नहीं आता है । उन्होंने नियम 300 की कोई सूचना नहीं दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है यह मैंने व्यवस्था दे दी थी । इसे मैंने कक्ष में ही निरस्त कर दिया था । लेकिन तिवारी जी ने कहा कि मुझे इसमें दो मिनट का समय दे दें तो मैंने उन्हें दो मिनट का समय दे दिया था । इस पर मैं व्यवस्था पहले ही दे चुका हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं । अगर आप हमारा संरक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा ? आपसे प्रार्थना है कि आपने नेता प्रतिपक्ष को यह जो कहा कि यह नियमों में नहीं आता, इसका कोई अर्थ नहीं है । कृपया इस पर पुनर्विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

यह ठीक नहीं है कि कभी कोई माननीय सदस्य उठ खड़े हों ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह कोई सदस्य नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष हैं ।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मुझे आपकी इस टिप्पणी पर घोर आपत्ति है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह सदन केवल आपकी टिप्पणियों के कारण आपको सर्वोच्च नहीं मानता है । कृपया आप अपनी इस टिप्पणी पर पुनर्विचार करें । यह मेरी आपसे प्रार्थना है । इसके लिए कोई दण्ड हो तो मुझे दे दें चाहे मेरी सदस्यता खत्म कर दें । कृपया इसे कार्यवाही से निकलवा दें । नेता प्रतिपक्ष के लिए यह संबोधन उचित नहीं है । आप हमारे संरक्षक हैं आपका एक-एक शब्द महत्वपूर्ण है । अगर आप ही

इस तरह से नेता प्रतिपक्ष को कहेंगे तो यह कदाचित उचित नहीं है । आप इस पर पुनर्विचार कर लें, कृपया इसको निकलवा दें ।

(व्यवधान)

अगर नेता प्रतिपक्ष का कोई सम्मान नहीं होगा तो यह कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं ऐसा नहीं है, मुझे नेता प्रतिपक्ष का पूरा सम्मान है ।

(व्यवधान)

यह तो अनावश्यक विवाद है । कृपया बैठ जाइये । नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है । आप इसका उल्टा अर्थ निकाल रहे हैं ।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें । बैठ जाइये ।

(इसी मध्य श्री राम करन आर्य, श्री रियाज अहमद और समाजवादी पार्टी के कई अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 1.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 1 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2.00 बजे तक बढ़ा दिया है । 2 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(सदन के वेल में पहले से बैठे हुये तथा विपक्ष के अन्य सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 14-8-2002 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुयीं । (सूचनाकर्ताओं के नाम पुकारे जाने एवं उनके द्वारा अपनी बात न रखे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि कोई भी माननीय सदस्य अपनी बात नहीं रखना चाह रहे हैं, इसलिये मैं सभी सूचनाओं को निरस्त कर रहा हूं।

(इस बीच वेल में आये हुये माननीय सदस्य अध्यक्ष आसन की ओर जबरदस्ती बढ़ने का प्रयास करने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां †

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–(1) क०नि०–2–636/ग्यारह–9(81)/91–उ० प्र० अधि०–12–2000–नियम–1999(15) दिनांक 26-2-2001,

(2) क०नि०–2–306/ग्यारह–9(113)/99–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–––(8)–2001, दिनांक –29-1-2001,

(3) क०नि०–2–1224/ग्यारह–9(230)/95–उ० प्र० अधि०–15–48–नियम–1948–2001–(21) दिनांक 21-4-2001,

(4) क०नि०–2–1272/ग्यारह–7(32)/90–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–(23)–2001, दिनांक 25-4-2002,

(5) क०नि०–2–1273/ग्यारह–7(32)/90–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–(24)–2001, दिनांक 25-4-2001,

(6) क०नि०–2–1533/ग्यारह–6(11)/86–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–(25)–2001, दिनांक 22-5-2002,

(7) क०नि०–2–1535/ग्यारह–6(11)/86–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–(27)–2001, दिनांक 22-5-2001,

(8) क०नि०–2–1778/ग्यारह–9(158)/2000–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–2001–(29), दिनांक 14-6-2001,

(9) क०नि०–2–1779/ग्यारह–9(158)/2000–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–(30)–2001, दिनांक 14-6-2001,

(10) क०नि०–2–2594/ग्यारह–9(51)/99–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–(35)–2001, दिनांक 27-8-2001,

(11) क०नि०–2–2595/ग्यारह–9(51)/99–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–(36)–2001, दिनांक 27-8-2001।

को, जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की कालावधि दिनांक 07 मार्च, 2002 को तेरहवीं विधान सभा का विघटन हो जाने के फलस्वरूप पूर्ण नहीं हो सकी, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2001††

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से खाद्य एवं रसद अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 3584/29-2-2001–बामा–78–98, दिनांक 03 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2001 को बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 की धारा 72(5) के अधीन, विलम्ब के कारणों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार †††

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक, महालेखापरीक्षक, का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन "वाणिज्यिक" उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2002††

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संसदीय अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 842/17सं०–1–2002–42 सं०/2002, दिनांक 07 जून, 2002 तथा अधिसूचना संख्या 804/17–सं–1–2002–634(वा)सं०/98, दिनांक 15 जून, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (पंचम संशोधन) नियमावली, 2002 को उ०प्र० साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अब्दुल कलाम (वाराणसी), श्री अरविन्द गिरि, श्री बाजू पटनायक, श्री उदयराज, श्री अजीम भाई, श्री वसीम अहमद, श्री आलमबदी, श्री राम विशुन आजाद, श्री नारद राय, श्री बैजनाथ दुबे, श्री राम करन आर्य तथा डा० शिव प्रताप यादव आदि सपा के अधिकांश सदस्य अध्यक्ष पीठ की ओर लगातार बढ़ने का प्रयास करते रहे। सुरक्षा गार्डों के साथ उलझते हुये (जिसमें कई सदस्य घायल भी हुए) अन्ततः श्री अब्दुल कलाम रक्षकों के घेरे को तोड़कर सचिव, विधान सभा की सीट तक पहुंच गये और सीट पर रखी कुछ पत्रावलियों तथा कागजों को उठा कर फेंक दिया। श्री अरविन्द गिरि ने रिपोर्टर्स मेज तथा कार्यवृत्त लेखक की मेज के कागजाद फेंक दिये।

---

†† छापी नहीं गई।

††† छापी नहीं गई।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 2 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 50 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 2 बजकर 50 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है। 3 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4.00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है। 4 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 30 मिनट तक बढ़ा दिया है। 4 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 45 मिनट तक पुनः बढ़ा दिया है।

4 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

सदन में घटित घटना के प्रति क्षोभ तथा सदन संचालन में सहयोग का अनुरोध

* श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मुझे कुछ निवेदन करना है। सदन में जो परिस्थिति पैदा हो गई थी, उससे हम सब दुःखी हैं। एक बार इस माननीय सदन में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी और उस दृश्य को बार-बार दिखाया जाता रहा। जब भी देखा तो बहुत ही खराब लगा। सदन शान्तिपूर्वक चले, सौहार्दता से चले, सद्भावपूर्ण वातावरण में चले। संदन बार-बार स्थगित हो जाता है तो जनहित के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वह छूट जाते हैं और जनता के प्रति जवाबदेही, चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के हों सभी का दायित्व बनता है कि उनके प्रश्नों का जवाब उनके सामने प्रस्तुत हो। हम लोग सवाल उठायें तो सत्ता पक्ष की ओर से उसका समाधान और जवाब आ जाय, स्थिति स्पष्ट हो जाय। अभी जो कुछ भी दृश्य हुआ और बार-बार सदन को स्थगित करना पड़ा उससे हम सब दुःखी हैं। जहां तक उस पीठ का प्रश्न है, आपके प्रति हम सभी के मन में सम्मान है, और श्रद्धा भी है और पूरा-पूरा विश्वास है। उस पीठ का अपना एक विशिष्ट स्थान है। चाहे नेता सदन हों, उनका भी अपना स्थान है, सम्मान हैं। इसी क्रम में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकतंत्र में उनका भी अपना एक स्थान है और सम्मान है। यह सही है कि जब कोई बात आगे बढ़ती है तो नेता प्रतिपक्ष को आप कृपापूर्वक पूरा मौका दें। कोई ऐसा प्रश्न आयेगा कि सरकार को जवाब देना आवश्यक होगा तो सरकार का दायित्व होगा कि वह उस प्रश्न का उत्तर दे। मेरा विश्वास है नेता प्रतिपक्ष के मन में आपके प्रति सम्मान है और श्रीमन्, मैं आपका स्वभाव भी जानता हूं कि आपके मन में भी नेता प्रतिपक्ष के प्रति सम्मान है। हमारा ही नहीं पूरे सदन का आपमें विश्वास है और नेता प्रतिपक्ष का भी सम्मान पूरे सदन का सम्मान है। किसी के सम्मान को कोई चोट न लगे, इतनी बातों को हम सब ध्यान में रखें और सदन की कार्यवाही आगे चले। आज जो प्रदेश की स्थिति है प्रदेश की जनता एक-एक सवाल का जवाब सुनने के लिये तत्पर बैठी है। हमारी आपसे प्रार्थना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, नेता प्रतिपक्ष से प्रार्थना है, विपक्ष और सत्तापक्ष से प्रार्थना है कि इस सदन को सुचारु रूप से चलाने में योगदान दें, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है ।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, हम जब इस सदन में प्रवेश करते हैं बोलने के लिये खड़े होते हैं तो आपकी पीठ की तरफ सिर झुकाते हैं, यह लोकतंत्र का आचरण है । जो इस पीठ पर बैठे हैं वह हमारे लिये सबसे ज्यादा आदरणीय हैं । माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष हैं दलीय नेता हैं यह सबके लिये सम्मान की बात है । कभी-कभी उत्तेजना के क्षण आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो नहीं होनी चाहिये । आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है । मान्यवर, यह विश्वास दिलाता हूं सत्तापक्ष की तरफ से आपके सम्मान में कोई कमी न हम लोगों ने रखी है, न नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कोई असम्मान की भावना है, क्योंकि दुख पहुंचा है, सत्तारूढ़ दल होने के नाते आपसे क्षमा याचना करता हूं ऐसी घटनायें हम लोगों के लिये अशोभनीय है । अगर किसी कारण नेता प्रतिपक्ष को कोई हार्दिक कष्ट हुआ हो तो मैं समझता हूं वह इस सदन के सम्मानित नेता हैं उनका एक अपना स्थान है उनको भी कोई दुख हो, तो नहीं करना चाहिये । हम तर्क वितर्क करने के लिये यहां नहीं बैठे हैं तर्कों के ऊपर अपनी बात रखें, हम सब की जिम्मेदारी है । जो नये सदस्य हैं, पुराने भी सदस्य हैं, वह सब मिलकर एक गरिमामय तरीके से इस सदन को चलाने में सहयोग करें ।

(व्यवधान)

मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई किसी के लिये ऐसी बात कही हो हमने जो आपके मन में क्षोभ देखा उसको दूर करना स्वाभाविक है । माननीय नेता प्रतिपक्ष के मन में दुख है किसी बात से, वह दूर हो गया होगा, इस सदन को चलाने में हमारा पूरा सहयोग होगा हम नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के नेताओं से और भी माननीय सदस्य हमारे सदन में हैं जिनकी जिम्मेदारी है । देश और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सदन, पार्लियामेंट के बाद यह सबसे बड़ा सदन है । जिसकी छवि टेलीविजन पर देखते हैं तो शर्मिन्दगी होती है कि ये सदन जहां बड़े-बड़े लोग रहे हैं वहां ऐसी स्थिति होगी । मैं समझता हूं भविष्य में हमारी तरफ से कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी, ऐसा सबकी तरफ से होगा जो कुछ हुआ इसके लिये क्षमा करें, सब आपके निर्देश/आदेश का पालन करेंगे, आपको इस सदन के संचालन में पूरा सहयोग प्राप्त होगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय लाल जी टण्डन जी ने जो कुछ सदन में हुआ उसके प्रति अपनी भावनायें व्यक्त कीं । आज मैं वास्तव में आहत हुआ हूं । एक घटना हुई थी सदन में पहले और उससे हमारी विधान सभा की छवि धूमिल हुई ।

मेरी सदैव यह अपेक्षा रही है कि सदन शान्तिपूर्ण ढंग से चले और हम तमाम जनता को, सारे देश को यह संदेश दे सकें कि यह किसी अपवाद के कारण घटना हो गई, हमारी विधान सभा सबसे ज्यादा मर्यादित है, यहां वार्तालाप और वाद-विवाद का स्तर ऊंचा है । मैं यह बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं ।

अनेक विधान सभाओं में मुझे जाने का अवसर मिला, उनकी कार्यशैली देखने का अवसर प्रदान हुआ, हमारी विधान सभा, उत्तर प्रदेश की विधान सभा के माननीय सदस्यों का विचार-विमर्श का जो तरीका है यह अन्य विधान सभाओं से अच्छा है और इसीलिये मेरी हार्दिक इच्छा रहती है कि उस छवि को बनाये रखें ।

सदन की कार्यवाही चलती है, मैं बीच-बीच में टोक देता हूं । क्यों टोक देता हूं क्योंकि मैं दिशा निर्धारित कर सकूं । शायद किसी को जानकारी नियमों की नहीं हो, वैसे तो ज्यादातर माननीय सदस्यों को नियमों की जानकारी है, अगर नहीं है तो मैं बता सकूं या जानकारी है तो स्मरण करा सकूं । अगर मर्यादित आचरण करें, नियमों के अनुसार बात करें तो पर्याप्त समय रहता है और समय नष्ट नहीं होता है । आज भी अनावश्यक समय नष्ट हुआ । कुछ हम लोग आपस में बातचीत करके, विभिन्न दलों के नेता लोगों में किस प्रकार से सदन की कार्यवाही चले, आम सहमति बनाते हैं । कभी पालन होता है, कभी नहीं होता है । समय रहता है, अनुपालन नहीं हुआ तो दो मिनट की जगह आधा घंटा भी ले लिया । कोई मुद्दा है, विधिवत् सूचना के आधार पर नहीं आया, अनुमति दे दी, कभी विशेष उल्लेख के नाम पर अनुमति दे दी । क्योंकि माननीय सदस्य यहां पर मूक होकर बैठने नहीं आये हैं । सब निर्वाचित होकर आये हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिये यहां पर आये हैं इसलिये कभी कर सकता हूं तो अधिक से अधिक समय दे दिया । हो सकता है कि कभी सत्ता पक्ष या कभी विरोध पक्ष के लोग नाराज हो जायें । कुछ लोग मुस्कराते रहते हैं, उनमें व्यंग्य छिपा रहता है तो मुझे यह उपेक्षा भी बरदाश्त करनी पड़ती है और मैं यह सब इसलिये करता हूं कि मानक स्थापित कर सकूं । लेकिन कभी भी किसी माननीय सदस्य के प्रति मेरे मन में सूई के नोक के बराबर भी असम्मान की भावना नहीं रहती है । नियमों के अनुसार सदन चले इसलिये अनुशासन स्थापित करने के नाते टोका-टाकी कर देता हूं । माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए थे बोलने के लिये, मैंने बताया था कि किन कारणों से नियम–300 की सूचना ली गई उसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है । फिर भी वाद-विवाद हुआ, महत्वपूर्ण विषय था । आम तौर पर जो सदस्य हस्ताक्षर करते हैं उनकी सूचना ले ली जाती है । नेता सदन या नेता प्रतिपक्ष किसी भी मुद्दे पर खड़े होकर अपनी बात कह सकते हैं । लेकिन चाहे माननीय नेता सदन हों, वह भी अनुमति मांगते हैं या फिर नेता प्रतिपक्ष हों वह भी बोलने से पहले अनुमति मांगते हैं । इसलिये इस पीठ पर चाहे कोई भी बैठा हो, चाहे मैं या अधिष्ठाता बैठे हों, या कोई अन्य बैठा हो, हम उस पीठ के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे तो सदन की कार्यवाही कठिन हो जाती है । तो इतने न्यूनतम सम्मान की अपेक्षा मैं रखता हूं । पीठ के प्रति सम्मान रहेगा तो अच्छा होगा । इससे अधिक मैं क्या कहूं । चाहे अध्यक्ष हों या फिर अधिष्ठाता हों उनकी एक मर्यादा होती है, सम्मान होता है । बहुत सी बातें कह नहीं सकता हूं । अपनी रक्षा के लिये, वकील चाहे इधर के हों या उधर के, कर लेता हूं । सत्ता पक्ष प्रहार करता है तो विपक्ष के माध्यम से और विपक्ष प्रहार करता है तो सत्ता पक्ष के माध्यम से । हम तो निरीह हैं । अधिष्ठाता भी निरीह होता है । तो हम सहयोग की भावना से काम करें । हम सहयोग की भावना से सबको समझाने की चेष्टा करें । यह नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है कि वह अपनी बात को जोरदार ढंग से इस सदन में लोकतांत्रिक, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें । शासन की आलोचना करके शासन को जवाबदेही के लिये खड़ा करें । अगर हम सब एक दूसरे को सम्मान नहीं करेंगे तो विधान सभा की छवि नहीं सुधरेगी । जो दृश्य मैं यहां देखता हूं कभी-कभी बड़ा कष्ट होता है । हम सब मिलकर विधान सभा

की छवि को सुधारने का प्रयास करें और यह सिद्ध कर दें कि देश में सर्वाधिक संवैधानिक और मर्यादित और उत्तमकोटि का कार्य उत्तर प्रदेश विधान सभा में होता है और यह इसलिये होता है कि यहां के सभी विधायक विद्वान हैं। वे द्वेष की भावना से काम न करके सहयोग की भावना से कार्य कर रहे हैं। मुझे तो बस इतना की कहना है।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके निर्देशों का और यहां तक कि आपकी निगाह का भी पालन होना चाहिये लेकिन चूंकि हम लोकतांत्रिक परम्परा के तहत यहां चुनकर आये हैं। देश को चलाने वाली संसद की एक तरह से छवि ये विधानसभायें होती हैं। जो कुछ आज हुआ और कभी आगे भी ऐसा हो, उसे सही नहीं कहा जा सकता और जो पहले हुआ है उसे भी सही नहीं कहा जायेगा। गलत हमेशा गलत ही रहता है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जिनके लिये अच्छे शब्द इस्तेमाल किये जा सकते हैं। जैसे टण्डन जी ने विपक्ष के लिये इस्तेमाल किये लेकिन यह ख्याल नहीं रहा कि इन हालात के पीछे वक्तव्य क्या रहे ? जैसा कि बुजुर्गों ने कहा है कि "आंच से ही कभी आग रही होगी यों ही किसी चीज की राख नहीं हो जाती।" बड़ा अहसान है कि नेता, प्रतिपक्ष को नेता, प्रतिपक्ष माना जाये। आप जहां पर बैठे हैं आप सम्मानित हैं हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी मर्यादा है, और आबरू है। अगर मैं यह सोचूं कि मेरा नाम बहुत काबिले तारीफ है, न जाने कितने ही लोग इस कुर्सी पर आये और चले गये और चले जायेंगे। यह कुर्सी यहीं रहेगी सम्मान तो इस कुर्सी का है। लेकिन जहां तक आपका ताल्लुक है, आपके सम्मान का ताल्लुक है, शायद कभी भी यह आपको मौका नहीं मिला मेरी आवाज में, मेरे तरीके में, मेरी भाषा में या मेरी सोच में, कहीं आपके लिये कोई अपमान रहा हो। शिकवे का हक तो मुझे देंगे मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैंने क्योंकि साढ़े पांच साल राज्य सभा में भी गुजारे हैं, पांच साल इससे पहले यहां पर भी रहा हूं। यहां मैं उतना नहीं सीख सका जितना मैंने राज्यसभा में सीखा है। जब आपकी पीठ से केवल एक मिनट के बाद भी टोका-टाकी होती है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मैं यह नहीं कहता कि मुझे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। अभी कोई बात नहीं है, कष्ट इतना था जो गुजर गया। मौसम बदल जाते हैं, खासी गर्मी पड़ी, वह मौसम भी गुजर गया, आज कैसे अच्छे बादल हैं ठण्डी हवायें चल रही हैं लेकिन गुजरी हुई कुछ चीजें यादें छोड़ जाती हैं। दुश्मनी जम कर करो, राजनीतिक दुश्मनी, लेकिन यह गुंज़ाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जायें तो शर्मिन्दा न हों। (विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) हमारे आपके रिश्तों में कभी कोई ऐसी कड़ुवाहट नहीं होनी चाहिये जिसको कोई मीठा बदल न सके। मुझे सिर्फ इतना ही शिकवा था हम सब नियम से बंधे हैं, यह सदन नियम से चलता है। नियम मुझसे आपसे ऊपर है लेकिन उस नियम में कोई शिथिलता बरती गई इस पीठ से तो मुझको वंचित रखने का अधिकार कहां से मिल गया। मैं भी यह चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष के नाते अपनी पार्टी के सदस्य के नाते इस मुकदमें में जो सरकार की अदालत में जेरेबहस था मेरा वकालतनामा लग जाता। आप का दिल दुखा। मेरे एक बुजुर्ग का दिल दुखा।

मैं उन लोगों में से हूं जो आज भी अपने बूढ़ों के पैर दबाता हूं। मैं उससे कोई शान नहीं समझता। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र में रहता हूं, मेरा रिश्ता वहां के दरवाजे-दरवाजे का है। मैं जानता हूं कि इस घर के अन्दर की औरत और बेटी ने मुझे वोट दिया है कि नहीं। मैंने इस तरह की राजनीति के दिन गुजारे

हैं। मान्यवर, उस शहर में जहां की सड़कों में जनता की सवारी और जनता के पैर चल नहीं सकते थे मैंने उस शहर से राजनीति शुरू की। जहां के मेम्बर आफ पार्लियामेंट अपनी जेब से खाली सिगरेट की डिबिया फेंकते थे तो दुकानों के सब लोग खाली डिबिया उठाने के लिये दौड़ पड़ते थे। मैंने उस सिस्टम की लड़ाई के लिये लोगों को बगावत के लिये तैयार किया है। मैं इस तरह जीने वाला आदमी हूं मैंने नवाबों की बीड़ियों के बीच में टाट पर बैठने के लिये मजबूर किया। इसलिये मेरे लिये मान्यवर, आपका दर्जा अध्यक्ष से बहुत बड़ा है। एक बुजुर्ग का दर्जा है, वह दर्जा कायम रहना चाहिये। मैं अपने शहर में जब जाता हूं तो 8 साल के बच्चे को भी सलाम करता हूं और यदि वह सलाम का जवाब नहीं देता है तो लाल बत्ती की गाड़ी को रोक कर उससे पूछता हूं कि क्या तुमने मुझे सलाम करते नहीं देखा। फिर कभी ऐसा नहीं होता कि वह जवाब न दे। मान्यवर, मैं पहले अपने छोटों की इज्जत करता हूं। मैं आपसे इज्जत नहीं चाहता हूं, प्यार चाहता हूं।

इसलिये अध्यक्ष जी, जो कुछ हुआ है अगर मेरी तरफ से हुआ है जबकि मैं तो बिल्कुल बे खता हूं, खतावार तो ये हैं। नेता विपक्ष के लिये सम्मान के लिये कुछ इन्होंने कहा वह आपको बुरा लगा है, अगर इनको भी कहा कुछ बुरा लगा, तो मैं उसके लिये आपसे अफसोस ही जाहिर कर सकता हूं और आईन्दा ऐसा न हो इसकी कामना कर सकता हूं। जो सदन में हुआ ये कोई ऐसा नहीं है जिसके लिये टण्डन जी को निन्दा करनी पड़ी। थोड़ी सी धक्का मुक्की हो जाती है उसके लिये भी अफसोस है। मैं समझता हूं कि जिस तरह मैंने अपने दिल की स्लेट से हर उस अक्षर को मिटा दिया है ताकि कड़ुवाहट की शुबहा न रहे। आपकी दिल की स्लेट से भी वह अक्षर हट जाये जिसमें कड़ुवाहट की बू आती हो।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सदन स्थगित करने से पहले इस सदन में स्पष्ट कर दिया था कि नेता विपक्ष के सम्मान के विरुद्ध कोई बात कही ही नहीं आखिर कोई बात समाप्त हो जाय अच्छा है। हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि भविष्य में आज जो हुआ है इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैंने एक उल्लेख किया था, मैंने कहा था कि किसी भी सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि जब चाहे खड़े होकर अपनी बात कहे। मैं स्पष्ट कर दूं कि नेता विपक्ष का उनसे कोई मतलब नहीं था। नेता विपक्ष, नेता विपक्ष हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां (बैठे हुये)–

मान्यवर, उसे छोड़िये।

श्री अध्यक्ष–

आज काफी समय नष्ट हो गया।

मद संख्या–6 तक औपचारिक कार्य हुआ है, न मालूम क्यों शेष कार्य करने का मन नहीं है।

अयोध्या प्रकरण पर गठित विशेष न्यायालय की अधिसूचना जारी किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते थे उस मसले के बारे में जब व्यवधान हुआ था। सदन में वह अपनी बात कह लें, उसके बाद सदन के पटल पर रखने वाले औपचारिक कार्य है, उसके बाद कार्य स्थगन का प्रस्ताव है।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, प्रमोद कुमार जी ने नोटिफिकेशन के सिलसिले में लम्बी बात कही थी और श्री जगदम्बिका पाल जी ने और मैंने मान्यवर, सिर्फ इतना ही कहा था, उतना ही अब भी कहना चाहता हूं कि कानून से चलता है देश और कानून सबको मानना चाहिये । नोटिफिकेशन के मामले में बल इसलिये देना चाहता हूं क्योंकि सुप्रीमकोर्ट ने सरकार को समय दिया है वह समयबद्ध है । वह इसलिये भी जरूरी है कि अगर देश की ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुये लोग कानून को नहीं मानेंगे तो नीचे बैठे हुये लोग कैसे मानेंगे । मान्यवर, प्रेस कान्फ्रेंस करके कह दिया कि हम अदालत का फैसला नहीं मानेंगे उस वक्त मैंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि मुझे इन्तजार है कि दिल्ली के किस थाने में ऐसा कहने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है बताये इसको, वह जवाब आता कि फलां थाने में यह रिपोर्ट दर्ज हुई है । आपने मेरे लेटर का एकनालेज भी नहीं किया है । ला एण्ड डेमोक्रेसी स्विग्स टुगेदर जम्हूरियत और कानून एक साथ बहते और एक साथ डूब जाते हैं । अगर यह कहते हैं कि देश लोकतांत्रिक मान्यताओं से चलेगा जैसा कि टण्डन जी ने कहा, आप भी यह मानते हैं कि यह लोकतांत्रिक देश संविधान से, कानून से चलने वाला देश है । अब यह भी मानना पड़ेगा कि कानून और जम्हूरियत एक साथ चलेंगे और इनमें से एक चीज की भी टांग तोड़ दी जायेगी तो यह कदम आगे नहीं बढ़ सकेंगे । इसलिये यह जरूरी था । सी०बी०आई० की तरफ से जो एतराज था वह एतराज भी साफ कर दिया गया और वहां से लिखकर आ गया है कि सरकार इस पर निर्णय लेने के लिये आजाद है । मान्यवर, यह बाध्य कहां किया जा रहा है । हममें से यह किसी को अधिकार कहां है कि सरकार को इस बात के लिये मजबूर करें कि सरकार अदालत में यह जवाब दाखिल करे, अगर सरकार नहीं चाहती है तो सरकार मजबूती से कहे कि हम नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे ।

मान्यवर, आप हाईकोर्ट के सीनियर वकील हैं,सीनियर एडवोकेट हैं, मेरा तो बहुत कम तजुर्बा है । आप जानते हैं कि अगर सरकार चाहे तो ऐसा न करे । उसके लिये दूसरी अदालत भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में यह जबाब दाखिल तो करे । सुप्रीम कोर्ट के अलावा जनता की अदालत है जो जनता इस फैसले का इन्तजार कर रही है उसके सामने भी सरकार की बात आनी चाहिये । मैं प्रमोद तिवारी के नोटिस पर बल देना चाहता हूं और सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि जनता और हम सब इस बात के इन्तजार में हैं क्योंकि आपने सरकार उनके साथ बना रखी है जिन्होंने 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया ।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, यह इस समय कोई प्रसंग नहीं था लेकिन आ गया है तो मुझे दो शब्द कहने हैं कि जो नोटीफिकेशन रद्द किया गया है नेता विपक्ष को भी मालूम होगा कि सरकार किसकी थी । फिर जब यह स्टैण्ड लिया गया कि सरकार को कुछ नहीं करना है । जो कोर्ट में है उसी को मानेंगे, वह स्टैण्ड आज तक कायम है । सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश नहीं दिये कि वह क्या करेगी । उन्होंने कहा कि आठ सप्ताह के अन्दर उस नोटीफिकेशन, जो किसी और सरकार के समय में हुए थे उसके बारे में उसकी क्या राय है ? अब उसका बयान हो रहा है बयान होने के बाद जो कुछ भी विधिक होगा वह किया

जायेगा । लेकिन सभी इधर-उधर बैठे हुए लोग कभी न कभी इस बीच में सरकार में शामिल रहे हैं और हम एक की नीति यही रही है । तो किसी को दूसरे के घर में पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है । हम सबको इस मामले में एक शान्तिपूर्ण हल निकालने की कोशिश करनी चाहिये । उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये । इसलिये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसके अनुसार सरकार समय पर अपनी नीति और अपने जो कार्यक्रम विधिक दर्जे से उचित होंगे, वह करेगी ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना निरस्त हो गयी है उस पर माननीय श्री लालजी टण्डन ने उत्तर दे दिया है अब उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि [xxx] को इस मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र देकर अदालत का सामना करना चाहिये ।

नियम–301 के अर्न्तगत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य, वस्त्रोउद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2002 के प्रथम सत्र में, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मद सं०–8, मद सं०–9, मद सं०–10, मद सं०–11, में कुछ नहीं है ।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव

* कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री (श्री अनीस अहमद खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।"

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री (श्री अनीस अहमद खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 †

*समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 9-9-2002 को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नोट :– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री इन्द्रजीत सरोज––

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–16 में जो कार्यस्थगन के प्रस्ताव हैं, उनको आज नहीं लेते हैं। आज जिन माननीय सदस्यों के कार्य-स्थगन हैं, वह 16 तारीख को पुनः सूचना दे देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री किरन पाल सिंह–

क्रम तो आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यदि सब लोग सहमत हों तो 10 मिनट और ले लें।

जो डा० धर्मज्ञ मिश्र से संबंधित मामला है, उसको स्थगित कर देते हैं और जो श्री राम गोविन्द चौधरी जी का मुंहनोचवा से संबंधित मामला है, उसको ले लेते हैं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अब 16 तारीख के लिये रखिये।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा का स्थगन †

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद मद संख्या–17 में माननीय नेता प्रतिपक्ष का उद्‌बोधन चल रहा था, उसको आज जारी करना चाहें।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इसको भी आज रहने दीजिये। उसी दिन ले लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, रहने दीजिये, मैं तो तैयार हूं, लेकिन आम सहमति 16 की है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

सब कुछ 16 में है, इसे भी 16 में ही कर दें।

नोट :–† दिनांक 13 अगस्त, 2002 की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, चूंकि 2-3 दिन का काम पूरा नहीं हो सका है, इसलिये 16 तारीख को देर तक बैठ लेंगे ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 के विचार एवं पारण तथा संशोधनों पर चर्चा का स्थगन

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 के विचार, पारण तथा संशोधनों पर चर्चा का स्थगन

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 के विचार, पारण तथा संशोधनों पर चर्चा का स्थगन

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति विषयक, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

आज मद संख्या–16 से मद संख्या–27 तक 16-8-2002 के लिये स्थगित कर देते हैं ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 14 अगस्त, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनाएं प्राप्त हुईं ।

पहली सूचना श्री महबूब अली की श्री गनी मोहम्मद एवं श्री महमूद उर्फ भूरा के विरुद्ध पुलिस द्वारा राजनीतिक द्वेष के कारण उत्पीड़न किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । दूसरी सूचना श्री नवाब सिंह नागर की जो नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों में बिना टेंडर के ठेके दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । तीसरी सूचना श्री उदयराज यादव की जो उत्तर प्रदेश में अंशकालीन नलकूप चालक के पद पर नियुक्त कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । चौथी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा पाठ्यक्रम में बार-बार परिवर्तन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेत स्वीकृत हुई । पांचवीं सूचना डा० कौशल किशोर की जो जनपद लखीमपुर में अमृतागंज मार्ग की सड़क की मरम्मत किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । छठवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की जो जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ के ग्राम श्यामनगर अच्छेजा के दलित एवं गरीब किसानों की भूमि को जबरन हड़पने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । सातवीं सूचना श्री रामविशुन आजाद की जनपद गोण्डा के देवीपाटन मण्डल में वन विभाग के टिकरी रेंज मनकापुर के क्षेत्राधिकारी द्वारा मिली भगत से लाखों रुपये की वन विभाग की लकड़ियों को बेचे जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । आठवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जो इण्टरमीडियेट से लेकर बेसिक तक के बच्चों के प्रवेश की सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त तक किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । नौवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जो उत्तर प्रदेश के सीमान्त राज्यों से पारस्परिक परिवहन समझौते अत्यधिक पुराने हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल

वक्तव्य हेतु स्वीकृत । दसवीं सूचना श्री अब्दुल कलाम की है जो प्राचीनतम एवं धार्मिक नगरी वाराणसी में आशापुर, अलई पुर, महमूर गंज में विद्युत विभाग द्वारा सब स्टेशन बनाये जाने के संबंध में है–ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । ग्यारहवीं सूचना श्री बैजनाथ पासवान की है जो जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सांप काटे हुए मरीजों के इलाज की व्यवस्था किये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । बारहवीं सूचना श्री मूल चन्द्र की है जो जनपद बिजनौर के चांदपुर के नागरिकों में विद्युत विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध विद्युत व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । तेरहवीं सूचना श्री कालीचरण राजभर की है जो जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद में नखतपुर तथा वनदेवी मऊ के सामने नदी पर अधूरे निर्मित पुल के निर्माण के संबंध में है–ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । चौदहवीं सूचना श्री किरणपाल कश्यप की है जो जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सामली में यूनियन बैंक आफ इण्डिया में दिन दहाड़े पड़ी डकैती में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में है–ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती सुखदेवी वर्मा की है जो जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र लखना में नहरों, माइनरों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । सोलहवीं सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की है–जनपद रायबरेली की नहरों में पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । सत्रहवीं सूचना कुंवर भारतेन्द्र सिंह की है जो जनपद बिजनौर के बाढ़ प्रभावित ग्रामवासियों की जान माल की सुरक्षा के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत और अट्ठारहवीं सूचना डा० वकार अहमद शाह की है–जनपद बहराइच के जिला अस्पताल में ए० आर० बी० (कुत्ता काटने की सुई) उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं, वे इस प्रकार हैं :– श्री अरविन्द गिरि, श्री अजीम भाई, श्री कौशल किशोर, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री रामकरन आर्य, डा० शिव प्रताप यादव, डा० रामबाबू हरित, श्री प्रमोद कुमार, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री धर्मपाल सिंह, श्री शिव कुमार बेरिया, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री रामजीत राजभर और श्री मदन चौहान ।

अब हम उठते हैं, दिनांक 16 तारीख को 11.00 बजे (पूर्वाह्न) फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजकर 25 मिनट पर शुक्रवार दिनांक 16 अगस्त, 2002 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

दिनांक 14 अगस्त, 2002

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र० सं०-36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर ।)

भारत सरकार द्वारा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के सहयोग से संचालित कार्यक्रम ।

1. महिलाओं के लिये प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)

(क) उद्देश्य

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की उत्पादकता में वृद्धि करके और आय उत्पादन कार्यकलाप शुरू करने के योग्य बनाकर उन्हें आत्म निर्भर और स्वायत्त बनाना है । कार्यक्रम के अर्न्तगत पारम्परिक क्षेत्रों जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी तथा ग्रामोद्योग, रेशम कीट पालन, सामाजिक वानिकी तथा परती भूमि विकास आदि में निर्धन एवं सम्पत्ति विहीन महिलाओं के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

(ख) कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा राज्य सरकार के समकक्ष अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, संघों, सहकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से चलायी जा रही है ।

(ग) पात्रता की शर्तें

कम से कम तीन वर्षों से पंजीकृत होनी चाहिये तथा संबंधित क्षेत्र में अुनभव/पहचान हो ।

(घ) सहायता का प्रकार

परियोजना कार्मिक तथा प्रशासनिक पद, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण के लिये कच्चे माल, सहकारी समितियों के गठन, समर्थन सेवायें, विपणन सहायता मद में 100 प्रतिशत सहायता अनुमन्य होती है तथा पृथक वर्कशेड तथा प्रशिक्षण से असम्बद्ध उत्पादन केन्द्रों के निर्माण हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अवशेष 50 प्रतिशत संस्था को वहन करना होता है ।

कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है तथा 10 प्रतिशत लागत कार्यान्वयन एजेन्सी को वहन करना होता है ।

2-महिलाओं के लिये रोजगार सह-आयोत्पादक एकक स्थापित करना (नोराड योजना)

(क) उद्देश्य

गरीब ग्रामीण महिलाओं, कमजोर वर्ग (अनु० जाति/अनु० जनजाति) की महिलाओं युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, शहरी मलिन बस्तियों की महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिये

पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने तथा इन क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(ख) कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण–

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्वविद्यालयों/गैर सरकारी संगठनों के महिला विकास केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वयन की जाती है, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा राज्य सरकार के समकक्ष अधिनियम के तहत पंजीकृत हो ।

(ग) पात्रता की शर्तें

संस्था कम से कम तीन वर्षों से पंजीकृत होनी चाहिये तथा उसे संबंधित ट्रेड में अनुभव सहित क्षेत्र में उसकी पहचान हो ।

(घ) सहायता का प्रकार–

प्रशिक्षण लागत, आवश्यकतानुसार महिलाओं हेतु शयन सुविधा, प्रारम्भिक कार्यशील पूंजी हेतु मूल धनराशि, प्रति लाभार्थी रु० 250/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति हेतु अनुदान दिया जाता है । वित्तीय सहायता अधिकतम रु० 8000/- तक प्रति लाभार्थी अनुमन्य है ।

(ङ) आवेदन करने की पद्धति–

स्वैच्छिक संगठनों के परियोजना प्रस्ताव जिला कार्यक्रम अधिकारी की जांच आख्या एवं संस्तुति सहित उ० प्र० महिला कल्याण निगम को उपलब्ध कराये जाते हैं । प्राप्त प्रस्ताव भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही उपरान्त महिला कल्याण निगम द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं ।

पी०एस०यू०पी०–एल० 362 विधान सभा (614)–21-1-03-813 (डी०टी०पी०) ।